

पर विचार कर रहे हैं जिसकी मांग सभी लोगों ने एक मत से की थी। कवि ने कहा है कि—

“आज हमें अपने सभी भेद भुला देना है,  
मारने वालों को हमें आज सजा देना है।

शहीद देश के लिए राजीव अमर है,  
गुनहगारों को हमें आज सजा देना है”

#### RESIGNATION BY MEMBER

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI) V. NARAYANASAMY : Before I call the next speaker, there is an announcement. I have to inform the hon. Members that the Chairman has received a letter from Shri Vishwasrao Ramrao Patil, a Member representing the State of Maharashtra, resigning his seat in Rajya Sabha. The Chairman has accepted his resignation with effect from today, the 14th May, 1993.

#### SHORT DURATION DISCUSSION REPORT OF THE ONE-MAN COM- MISSION OF INQUIRY, HEADED BY JUSTICE J.S. VERMA, TO ENQUIRE INTO THE ASSASSINATION OF SHRI RAJIV GANDHI FORMER PRIME MINISTER OF INDIA—CON ID.

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्मा जांच कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट 12 जून, 1992 को दी गई, उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं पंचौरी जी का वक्तव्य बड़े ध्यान से सुन रहा था। इस बात से कोईईकार नहीं कर सकता कि 21 मई, 1991 का दिन और रात 10 बजकर 20 मिनट का समय हमारे इतिहास के लिए काला दिन था। उस दिन हमारे देश का एक नौजवान प्रधानमंत्री बलात् हमसे छीन लिया गया और उनकी निर्भय हत्या कर दी गई। ये घिनौना काम, यह दुष्कृत्य जिन लोगों ने किया, जिनके माध्यम से हुआ, जो उसमें सहयोगी रहे, जिन्होंने इसमें भाग लिया या जिन्होंने इसका दायित्व स्वीकार किया

उनको कारगर सजा दी जानी चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। आखिर इस देश ने एक नौजवान प्रधानमंत्री खो दिया, मैं इस भावना के साथ इस सदन में अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ।

महोदय, यह दुर्दान्त घटना बच सकती थी इसके पक्ष में कई प्रकार की बातें कही जा रही हैं। सबसे मोटी बात जो कही जा रही है बार-बार, य वह है कि अगर एस.पी.जी. ग्रुप स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ होता तो शायद यह दुर्घटना न होती। हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या जिस लड़की ने अपने शरीर में बम बांध रखा था, एस.पी.जी. ग्रुप उससे बचा सकता था। आपके व्यवस्थापकों ने जिन्होंने श्रीपेरम्बूर में उस मीटिंग का आयोजन किया, महोदय, मैं उस सामयिक परिस्थिति की ओर सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तमिलनाडु में उस समय राष्ट्रपति शासन था। गवर्नर भी उस समय कांग्रेस के बहुत पुराने वरिष्ठ नेता थे। नेता आज भी हैं। वे गवर्नर आज भी हैं वहाँ। उन्होंने भारत सरकार को यह सूचना दी थी। राष्ट्रपति शासन के दौरान गवर्नर पूरे शासन का अधिकारी होता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वह काम करता है। वह व्यक्ति बहुत पुराना था, अनुभवी था, प्रभावशाली रहा हुआ था। उसने एक पत्र लिखा था केन्द्र सरकार को कि राजीव गांधी को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ संभव नहीं है। यह जानकारी केन्द्र सरकार को दी थी। उस समय के कांग्रेस के लोगों को थी। लेकिन गवर्नर साहब के मना करने के बावजूद मीटिंग बुलाई गई। पैरंबूर में।

[ उपसभाध्यक्ष (मोहम्मद सलीम) पी.आसेन हुए ]

श्रीमान श्री श्रीमान पंचौरी जी कह रहे थे कि क्या वहाँ सैक्युरिटी के लोग थे। उन्होंने यह व्यवस्था की थी कि मासा पहनाने वाले जो लोग आने वाले थे उनकी तलाशी ली गई?

महोदय मैं एक प्रश्नबाद जो कि अंग्रेजों का अखबार है, दक्षिण से निकलता है, उसकी जो

खबर है उसमें छपी खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है वह भी कोट करना चाहूँगा। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ए. जी. दास जो उसके आगमनाइजर थे वह माइक पर घोषणा करते हैं कि जिन लोगों को राजीव गांधी जी को माला पहनानी है वह रेड कार्पेट पर बाई ओर खड़े हो जाएँ। ए. जी. दास को पता नहीं था कि कौन-कौन लोग माला पहनाने आने वाले हैं? अगर उनको पता था तो उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया कि पलां पलां व्यक्ति जिनका राजीव गांधी जी को माला पहनाना है वह शाइड में आकर खड़े हो जाएँ? हम भी पब्लिक मीटिंग की व्यवस्था करते हैं, हमारे भी कुछ बी. आर. पी. हो गए हैं, हम जानते हैं कि किस किस की माला पहनानी है क्योंकि हम उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ए. जी. दास उनको बुलाते हैं माला पहनाने के लिए। यह कौन सी व्यवस्था है, कौन सा राजनीतिक कार्यक्रम है जो वहाँ माला पहनाना चाहता है और लोगों का नाम भी बोलना नहीं चाहता है? मैं कहना चाहूँगा कि चैरिटी बिगिंस ऐट होम। महीदय सज्जा आप किसी को दें, मैं चाहता हूँ कि सरे आम उन लोगों की कड़ी से कड़ी सज्जा देनी चाहिए जो दोषी हैं लेकिन प्रारंभ कहाँ से करें? अपने घर से तो शुरू करो। दूसरों पर बाद में आरोप लगाया, बी. पी. सिंह या चन्द्र शेखर पर, आप पहले अपने घर को संभालो। ए. जी. दास ने क्या किया था, वर्मा कमीशन ने इस बारे में स्टेट्समैन के 1-4-92 के अंक में लिखा है, जिसको मैं उद्धृत करना चाहता हूँ, जिसके अंदर कहा गया है —

"Mr. A.G. Das, Chief Organiser of the Sriperumbudur meeting made a surprise announcement at the last minute asking those waiting to garland Mr. Rajiv Gandhi line up along the red carpet."

श्रीमान, मैंने जो आपसे निवेदन किया कि जो व्यक्ति खुला निमंत्रण दे रहा है लोगों को माला पहनाने के लिए तो एस. पी. जी. होगी तो कैसे उनकी जांच करेगी? आपने नाम नहीं दिए हैं, आप केवल लोगों को बुला रहे हैं, कौन-कौन आया, कौन-कौन माला पहनायेगा,

पता नहीं है इसलिए घात बम लपेटकर चली गई। जो कुछ उसने किया, कभाड़ा किया, देश ने उसका मुकामान उठाया। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्मा कमीशन ने जो बातें आपको कहीं हैं पहले आप अपना आत्मालोचन करें, स्वविवेक से काम करें, पहले अपने घर में दूँ कि गड़बड़ कहाँ हुई। बाकी लोगों ने और भी गड़बड़ियाँ की होंगी लेकिन सबसे पहले आवश्यक है कि वर्मा कमीशन की रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि वर्मा कमीशन ने बड़े स्पष्ट रूप से पैरेटर 15 में तीसरे पेज पर "रील एंड रिस्पॉसिबिलिटी आफ दि कांग्रेस पार्टी" के बारे में कहाँ है। सारे कंसलेशन रिपोर्ट के 5 पेजों में हैं जिनमें से 3 पेज उन्होंने घतग से केवल कांग्रेस पार्टी का क्या रोल रहा है, उसके बारे में लिखे हैं। कांग्रेस पार्टी पर यह चार्ज है, मैं नहीं करता, मैं चार्ज लगाने का आदी नहीं हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी की हत्या में सहयोग किया है।

लेकिन व्यवस्था जो वहाँ पर हुई उसके कारण यह हुआ हुई और उसके लिए जिम्मेदारी से बचना कांग्रेस पार्टी के लिए सम्भव नहीं। अगर यह बचना चाहती है तो अपनी खाल बचाना चाहती है। क्योंकि वर्मा कमीशन ने स्पष्ट रूप से इन बातों को कहा है। मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए उसमें दो-चार लाइनें पढ़ना चाहता हूँ :

In this manner, the entire responsibility, from selecting the scene of the meeting at Sriperumbudur to making all the arrangements, was entrusted to M. Chandrashekhar."

अब मैं कहूँ कि मीटिंग के वेन्यू की जिम्मेदारी डी. एम. के. ने ले ली थी। मैं नहीं जानता सी पी या नहीं ली थी लेकिन वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि इस जगह मीटिंग नहीं कीजियेगा। यहाँ मीटिंग करना सुरक्षित नहीं है। मीटिंग दूसरी जगह होनी चाहिए। लेकिन आप के कंडीटेंट, आपके व्यवस्थापकों, आपके आयोजकों का यह आग्रह था कि मीटिंग वहीं होनी चाहिए। इसलिए कि वह समझते थे कि वही की हुई मीटिंग से शायद उनको अच्छा राजनीतिक लाभ होगा।

वर्मा कमीशन ने आगे की लाइन में कहा है जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ :

"An attitude of intransigence of the Congress partymen and its organises, their concern being to encash Rajiv Gandhi's visit to improve the election prospects remaining apathetic to his security needs.....".

इससे ज्यादा कोई भी कमीशन और क्या आरोप लगायेगा किसी पार्टी के लोगों पर। आपको अपने इलेक्शन की चिन्ता थी, आपको अपनी जीत की चिन्ता थी, राजीव गांधी के उपयोग की चिन्ता थी और आज सेक्योरिटी की चिन्ता हो गई जब कि हमारे बीच में से उनको छान लिया गया। हम आसू बहायें यह आपका अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। बर्तनाक घटना हुई है उसमें आसू बहाता बाजिब है। लेकिन सवाल यह है कि आसू बहाने से पहले आप जब किसी पर यह आरोप लगाते हैं कि बी. पी. सिंह ने यह किया, मैं बी. पी. सिंह की सरकार के लिए कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उनकी पार्टी कई दुकड़ों में बंट गई है। अब उनकी पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाकर क्या राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं? आज बी. पी. सिंह का कहीं स्टेटस नहीं है जिससे आप उनको नुकसान पहुंचा सके। दिल के दुकड़े हजार हुए कोई कहीं गिरा, कोई कहीं मिरा। तो उस पार्टी के दुकड़े होकर जगह-जगह गिर गये हैं। उस पार्टी के लिए कांग्रेस जो सभसे लेकिन मुझे इतना पता है उसका कोई स्टेटस नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ बी. पी. सिंह ने केवल एक बात कही थी कि एस. पी. बी. उनको प्रोवाइड मत कीजिए लेकिन वह तो चले गये थे। उनके टाइम पर तो उनका बाल भी बांका नहीं हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई?

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश) : एक मिनट अवधान जी। बी. पी. सिंह जी का यह बनाया हुआ प्रोविजन नहीं था कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षा न प्रदान की जाए। यह इन्हीं का बनाया हुआ है। यह भी गलती इन्हीं की है। इवारा जब चन्द्रशेखर सरकार आई वह तो आप ही की सरकार थी उस समय क्यों नहीं संशोधन किया।

श्री रामदास अग्रवाल : सोम पाल जी अच्छा किया आपने मेरी बात को आगे बढ़ा दिया। मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि बी. पी. सिंह जी ने तो जो उस समय व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के अन्तर्गत जो कानून था उसी कानून के अन्तर्गत एस. पी. बी. विद्वा की थी। बी. पी. सिंह के टाइम पर क्या हुआ? उनके टाइम पर राजीव गांधी बड़े स्वस्थ थे, सुन्दर थे, मजबूत थे और काम कर रहे थे राजनीति में खुले मन से। कुछ नहीं बिगड़ा था। लेकिन गड़बड़ कब हुई जब आपने एक ऐसी सरकार को समर्थन दिया जिसके पास कुल 50-60 एम. पीज थे। उस सरकार का आपने समर्थन किया आखिरी मंद कर। जब केन्द्र में कमजोर सरकार लायेगे, अपने सरकार लायेगे तो फिर उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ही। क्योंकि कमजोर सरकारें हमेशा देश की कमजोर ही करती हैं और कमजोर होने का मतलब है देशद्रोही ताकतों का मजबूत होना। तभी इस प्रकार की घटनाएं देश में घटती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने कांग्रेस संबंधों से कि एस. पी. बी. के नाम पर लोगों को बदनाम करने का प्रयत्न मत कीजिए। आपकी सरकार, चन्द्रशेखर की सरकार 6 महीने चली और उस चन्द्रशेखर की सरकार को आपने 6 महीने तक चलाया। पचीरी जी ने कोट किया है रिपोर्ट को कहीं जगहों से कहा गया था कि राजीव गांधी को खतरा है। हो सकता है, वे प्रधान संसदी रहे थे, कई प्रकार के कंटाइन्समेंट में भी मौजूद थे। उनके ऊपर कई प्रकार के गलत और गलत आरोप भी लगे थे। लेकिन इसके बावजूद उनकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। आपको यह मामला केन्द्रीय मंत्रिमंडल में उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि श्री. पी. चिदम्बरम् ने उठाया था। लेकिन श्री. पी. चिदम्बरम् की क्या हैसियत थी, क्या औकात थी? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री चन्द्र शेखर जी को पकड़ कर कहते थे कि यह करो क्योंकि उनके नेता की सुरक्षा का सवाल था। लेकिन वे नहीं बोले। उस वक्त आपको चिन्ता नहीं थी। आपके मन में यह भाव पैदा नहीं हुआ। आप लोग चन्द्र शेखर जी के आत्म-पास घूमते रहे, उनकी अपचापिरी करते रहे, हम सब लोग और आप लोग कुछ नहीं बोले। अपने नेता की सुरक्षा के लिए आपने कुछ नहीं किया।

श्री पी. विदम्बरम् का नाम लेते हो। उनकी क्या ओकात थी? वे छोटे से मद्रास के नेता थे। राजीव गांधी की सुरक्षा आपने उनके हाथ में सौंप दी। वह बेचारा तो पतंग की तरह से यहां से काट दिया गया।

श्री सुरेश पंचोरी : माननीय अग्रवाल जी, मैं आपका ध्यान आकषिप्त करना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने ध्यान आकषिप्त नहीं किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बार बार ध्यान आकषिप्त करते रहे। न केवल एक नेता ने बल्कि अनेक नेताओं ने जिनमें वरिष्ठतम नेता श्री कर्मापति खिपाटी जी थे किन्होंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को पत्र लिखा और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसको एक-नामज भी किया। अहां तक चन्द्रशेखर जी के दौर की बात है उस समय उनके दौर में भी श्री मार्कण्डेय सिंह को राजीव गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री बी. जार्ज ने पत्र लिखा कि आई. बी. की जो रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए मेक्यूरीटी की व्यवस्था की जाय जो पेज 247 पर उसका ब्यौरा अंकित है। कृपया उसको देखें।

श्री सोमपाल : उस समय आपका संसद में बहुमत था, आपने कोई संशोधन क्यों नहीं रखा? एग. पी. जी. एकट में संशोधन का प्रस्ताव आप क्यों नहीं लाये?

श्री रामदास अग्रवाल : मैं कह रहा था, लेकिन पंचोरी जी बीच में आ गये। शायद उनकी आदत है। जब वे बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं आया था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज उनके मन में टीस और बेदना है और होनी भी चाहिए। लेकिन इस टीस और बेदना से कौन सी बात प्रकट हो रही है। जैसा सोमपाल जी ने कहा, आप उस समय संसद में संशोधन ला सकते थे कि भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों को एस. पी. जी. की सेक्यूरिटी मिलनी चाहिए। आपको किसने मना किया था? उस वक्त कोई विरोध करता तो बात समझ में आती। आप उस समय संशोधन नहीं लाये। बाद में आप संशोधन लाये तो सब ने स्वीकार कर लिया। लेकिन पहले आप संशोधन लाने में असमर्थ रहे। आप जानबूझ कर नहीं लाये क्योंकि तब आपको उन सब बातों की चिन्ता नहीं थी। आज आप चिन्ता कर रहे

हैं। आप अपने मन की बात सब के सामने प्रकट कर रहे हैं। लेकिन उस समय आपने भविष्य को नहीं देखा। आपको पता था कि आपके नेता की हत्या की धमकियां दी जा रही हैं। एल. टी. टी. ई. धमकी दे रहा था, पंजाब के आतंकवादी धमकी दे रहे थे, काश्मीर के आतंकवादियों से धमकियां मिल रही थीं। आपने उनकी सुरक्षा का प्रस्ताव संसद में क्यों नहीं रखा? अगर कानून में संशोधन करके भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों की सुरक्षा प्रदान की जाती तो श्री. पी. सिंह भी भूतपूर्व प्रधान मंत्री थे। आपको भी यह व्यवस्था मिल जाती। आपके मन में मैल था, काला था। लेकिन मुश्किल यह है कि राजनीति में अगर खुद के लिए सुरक्षा चाहिए तो मांगते हैं, लेकिन दूसरी को देते हुए फिसल जाते हैं। यह सोचना बलत काम है। सुरक्षा देश के सारे प्रधान मंत्रियों को मिलनी चाहिए। भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों की ही नहीं, जो इस देश के मान्य नेता हैं उनकी सुरक्षा के बारे में कोई कर्मा नहीं होनी चाहिए। बल लोक सभा में कहा गया कि हमारे प्रधान मंत्री की सुरक्षा में कमी है। हमारे पायलेट साह्य वहां पर भेदे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता कि ब्रेक में विपक्ष में हूँ, लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां बेहिसाब बढ़ रही हैं। आपको काम है कि जिनकी सुरक्षा करनी चाहिए उनके लिए अगर कानून में अकूत पड़े तो संशोधन करना चाहिए। यह गदन आपके पास खड़ा होगा। लेकिन हमारा कोई भी लाख इस धरती पर किसी आतंकवादी की गोली का शिकार नहीं होना चाहिये। आखिर यह सरकार किस लिये है? यह व्यवस्था किस लिये है? आखिर यह प्रशासन किस के लिये है? आखिर मंत्री किस के लिये है? आखिर यह सेना पुलिस किस के लिये है? अगर हमारे लाल उठा लिये जायेंगे, हमारी बहनें उठा ली जायेंगी हमारे भाइयों की गोर्लियों से से भून दिय जायेंगी, तो फिर यह व्यवस्था भी बेमानी है, यह संसद भी बेमानी है, यह प्रजातंत्र भी बेमानी है। सुरक्षा, सबसे पहली आवश्यकता इस देश की है। इसलिये माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो परिस्थितियां आपके सामने रखी थीं, पेरम्बटूर की, उनके अंदर बेरीकेड्स नहीं थे। आपके वर्मा कमीशन ने जो तीन पेज की रिपोर्ट दी है उसमें

लिखा है कि वहाँ बेरीकेट्स नहीं थे, लोगों को बठने की व्यवस्था नहीं थी, टोटल डिसऑर्डर था। आप ताज्जुब करेंगे, अंत में बर्मा कमीशन ने जो लाइन लिखी है, पचोरी जो नोट करें, 79 पेज पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि :

"The responsibility for the disorderliness at the venue is that AJ. Doss as indicated."

मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ए. के. दास को आपने निकाला? आपके दिव्यनाथ प्रताप सिंह जो केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि थे क्या उन्होंने त्याग पत्र दिया? या तो उन्होंने कहा कि कृष्णमूर्ति को वहाँ कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया? या तो उन्होंने कहा कि लेकिन राजनीति में आपसू बहाने से काम नहीं चलता। राजनीति के अंदर जिन लोगों ने बोध किया है उनके पक्षों से हटा कर फिर बाद में पद पर ले लेते हैं। ऐसे नहीं चलता। यह मजाक होना अगर ए. के. दास को छोड़ देंगे कृष्णमूर्ति को छोड़ देंगे एम चन्द्र शेखरन को छोड़ देंगे तो यह क्या मतलब है, यह क्या मजाक है? आप बी. पी. सिंह को सजा देना चाहते हैं, चन्द्र शेखर को सजा देना चाहते हैं। आप बीजिए चन्द्रशेखर को सजा। पूछें कोई आपत्ति नहीं है अगर उनका योग है तो उनको सजा दें लेकिन पहले अपने घर में बूढ़ी जिन्होंने राष्ट्रीय गांधी को बुलाया, उनका दायित्व था कि वे उनकी सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेते। आप उनकी सुरक्षा का भार नहीं उठा पायें। एक बात और, मुझे क्षमा कीजिए, यह मैं किसी को भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ अब जानते हैं, राजेश पादसेट जी भी जानते हैं कि मैं राजस्थान में एक पार्टी का काम करता हूँ। अगर मेरा कोई बी आई पी, आडवाणी, अटल वहाँ जाता है तो मैं उसके साथ-साथ गाड़ी में हर स्थान पर, हर पल उसके साथ रहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर उसकी किसी आतंकवादी ने उड़ा दिया तो मैं भी उड़ा दिया जाऊंगा मैं चाहता हूँ कि अगर हाँ तो ऐसा हो। अगर उनके ऊपर आभयमण होता है और मैं जिंदा बच गया तो यह मेरे लिये सबसे ज्यादा शर्म की बात होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु

के कांग्रेसी बंधुओं से कि वहाँ उनके साथ कौन मरा? पुलिस वाले मरे। कोई कार्यकर्ता नहीं था, कोई बड़ा नेता साथ नहीं था। कमीशन ने कहा है कि कोई जिम्मेदार कांग्रेसी नेता साथ नहीं था। मैं मरने की बात नहीं करता, क्षमा करें लेकिन अगर उनके साथ मरते तो अच्छा होता क्योंकि शहीद तो हो जाते। मरना भी पड़ता है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब कार्यकर्ता मरता है तब उस पर संदेह की उगल नहीं घूमती है। हमारे एक सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं संदेह की सुई उन पर घुमी क्योंकि वह उनके साथ थे और वह जिंदा बच गये थे। अब मैं संदेह की सुई उन लोगों पर घुमाना चाहता हूँ जो वहाँ मौजूद थे लेकिन आज जिंदा हैं। प्राखर क्यों वे उनके साथ नहीं रहे? शरीर से शरीर मिलाकर साथ रहना पड़ता है। कंधे से कंधा मिला कर, हाथ से हाथ पकड़ कर बी आई पी के साथ रहना पड़ता है : राजनीति केवल दूर से नहीं चलती राजीव गांधी मरे तो मरे लेकिन हमारा बाल बांका भी नहीं होना चाहिये। इससे राजनीति नहीं चलती। राजनीति सीखनी है तो विपक्ष वालों से सीखें अगर उनके यहाँ उनके नेता या उनके पदाधिकारी आते हैं तो वे साथ रहते हैं। लेकिन आप के यहाँ कोई नहीं रहता। श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई। लेकिन केवल इंदिरा गांधी जी पर सारी गोलियाँ बाग बी भरीं आम-पड़ोस कोई नहीं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर अगर हम इन हत्यारों को जिन्होंने इसके अंदर योगदान दिया, भाग लिया उनकी अगर सजा देना चाहते हैं और यह सजा देने का तत्काल अगर आपके मन में है तो फिर यह जो पुलिस के अधिकारी जो कि साथ में थे उनमें से किसी को प्रमोशन दे दिया गया किसी अधिकारी को आगे बढ़ा दिया, यह हमने तो नहीं किया। बी जे पी की सरकार नहीं थी, बी.पी. की सरकार नहीं है। अब तो आपकी सरकार है : तमिलनाडु में क्यों नहीं किया वह इसलिए क्योंकि अब तक आप ए डी एम के बोर्डों पर जिंदा थे और उनके साथ गलबियाँ डालकर, गले से गले मिल कर चल रहे थे। इसलिए आप राजीव

गांधी की हत्या को भूल गये। लेकिन यहां तमिलनाडु सरकार ने उन हत्यारों को जो उसने शामिल थे या जो लोग शलियां कर चुके थे उनके खिलाफ क्या कदम उठाया? आपने कोई कदम नहीं उठाए तब तो ललित जो के साथ आप को से कंधा मिल कर चले रहे थे और आज आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार ने उस समय उनके खिलाफ काम नहीं किया अरे भाई पहले बोलते क्या तकलीफ थी आपको लेकिन आप नहीं बोलते हैं क्योंकि आपके मन में राजनीति के प्रति, अपनी सत्ता से प्रति ज्यादा प्रेम पैदा हो गया था उस समय ए भाई जी एम के क्योंकि आपकी पार्टी थी आपके साथ चल रही थी। इसलिए अगर आप उसके खिलाफ बोलते तो उनके 10-12-15 एम. पी. आपकी सरकार को बोल कर दते और आपका बंडल रोल करके आपका वापस भेज दते। इसलिए आप नहीं बोल पाए। तमिलनाडु सरकार के अलावा उन अधिकारियों को सजा नहीं दिला पाए। कल ही आप संसद में बोल चुके हैं कि उनको सजाएं देनी चाहिए यह सरकार आप किस को दे रहे हैं, यह संसदन आप किस को दे रहे हैं? आप अपने मन में केवल पता कह कर संतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर बर्मा आपसे एक प्रश्न से हमें बस्ते में डाल दिया अर्थात् कुछ दिनों के बाद और फिर कुछ नहीं बचेगा इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सजाएं देनी हैं उन अपराधियों को तो जब तक वहल कमिश्न के तमिलनाडु के गवर्नर ने आरंभ करके और फिर बाकी जो लोग अपराधों पाए जाते हैं उनको मारने की जानी चाहिए। यही मेरी मान है। धन्यवाद

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) :** श्री एम. एस. ग्रहलुवालिया जी।

**श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिम बंगाल) :** जनाब वाइसचेयरमैन साहब, मुझे एक बात कहनी है। बहुत सॉरिक्स घामला चल रहा है, आलाचना हो रही है, आलाचना हो मुझे यह पता चला है कि रेलवे को जो यहाँ कैंटीन है यह आई टी डी को

को ..... (व्यवधान)

1098 RSS/94—23.

†[श्री मुहम्मद अमीन : جناب وائس چیرمین صاحب مجھے ایک بات کہنی ہے ۔ بہت سیریس معاملہ چل رہا ہے آلوچنا ہو رہی ہے ۔ آلوچنا ہو ۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ریلوے کی جو یہاں کینٹین ہے یہ آئی۔ ٹی۔ ڈی۔ سی۔ کو ..... ”مداخلت“ ]

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) :** यह जेरो आवर नहीं है (व्यवधान)। आप इस मामले को इस वकत नहीं उठा सकते।

**श्री मोहम्मद अमीन :** मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस रेलवे कैंटीन को अल्ट आई टी डी की को दे दिया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो अभी इनजाम है यह इम्मान बरण है। इसकी बदला नहीं जाना चाहिये।

†[श्री मुहम्मद अमीन : میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ریلوے کینٹین کو جلد آئی۔ ٹی۔ ڈی۔ سی کو دیدیا جائیگا ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی انتظام ہے یہ اطمینان بخش ہے اسکو بدلا نہیں جانا چاہئے ۔]

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) :** ग्रहलुवालिया जी, इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के लिए 1 घंटा 18 मिनट का समय था। सुरेश पंचोरी जी 1 घंटा चार मिनट ले चुके हैं। 14 मिनट का समय है और 7 वक्ता हैं और आज आखिरी दिन है।

**श्री एम. एस. ग्रहलुवालिया (बिहार) :** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री राजीव गांधी जी की हत्या पर न्यायमूर्ति जे.एस.

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

वर्मा की रिपोर्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह एक बड़ा ही गंभीर मसला है। जब एक सरकार के निर्णय के कारण इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया था, यह हमारी संसदीय प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न है। जब कोई ग्रादमी सत्ता पक्ष में रहता है, प्रधानमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में अथवा रक्षा मंत्री के रूप में देश के हित में या देश के स्वार्थ में उसको बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे देश के अन्दर अस्थिरकारी ताकतों के साथ और बाहरी ताकतों के साथ उनकी दुश्मनी पैदा होती है, कभी-कभी पड़ोसी देशों से पैदा होती है और कभी कभी दूर के देशों से पैदा होती है। ऐसा ही शायद राजीव गांधी जी के साथ भी हुआ। ऐसी ही शायद इंदिरा जी के साथ भी हुआ। दुश्मनियां कोई व्यक्तिगत नहीं हैं या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं हैं। इंदिरा जी ने जो भी काम किये जिसके कारण उनकी दुश्मनी हुई लोगों से या किसी समाज से या किन्हीं ग्रुप से उनका उसमें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था। उसी तरह राजीव गांधी से दुश्मनी का कारण उनका व्यक्तिगत लाभ नहीं था यह राष्ट्र के लाभ की बात थी, राष्ट्रहित में उन्होंने कुछ निर्णय लिए थे और जब यह निर्णय लिए थे तब लोगों ने वाहवाही की थी। इसी सदन में उनकी पीठ ठोकी गई थी और कहा गया था कि राष्ट्रहित में आप जो भी निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। जब वे राष्ट्रहित में भाषण देते थे आसक्तवादी और अलगवादी ताकतों को दबाने और अंगुण लगाने की बात कहते थे तो टेबलें थपथपा कर उनकी मदद की जाती थी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है जब वह सत्ता से पदच्युत हो गये तो एक तरफ बी.पी. सिंह गोफोर्न का आतंक फैला रहे थे, गोफोर्स के साथ-साथ वो हर मीटिंग में यह बात कहते थे कि अगर हमारी पार्टी जंत भी गई तो शायद राजीव गांधी यहाँ न छाड़ें। और हो सकता है कि जनता को जाकर दिल्ली में उनसे छीनकर गद्दी दिलवानी पड़े। ऐसा वे प्रचार करते थे। इसका रिकार्ड डायरीमेंट है कि ऐसा प्रचार करते थे और ऐसा प्रचार उन्होंने हमारे राज्य में किया है इसलिए मैं यह कह रहा हूँ। ऐसी तैयारी, ऐसा द्वेष ऐसी दुश्मनी भरी भावना बाहर के लोगों के दिल में तो थी ही लेकिन राजसत्ता को हथियाने के लिए घारे देश के नेताओं के दिल में भी थी। यह

बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं कांग्रेस पार्टी में इस आप विपक्ष में हूँ, हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे किन्तु इस देश के भविष्य के लिए, इस देश की राजनीति के लिए इस देश की संसदीय प्रणाली के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा और यह सोच शुरू होती है इसी वर्मा कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर से। जिस दिन राजीव गांधी सत्ता से हटे उनकी दुश्मनी कम नहीं हुई। उनकी दुश्मनी उन ताकतों से कम नहीं हुई। महोदय मैं आपको वर्मा कमीशन की रिपोर्ट के पेज संख्या 42 के कुछ अंश उद्धृत करके बताता हूँ :

“जहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत फाइलों में पत्राचार और एन.के. सिंह, संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय, एम.के. नारायणन, निदेशक, आसूचना ब्यूरो, के.एन. ठाकुर, संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो की गवाही और कुछ अन्य साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि आसूचना ब्यूरो और गृह मंत्रालय यह महसूस करते रहे कि एस.पी.जी. कवर को हटाने के बाद राजीव गांधी के लिए निर्धारित और उनकी प्रदान की गई सुरक्षा उनके प्रति खतरे का सामना करने के लिए अपर्याप्त थी और इसीलिए एस.पी.जी. के उपयुक्त विकल्प, जिसकी राजीव गांधी की जरूरत थी, के लिए लगातार चर्चा होती रही। एक समय यह प्रस्ताव आया कि कुछ एस.पी.जी. कर्मियों को जो पहले राजीव गांधी के लिए कार्य कर चुके थे, प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली पुलिस में भेजा जाए ताकि दिल्ली पुलिस उन व्यक्तियों को राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए उपलब्ध करा सके।”

अपने वे कहते हैं :

“ऐसे ही एक सुझाव को आसूचना ब्यूरो द्वारा गृह मंत्रालय को प्रदर्श ए-8 दिनांक 20-5-91 में भेजे गए अपने प्रस्ताव में व्यग्रता से दोहराया गया था। तथापि, अगले दिन, 21-5-91 को राजीव गांधी जी की हत्या तक किसी भी सुझाव को भूत रूप नहीं दिया गया। राजीव गांधी की नजदीकी सुरक्षा के लिए एन.एस.जी. कवर प्रदान करने के लिए 20-5-91 को किया गया यह प्रस्ताव, जैसा कि इसमें दर्शाया गया था और एम.के.

नारायणन, निदेशक, अंतर्मुखना व्यूरो ने अपनी मवाही में भी कहा है, चुनाव अधिक के दौरान उनके ज्ञान के प्रति बहुतों हुए खतरे को ध्यान में रखकर किया गया था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी तरह पृष्ठ संख्या 73 पर के.एन. ठाकुर जो संयुक्त निदेशक आई.बी. के हैं उन्होंने भी कहा कि :

“उनको खतरे के बोध के जो दृष्टक थे जैसे व्यक्ति द्वारा धारित सार्वजनिक सेवा के संबंधित तत्व और उससे उत्पन्न खतरा जिसका संबंध उस सेवा में न रहने पर भी बना हो। जहां तक व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से जुड़े हुए खतरे के प्रत्यक्ष बोध के आधार का संबंध है श्री राजीव गांधी के लिए प्रधान मंत्री का पद छोड़ने के बाद भी उतना ही गंभीर खतरा बना रहा जितने पहले था, उसमें केवल उतनी ही कमी हुई जितनी प्रधान मंत्री का पद छोड़ने के बाद भी उच्चतम श्रेणी—“जैड” प्लस और उससे भी अधिक थी। आई.बी. द्वारा खतरे की प्रत्यक्ष जानकारी के मूल्यांकन के अनुसार इस देश के सभी वी.आई.पी. व्यक्तियों में श्री राजीव गांधी को प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के बाद नम्बर-3 पर रखा गया था। श्री राजीव गांधी का यह वर्गीकरण लगातार खतरे की प्रत्यक्ष जानकारी के आधार पर किया गया था और यह उनकी हत्या के समय तक बना रहा। उस समय भी उनके लिए प्रत्यक्ष खतरे का बोध पूर्ण प्रधान मंत्री श्री वी.पी. सिंह से अधिक प्रोका गया था”।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह मेरी बनायी हुई चीज नहीं है। यह उन व्यक्तियों के रिपोर्ट हैं जिन्होंने भाकर वहाँ विद्यमान किया। यह रिपोर्टें मैं से है। वी.बी. कमीशन की रिपोर्टें मैं से पढ़ रहा हूँ।

5.00 P.M.

उपसभाध्यक्षजी, इसके बावजूद इन सारी चीजों के रहने के बावजूद भी साक्षर कौनसा कारण है कि विनोद पांडे ने, जो उस वक्त के कैबिनेट सचिव थे, मंत्रिमंडल सचिव थे, उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया और निर्णय में जो कुछ लिखा है, “क्या उनका थोड़ा कितना कम हुआ है या बड़ा

है।” उसकी कोई रिपोर्ट मंगवाई, कुछ उसकी पढ़ा या साधारण बातों में अपनी एक प्रधान मंत्री की रिपोर्ट को—अब चूंकि वर्मा कमीशन की रिपोर्टें में यहाँ अंकित नहीं है कि प्रधान मंत्री ने क्या लिखा—प्रधान मंत्री ने अग्रुव किया, पर प्रधान मंत्री ने क्या लिखा इस नोट पर, या सारा नोट विनोद पांडे ने लिखा लिया गया और उस पर खाली एक टिक मार्क कर दिया गया ?

श्री जार.के. धवन (मान्य प्रदेश) : मतलब यह है कि दस्तखत कर दिये।

श्री एस.एल. कल्लूबासिया : उन्होंने कोई पूछा कि किसके कारण यह हुआ है ?

श्री जार.के. धवन : अब यह भी प्रश्न उठता है कि अग्रुव लिया भी या नहीं।

श्री एस.एल. कल्लूबासिया : अब एस.पी. जी. की बिदलाचल करने से पहले थोट की प्रसेसमेंट की गई कि नहीं और अग्रुव की गई, तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है ?

अग्रुव की गई थी ती म. एन.के. सिंह और म. ए. के. ठाकुर का जो नोट है, जो वर्मा कमीशन के सामने उन्होंने रखा है, जिसमें वे कहते हैं कि अंतिम दिन तक, 21 मई तक, उनके मरते दम तक उनको थोट जो था, वह विवचना प्रताप सिंह से भी ज्यादा था, आश्चर्य की बात है कि क्योंकि इस प्रतिनिधि से मूलकी समझ नहीं आता कि उस पर वी.पी. सिंह के भी दस्तखत हुए या नहीं हुए, या विनोद पांडे ने अपने ही एकती-कगुटिव बाहर निकाल कर, उसको ही चलाने लगे क्योंकि इनकी सरकार में ऐसे ही चलता रहा है और हमें नुकसान यह हुआ है कि हमने एक राष्ट्र नेता खोया।

उपसभाध्यक्ष, जो, जब कई सवाल उठते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने, अभी जैसे हमारे अधिनियम सहित कह रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि सरकार को खबर भेजी थी कि वहाँ कोई भीटिंग न की जाए और उसके सिधे क्या सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, उसके बारे में (अधिनियम)



श्री संघ प्रिय गौतम : (उत्तर प्रदेश) तब तक आप हजरती बात कहें।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप धन्यवाद नहीं मैं आपको सटीक बातें कहूँगा, यथार्थ बातें नहीं कहूँगा। सटीक बातें ही मैं आपसे बताऊँगा।

श्री आर.के. भार्गव, जो उस वक़्त के गृह सचिव थे, उन्होंने कहा कि गृह सचिव के रूप में उनकी जानकारी के अनुसार तमिलनाडु की सरकार ने केंद्रीय सरकार से कोई सलाह नहीं माँगी और 21-5-1991 को राजीव गांधी के तमिलनाडु के बारे में संबंध में जो सरकारों में कोई अनियोजित बात नहीं हुई। मानव तथा व्यवस्था संबंधी मामलों के संबंध में उन्होंने तमिलनाडु के मुख्य सचिव तथा गृह सचिव के साथ प्रत्यक्ष क्रिया की है।

तत्कालीन गृह सचिव के इस बयान से प्रकट होता है कि उनकी प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार राज्य सरकार को थोड़े पृष्ठ आए, तो सलाह देने के सिवाय राष्ट्रपति शासन के बीजक कोई कार्य करना केंद्रीय सरकार का दायित्व नहीं है। प्रतीत होता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था से संबंधित किसी आवश्यक मानक में भी कोई पहल नहीं की गई क्योंकि उनकी जानकारी के अनुसार उनकी कोई ऐसी व्यक्ति या दायित्व नहीं था।

इसके कंदाकिरी शीक एक स्टेटोमैन्ट ए.के. ठाकुर का है। वह कहते हैं, जैसा कि प्रधान मंत्री का पद त्याग करने के बाद श्री राजीव गांधी के मामले में किया गया, वस्तु यह कि उनका सर्वोपरि दृष्टिकोण गृह मंत्रालय का होता है, जिनको उसमें संश्लेषण करने का पूरा अधिकार है, जैसा कि वह उचित समझे। गृह मंत्रालय की इस शक्ति का प्रयोग गृह सचिव करता है। यहाँ जब एस.पी.जी. विद्वहायल का हुआ, विद्वहायल के बारे में खतरे का एसेसमेंट भी नहीं हुआ।

और उसके बावजूद यह कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर हम एक तरफ कहा जा रहा है लास्ट 20 मई तक, एन.के. सिंह कह रहे हैं कि लास्ट 20 मई तक हमने कहा कि एन.एत. जी. दी जाए या एस.पी.जी. दी जाए, कोई न कोई

व्यवस्था की जाए, क्योंकि छोट असेसमेंट में देखा जा रहा है कि उनकी थोटी बनी हुई है। छपर से कह रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार द्वारा उनको पहले से आगाह किया गया था कि खतरा है। छपर से आई. बी. डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि उनको यह व्यवस्था दी जाए। संयुक्त सचिव कह रहे हैं कि व्यवस्था दी जाए, पर गृह सचिव कोई भी फैसला करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि यह गृह सचिव को यह सोच रहे हैं कि मैं इस फैसले में क्यों पड़ूँ, जबकि विनोद पाण्डे ने ऐसा एक डिसीजन ले लिया है और उसका ही अनुमोदन करते हुए वह भागे बड़ रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के बारे में बहुत कुछ बोला गया, वहाँ पार्टी के लोगों ने अभी वह अपवाल साहब कह रहे थे कि मि. दास वहाँ से एनान्स कर रहे थे कि जो भी आए माला पहनाए, मैं सदन के लिए बताना चाहता हूँ कि 280 पृष्ठ पर एम. के. नारायणन की एक रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वहाँ पर करीब एक दर्जन व्यक्ति जिनकी पहने ही जांच कर ली गई थी, श्री गांधी को वस्त्र, मालाएं भेंट करने के लिए लाइन में खड़े थे। विस्फोट उस समय हुआ जब वे संभवतः लाइन के चौथे व्यक्ति के पास पहुँच रहे थे। उस समय श्री राजीव गांधी के दाएँ बाएँ भिरी पेरुम्बुदूर में कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार श्रीमती मार्गम चंद्रमोहुर और संसद सदस्या श्रीमती जयन्ती भी थीं। उनके बराबर एस. पी. तथा एक पी.एस. ओ. मौजूद थे। जो विस्फोट में घुरी तरह घायल हो गए और मारे गए। उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि वहाँ मालाएं, यहाँ आई.बी. रिपोर्ट कहती है कि उनको चैक करके धाकायदा वहाँ सब दिया गया था, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वहाँ कांग्रेस की मीटिंग में सारा हतजाम ठीक नहीं था। यहाँ मैं बंदोबस्त पर आता हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बंदोबस्त उस दिन लगाना पड़ा था, बंदोबस्त में जो लिखा गया है, इनकी खतरा किससे था। राजीव जी को एल.टी.टी.ई. से खतरा था, खलिस्तानी कमांडो फोर्स से था जम्मू-कश्मीर की लिब्रेशन फोर्स से खतरा था, अलफा से खतरा था, राजीव जी को ऐसे जगहों से खतरा था जिनके पास माडर्न वैपन थे जिनके पास ऐसे वैपन हैं जो कि शायद हमारे डिफेंस में

भी नहीं हैं। उसका मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने जो बंदोबस्त लिया उसमें क्या बिछा। आगे क्या हुआ होगा और क्या उसके साथ आर्थिक होमा, सारे कपड़ों में ड्यूटी पर तैनात लोगों की छोड़कर सभी अधिकारी तथा व्यक्ति अपने काम-काजी कपड़ों में होंगे। अधिकारी चूंकि सारे कपड़ों में ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं, अपने साथ पहचान-पत्र सनद रखेंगे। केवल अधिकारियों के पास ही लोडिंग रिजल्टर होंगे। जबकि हैड कांस्टेबल तथा पुलिस कांस्टेबल के पास केवल उनके कंधे पर लाठियां होंगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप बताइये ए.के.-56 का या ए.के.-47 का मुकाबला क्या आप लाठियों से और लोडिंग रिजल्टर से कर सकते हैं। यह तो पुलिस बंदोबस्त का हाल है। यह कांजीपुरम जिला स्पेशल ब्रांच का कार्यालय है। चण्डीयन्ता पश्चिम जिला कांजीपुरम, दिनांक 20-5-91 को यह उन्होंने बंदोबस्त बताया है। इस सब से किसी रक्षा आप कर सकते हैं जबकि बारबार बोख-बोख कर, सिल्ला-सिल्ला का यहां होम मिनिस्ट्री का पुलिस विभाग का रहा है कि ओड अनेसमेंट के हिसाब से वह जो.पी.सिंह से भी ज्यादा खतरा बना हुआ है और सरकार-भूक वर्षक बन कर सो रही है, अधिकारी यूक-वर्षक या श्रोता बन कर सो रहे हैं। किसी ने इस पर कार्यवाही नहीं की। मुद्दा तो कुछ होता है उपसभाध्यक्ष महोदय, उस वक्त से जब विश्व नाथ प्रसाद सिंह ने अपनी एक जलन की भावना से उनके लिए एस.पी.जी. बिंदुका करने का कोई कारण नहीं था। मैंने बहुत सारे अधिकारियों से आप भी सुना है, बहुत सारे पोलिटोशियंस को आज भी सुना है जोकि यह कहते फिरते हैं कि साहब एस.पी.जी. से हमको यह तकलीफ थी कि उनके पास एस.पी.जी. पहुंच जाने से शायद उनको ज्यादा स्टेटस मिल जाता जो कि वह एक विपक्ष के नेता को नहीं देना चाहते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, इन चीजों पर अगर गौर किया जाये तो हमारे सामने सिर्फ एक चीज आती है कि हमारे यहां कोई आदमी किसी का खून कर दे तो उसको सजा-ए-मौत मिलती है और कोई खून करवा दे कांस्पिरेसी एक्ट में और कुछ करे तो उसको भी सजा मिलती है। इसके बावजूद नेता पारोप है हमारी अपनी सरकार से और मैं गृह मंत्री महोदय से कहता हूं कि इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद

या तो आपने अचरेशम में फेंक दिया है या आपके बाबुओं ने उसे पड़ा नहीं या मध्य गोडबोले जो कि विनोद बांडे के साथी रहे हैं, दोस्त रहे हैं और आर.के. भार्गव-इन्होंने गिनकर साजिश करके यह एक्शन टेकन रिपोर्ट बनायी है जो कि इन्ट्रिन्स में फेंकने लायक है। माननीय गृह मंत्री जो शायद आपने रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है और अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ें तो आपको सामने साजिश बजर आती है और उसमें से मैंने खुद आपकी रिपोर्ट में से पढ़कर सुना दिया है कि क्या कुछ अधिकारी चाहते थे और क्या कुछ अधिकारियों ने सफुल्लर भेजा और उसके बावजूद एक्शन रिपोर्ट में कहा कि नहीं साहब एबीएनई सेकुरिटी थी, सारा बंदोबस्त था। महोदय, आज कहा जा रहा है कि वहां कौन मारे गए, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं मारे गए, 14 पुलिस वाले मारे गए। आई अगर 14 पुलिस वाले मारे गए तो यह हमारा दुर्भाग्य है यह और यह हमारे देश के लिए भारी की बात है कि वह मारे गए हैं, लेकिन जब यह कहा जा रहा है कि वहां 12-14 आदमी लाइन में खड़े किए गए थे तो उसको जैक किया गया था? उपसभाध्यक्ष महोदय, वह एक न्यू टेक्नोलोजी थी हूमन बम की और अर्मा जिस तरह से आपको बेवकूफ बनाया गया दिल्ली एयर पोर्ट पर एक कम्पीर ने जोकि आपके हवाई जहाज को हायजैक कर के ले गया। प्लास्टर में रॉड डालकर ले गया। मेटल डिटेक्टर में आवाज आई तो कह दिया कि फ्रैक्चर है, रॉड पड़ी हुई है। वह चला गया और इस तरह आपके प्लेन को हायजैक कर लिया। आपके पुलिस फोर्स ने, खुफिया विभाग ने वह फिल्म "डेल्टा फोर्स-3" नहीं देखी थी जिसमें दिखाया गया है कि हूमन बम कैसे बनाता है? यह हायजैक का आइडिया भी एक फिल्म से लिया गया है। तो इन चीजों की कौन देखता है? आपका इंटेलीजेंस क्या करता है और अगर करता भी है कुछ अच्छी चीज तो उस पर फैसला क्या होता है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से सीधी मांग है कि इस रिपोर्ट पर गंभीर न बैठने पाए और महोदय इस रिपोर्ट की शुरुआत होती नहीं, अगर वह मारे नहीं जाते और राजीव गांधी मारे नहीं जाते अगर एस.पी.जी. बिंदुका

नहीं होती। तो ग्राबिटर कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है, वी.पी. सिंह और वी.पी. सिंह की सरकार जिसने विदाउट दिट असेसमेंट उसका विद्वान्मूल किया। महोदय, मुझे इस रिपोर्ट से समझ नहीं आ रहा है कि उसमें दस्तखत किए थे या नहीं किए थे? अगर नहीं किए थे तब भी वह जिम्मेदार है क्योंकि उसी की नाक के नीचे बैठे एक कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक एक्जक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया। महोदय, एक आम का गाछा भी काटो तो एनवॉयरनमेंट डिपार्टमेंट कहता है कि आम का गाछा मन काटो क्योंकि इसे तैयार करने में 10 साल लगते हैं। पीपल का गाछा मत काटो क्योंकि उसको तैयार करने में 20 साल लगते हैं।

मीम की गाछा मत काटो क्योंकि मीम साल लगते हैं। देश में एक राष्ट्रीय नेता पैदा करने के लिए तो सी-सी साल लगते हैं, किन्तु पिछले दस सालों के अंदर दो नेता कांग्रेस के मारे गए हैं। रेड्डी माहव, आप कहते हैं कांग्रेस में, मैं कहता हूँ और गर्व से कहता हूँ कि कांग्रेस में ही मारे जाते हैं। आपके नेता तो हाथ मिलाते हैं उन ताकतों के साथ, जो ताकतें विघटनकारी हैं, जो ताकतें पड़ोशकारी हैं, जो ताकतें देश का बंटवारा करना चाहती हैं, जो अलगवाद लागू चाहते हैं। जब आप सत्ता में रहे थे तो उनके साथ बैठकर कम्युनिज्म करते थे, डिसकशन करते थे, उनकी ऑनर करते थे। अगर समय होता, तो मैं कोर्ट करके बताता कि जब इस सदन में डाडा विल पास किया था तब आप लोगों ने क्या कहा था। मैं पढ़कर आपको सुनाता।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Will you finish now?

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): I request the hon. Vice-Chairman please, not to set a stringent time limit on such a matter which is of prime importance as far as we are concerned.

SHRI RAM DAS AGARWAL: You should have suggested this at the Business Advisory Committee. You were sitting there at that time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You see, we have to depend upon the time limit.

SHRI RAM- DAS AGARWAL: There has to be a time-limit for everybody. There cannot be an exception for anybody.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, there is already a request from us, from the Members of the Congress party and also from some of the Members of the Opposition that the time that has been allotted is only three hours. In the Lok Sabha they have been discussing it for more than six hours. Therefore, this being a sentimental subject, on which all the hon Members would like to express their views the time may be extended for this discussion.

SHRI YASHWANT SINHA: But it has to be for everybody, for all parties.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Obviously. It should be for everybody.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, Sir, I accept the proposal for extension of time. Let it be made applicable to everybody. It is important.

SHRI VISHVJIT P. SINGH- Thank you very much.

श्री एस. एस. ग्रहलुवालिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वर्मा कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स में जिन चीजों को बड़े मोठे शब्दों में स्वीकार किया है... (व्यवधान)...

श्री रामदास अग्रवाल : कितने बजे रात तक बैठना है ? क्या 12 बजे रात तक ?

SHRI V. NARAYANASAMY: Till everybody speaks.

SHRI DIGVIJAY SINGH- We can sit tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD SALIM) : We can sit till tomorrow. No problem.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : उपाध्यक्ष महोदय, वर्मा कमीशन ने सीधा यह आरोप लगाया है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था के कारण हुआ। अगर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होती तो शायद उनको बचाया जा सकता था। यह सीधा आरोप है। अच्छी सुरक्षा का मतलब क्या है? अच्छी सुरक्षा का मतलब था-एम्.पी.जी.। वह एस. पी.जी. विद्वत् किमने की? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। एक जलन थी इनके मन में। आपको अच्छी तरह से पता है, छोटी छोटी बातों के लिए जलन थी। मुझे एक वाक्या याद है। महोदय, प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद राजीव गांधी जी को विदेश जाने का एक मौका लगा और उसी पंक्शन में शायद मेरे ख्याल से हटने में पंक्शन था, उसी पंक्शन में आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह भी गए थे वहां पर डायस से एनाउन्समेंट करके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यहाँ से डायस से एनाउन्स करके इंग्लैंड यूएस किया था राजीव गांधी जी, कि-

"Here is Rajiv Gandhi, who is executive Prime Minister of India."

और, ऐसा करने से उनको तो वहाँ सांप सूँघ गया था और\*

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा रहेगा इस तरह से अगर आप व्यक्तिगत रूप से ऐसी बात न करें। ... (व्यवधान) ...

श्रीमती कमला सिन्हा : आप बात कीजिए तो सदन की मर्यादा के अन्तर्गत बात कीजिए।

SHRI S. JAIPAL REDDY Mr. Vice-Chairman, can all these things go on?

SHRI S. JAIPAL REDDY: If this is your tone, then all of us will react in the same manner.

\*Expunged as ordered by the Chair.  
Transliteration in Arabic Script.

SHRI RAM DAS AGARWAL: We win also change.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : सदर माहिब, मेरी गुजारिश है कि हमने इस बात को तसलीम किया है ... (व्यवधान) ...

[شری سکندر بخت : صدر صاحب میری گزارش ہے کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔]

SHRI S. JAIPAL REDDY: We have so far put up with this apporich I do not want to use strong words. Mr. Ahlu-walia, I challenge you to go and say this in the Patna bye-election and retain your deposit there. That is the place.

That is the place where these words will be put to test, but not in the Rajya Sabha. I challenge you to 30 and light in the Patna by-election.

SHRI S.S. AHLUWALIA : I know that.

श्री सिकन्दर बख्त : सदर माहिब, मुझे एक मिनट इजाजत दें। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि सब इसको तसलीम कर चुके हैं कि यह एक जज्बाती मसला है, हर एक को अपने ख्यालत का इजहार करने का हक है इस मिलमिले में। लेकिन इस जज्बाती मसले का जिक्र करते हुए यदि हम अपने अलफाज को काबू में नहीं रख सकते हैं तो हम इस जज्बाती मसले के साथ कौन सा इसाफ कर रहे हैं? इजहारे ख्याल करिए लेकिन अलफाज का चुनाव, अलफाज का इतख़ाव माकूलियत का होना चाहिए; तब तो इस जज्बाती मसले के साथ कोई इसाफ की बात है, लेकिन अगर यहाँ सड़क की भाषा बोली जाएगी तो यह कौन सा तरीका है जज्बात के एहतसाम करने का?

[شری سکندر بخت : مجھے ایک منٹ اجازت دیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب اسکو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ایک جذباتی مسئلہ

Transliteration in Arabic script.

ہے ہر ایک کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق ہے اس سلسلے میں۔ لیکن اس جذباتی مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے یہی ہم اپنے الفاظ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم اس جذباتی مسئلہ کے ساتھ کونسا انصاف کر رہے ہیں۔ اظہار خیال کرنے لیکن الفاظ کا چناؤ۔ الفاظ کا انتخاب معقولیت کا ہونا چاہئے تب تو اس جذباتی مسئلے کے ساتھ کوئی انصاف کی بات ہے۔ لیکن اگر یہاں سڑک کی بھاشا بولی جائیگی تو یہ کونسا طریقہ ہے جذبات کے احترام کرنے کا۔]

श्री सोमपाल: भन्ना आदमी तो सड़क पर भी नहीं बोलेंगा यह।... (व्यवधान)... यह देख लीजिए कि एक तरफ पब्लिसी जी अपील करते हैं कि सदन की एकता रहे, एक भाव से यह... (व्यवधान)...

श्री सिकन्दर बख्त: क्या आप इस किसम के जज्बात का एहताराम करके अपने जज्बात का एहताराम कर रहे हैं या जिस बख्त को याद कर रहे हैं, उसका एहताराम कर रहे हैं? अपने अल्फाज संभालिए।

†[شری سکندر بخت: کیا آپ اس قسم کے جذبات کا احترام کر کے اپنے جذبات کا احترام کر رہے ہیں یا جس شخص کو یاد کر رہے ہیں اسکا احترام کر رہے ہیں۔ اپنے الفاظ سنبھالئے۔]

श्री एस. एस. अहलुवालिया: अन्न भाषाओं का प्रयोग करना भी मुझे आपसे सीखना पड़ेगा?

श्री सिकन्दर बख्त: यत्नर सीखना पड़ेगा।

†[شری سکندر بخت: ضرور سیکھنا پڑے گا۔]

Transliteration in Arabic Script.

श्री एस. एस. अहलुवालिया: जो पार्टी बाजारों में, सड़कों में यह नारे लगाती है कि "बच्चा-बच्चा राम का, दाकी सब हराम का", वह भाषाएँ सिधायी मेरे को।

श्री अरवि प्रकाश गौतम: आप जान-बूझकर इस गलत को हल्का कर रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री रामशिव अग्रवाल: आप कौन होते हैं यह पत्र कहने वाले?... (व्यवधान)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया: बैठ जाइए।... (व्यवधान)...

श्री रामशिव अग्रवाल: आप कौन होते हैं मुझे / बैठाने वाले?... (व्यवधान)...

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): What is this nonsense?

... (Interruptions) ...

SHRI S. JAIPAL REDDY: To charge the then Prime Minister, Mr. Chandra Shekhar with having conspired to get Mr. Rajiv Gandhi murdered.. (interruptions).. At that time, Mr. Shiv Shanker was the leader of the.. (interruptions)...

SHRI SIKANDER BAKHT: Is it the.. (interruptions).. memory. Is it the language.... (interruptions)....

आपको तब नहीं आती बेहूदा अलफ इस्तेमाल करने के लिए?

श्री एस. एस. अहलुवालिया: मैं आने नेता की पुष्प सिंधि पर अट्रान्जलि यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: आरोप लगाने का तरीका होता है।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: आरोप लगाने का यही तरीका है। मैं पुष्पसिंधि सभा में यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ। आप लोगों ने वडियाली आसू बहाकर इसी अट्रान्जलि दी है, वह मुझे मालूम है और आप लोगों ने 21 मई को किस प्रकार सड़कों पर गुलाब की होलियाँ खेली थी, मालूम है मेरे को।... (व्यवधान)...

SHRI S JAIPAL REDDY : We will settle it at the polls. If you want to settle it in the streets or whichever place you choose, we are ready for it. *(interruptions)* . . Either street or polls, whichever way you do, we are ready.

SHRI ASHIS SEN (West Bengal) . Mr. Vice-Chairman.. *(interruptions)* ....

SHRIMATI KAMLA SINHA : Mr. Vice-Chairman, whatever, *(interruptions)*.. Mr. Ahluwalia spoke should be expunged from the proceedings .. *(interruptions)*..

SHRI S.S. AHLUWALIA : I will go to your constituency and speak there.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : सभ्यों का यह कहना था कि बहुत ही गंभीर मामला है। गौरवमय मामला है, इसे समय लेकर चर्चा करेंगे। आप आलरेडी समय एक्सीड करके बोल रहे हैं। हम चर्चा करना भी चाहते हैं, या वार्ड एक्शन डिस्कशन है, फुल डिबेट नहीं है। आप जब चर्चा में भाग ले रहे हैं, इतना सेंसेटिव मामला है, इस बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, आप जवाबदायी जब चुनें तो जरा खयाल रखते हुए अपने कथन का इजहार करें, दूसरों को टेम पड़वाने का काम न करें।

SHRIMATI KAMLA SINHA : Whatever unparliamentary words Mr. Ahluwalia spoke, should he expunged must be expunged from the proceedings.

SHRI S. JAIPAL REDDY : I want somebody from the Congress party who is responsible to rise and say whether we should remain in the House or go. Then, he can speak. We will go.

SHRI S.S. AHLUWALIA : That is up to you

SHRI S. JAIPAL REDDY : Because we cannot listen.. *(interruptions)*....

SHRI S. S. AHLUWALIA : If you.. *(interruptions)*.. ex-parte judgement.

1098 RSS/94—24.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Ahluwalia, you restrain yourself.

समय के धारे में भी और जवाबदायी के बारे में भी आप जरा सोचने लें !

(स्ववधान) !

SHRI S. JAIPAL REDDY : Let somebody on behalf of the Congress party. . *(interruptions)*.. Let there be a final settlement.

SHRI YASHWANT SINHA: When Mr. Suresh Pachouri was speaking, there was quiet and peace in this House. He was levelling charges. He was putting this across but in a language which could be heard, which could be tolerated. Now, it is a serious matter. Let us all discuss it in the spirit in which this discussion has been sought by all Members of the House cutting across party lines.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): This is> what is expected.

SHRIMATI KAMLA SINHA: What about expunging is remarks ?

श्री संघ प्रिय सौम्य : उसे एक्सपेंज करना चाहिए।

SHRI S. JAIPAL REDDY : Unparliamentary reference to. *(interruptions)* . . should be expunged.

SHRI S.S. AHLUWALIA : There is nothing unparliamentary. You bring a dictionary of unparliamentary words.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं है और वह उपस्थित भी नहीं है, तो उन लोगों के नाम लेकर जो कुछ आपने कहा है, वह एक्सपेंज हो जाएगा।

श्री जगदीश प्रसाद साधू : श्रीमान्, जहाँ तक नाम लेने का सवाल है, उस समय के प्रधान मंत्री यशवन्त प्रसाद सिंह का नाम इन्होंने लिया है (स्ववधान) ! वह उनका नाम नहीं है (स्ववधान) !

श्री एस. एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह ग. कह कर \* कहता हूँ। वह उनका नाम नहीं है।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : यह आप क्या कह रहे हैं। आप किसी के नाम के लिए ऐसा कह कर सकते हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : यह कोई तरीका थोड़ा है, जो आपकी मरजी होगी वैसे बोलेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : मि. अहलुवालिया, आप जरा सदन की सजावटों का तो ध्यान रखें।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमन्, देखिए, क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम\* लेना उचित होगा। अगर मैं राजीव गांधी का सदन नाम लूँ तो आपको कैसा लगेगा? हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं ... (व्यवधान) ...

श्री सिकन्दर खत : फिजूल बातें कर रहे हैं यह, यहाँ पर।

[شری سکندر بخت : فضول باتیں  
کر رہے ہیں یہ یہاں پر۔]

SHRI S.S. AHLUWALIA: Okay, I will not speak if this House does not want to listen to me. If they do not want to listen to these things, if they do not want me to speak, I can withdraw myself. There is no problem. (Interruptions).

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu): This House is not for any individual. The House should be respected. It is not an Individual's problem. (Interruptions).

श्री राय नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मेरा आग्रह है कि इस सदन में जो ऐसा मामला हो

\*Expunged as ordered by the Chair.  
Transliteration in Arabic Script.

गया है, इसको ध्यान में रखते हुए मेरा इधर के सदस्यों से भी और अहलुवालिया जी से भी जो कह रहे हैं कि मैं बाहर चला जाऊँगा, मैं कहना चाहता हूँ कि फिर भी सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए वह अपनी बातों को जारी रखें तथा कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे। ... (व्यवधान) ...

श्रीमती कमला सिन्हा : आग्रह आप मर्यादा की बात करेंगे। ... (व्यवधान) ...

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, you have already given your ruling. Let him continue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Yes, continue, Mr. Ahluwalia. Continue and try to be brief.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे बाहर जाना है। ... (व्यवधान) ...

एक सम्मानित सदस्य : ओ.के. ...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : हाँ, आप तो भेज ही दोगे। ... (व्यवधान) ... क्या पटना-गटना चिल्लाते हो, आप। पटना के रिजल्ट देख ले, बी.जे.पी. जीत रही है वहाँ पर। घबराओ नहीं। ... (व्यवधान) ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप वहाँ क्यों तार रहे हैं? ... (व्यवधान) ... आप तार रहे हैं, यह खुशी की बात है। ... (व्यवधान) ...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात है, रोप मेरे दिल में है, मेरे साथी लोग नाराज होते हैं, ठीक है। परन्तु मेरे व्यवहार से ये अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं किसी के दिल में चोट लगाने के लिए कुछ नहीं कहता हूँ। ... (व्यवधान) ...

श्रीमती कमला सिन्हा : इतनी गलत भाषा का प्रयोग करते हो आप।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : वहन जी, जरा चुप रहिए। इस भाषा का इस्तेमाल मैं रोज करता था और आप सुनती थी। ... (व्यवधान) ...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mrs. Margaret Alva has staged a walk-out as a protest against the language used by Mr. Ahluwalia.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा इतना ही कहना है कि इस सदन में जिस वक्त श्रद्धांजली दी जा रही थी, सबने अपने-अपने आंसू बहाए थे और बड़ी-बड़ी बातें कही थी। परन्तु दुःख इस बात का है कि जब हम इस रिपोर्ट को देखते हैं तो हर चीज पर हमारा प्रश्न चिन्ह एक ही तरफ जाता है कि आखिर मौत क्यों हुई, हत्या क्यों हुई ? हत्या क्यों हुई—वह एस.पी.जी. विवक्षा करने के कारण हुई। तो आखिर, दोषारोपण हम क्यों और किस पर करें ? जिने एस.पी.जी. विवक्षा किया था, उसी पर दो दोषारोपण करेंगे न ?

श्री दिग्विजय सिंह : कानून ही ऐसा बनाया। तो ऐसा ही कह दें।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उसी पर दोषारोपण करेंगे और अगर उसी पर दोषारोपण करें और उसके बाद मैं अपनी सरकार से भी मांग करूँ कि यह एक्शन टेक्नि रिपोर्ट हमें दी गई है, यह क्या है ? यह क्या मंत्री महोदय ने देखी थी, केबिनेट में प्रस्तुत हुई थी, क्या लोगों से विचार किया गया था, न कि इसी पर नीपापोती करने के लिए रिपोर्ट पेश की गई। आखिर, ऐसा क्या था ? महोदय, आपके माध्यम से मेरी सीधी मांग है कि जो तीन जवाब उन्होंने दिए हैं—एक, उनकी अपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के कारण यह हत्या हुई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? एक कि एस.पी.जी. में उनकी अपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के कारण यह हत्या हुई। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? उनकी जिम्मेदारी कहाँ ठहरी गई और उसके लिए क्या कोई केबिनेट कमेटी या कोई दूसरी कमेटी बैठने जा रही है इस पर विचार करने के लिए या कोई केस करने जा रहे हैं ? जिन अफसरों के खिलाफ कार्यवाही हुई है उसका व्योरा बता दीजिए। आप लोगों के कहने पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 3 मई को एक कमेटी बनाई है, हाई पावर कमेटी बनाई है यह विचार कर रहे हैं। क्या आपने कोई यहाँ पर एक पावर कमेटी बनाई है जो उस वक्त के गजनीति द्वेषपूर्ण इस आदेश को पास करने वाले

नों के साथ कौन थे, इसकी देखे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

महोदय, मैं इतना जानता हूँ कि मौत की सजा मौत होती है... (व्यवधान) अगर कोई किसी का खून करता है, फरमान जब आता है तो उसकी फाँसी पर चढ़ाया जाता है और वह हुंसा था जब केहरसिंह को फाँसी पर चढ़ाया गया इंदिरा जी की हत्या के लिए। उसने तो गोली नहीं चलाई थी। उसमें साजिश को थी। केहरसिंह फाँसी पर चढ़ा है तो ये कौन लोग हैं जिनके मलत निर्णय के कारण राजीव गांधी की हत्या हुई है ? कौन है इस साजिश के पीछे ? तो मेरी मांग है आपसे मंत्री महोदय, कि जिने भी यह एच.पी.जी. विवक्षा की थी, अगर उसकी मलतो है, उसको भी फाँसी पर चढ़ाया जाए। अगर वह विश्वनाथ प्रताप सिंह हो वह चढ़ें, अगर वह विनोद चन्द्र पाटे हो वह चढ़ें, अगर वह मोधय गोंडवोले हों वह चढ़ें, एक-बाई-वैड जो कोई भी दोषी हो उसे फाँसी पर चढ़ाया जाए... (व्यवधान) तभी शांति हो इस देश में, तभी आप जस्टिस देंगे... (व्यवधान)

श्री संचय प्रिय कीर्तन : आपने कांग्रेस पार्टी के नाम नहीं लिए... (व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया : जिन लोगों ने एस.पी.जी. विवक्षा की थी उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और ये साफ जवाब मुझे चाहिए आपसे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर न्याय देना चाहते हैं इस रिपोर्ट को न्याय देना चाहते हैं तो जो विरोधी पक्ष में लोग बैठे हुए हैं, राज्यसभा लाइब्रेरी से उस दिन की कार्यवाही की रिपोर्ट भी मंगवा लीजिएगा जिस दिन हमने राजीव जी की श्रद्धांजलि दी थी और उसकी भी पहिना जो उस वक्त इन्होंने कहा था और आज ये जो कहेंगे, उसमें भी फर्क है उसे जरूर देख लीजिएगा।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपका गृह मंत्री ना है ? आपके गृह मंत्री का स्टेटमेंट तो दोषपूर्ण जो पहले दिया उन्होंने उसमें मैं। यह तो अपने घर की जलाई... (व्यवधान)



श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैं तो उन्हीं के खिलाफ बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ ? सुन कहां रहे हैं आप ... (व्यवधान) माधुरसाहब, घर की लड़ाई की बात नहीं है, न्याय की बात है। जिस दिन आपके साथ न्याय हुआ है, अहलुवालिया खड़ा हुआ है। यह बात गलत हो तो आप बोलें गलत है ... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माधुर : 25 फरवरी को लोगों को मारा गया था। उस दिन खड़े हुए थे आप ... (व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मेरी बात सीधी है कि इसको गंभीरता से लीजिए। इसको ऐसे मत छोड़िए। नहीं तो जिस तरह से मैंने कहा है एक व्यक्ति को पैदा करने के लिए 30-30 साल लगते हैं लेकिन एक राष्ट्र-नेता को पैदा करने के लिए 100-100 साल लगते हैं। सो साल में एक राष्ट्र-नेता पैदा होता है। हम दो राष्ट्र नेता खो चुके हैं उस खल के कारण। वह जो भूलें हुए हैं उनका किस तरह से हम सुधार करके भविष्य में अपने राष्ट्र-नेताओं को रक्षा कर सकेंगे ? चाहे वह प्रधानमंत्री हो या कोई ओर हो। राष्ट्र-नेता तो राष्ट्र-नेता होता है। उसकी रक्षा कैसे हो, इसकी व्यवस्था हमें करनी है। कल को ग्राइवाणी जी पर खतरा आ सकता है, वाजपेयी जी पर खतरा आ सकता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह को तो दिक्का पड़ा है एस.पी.जी.।

तो इसलिए मेरी मांग है कि इस पर तुरंत कार्यवाही हो। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसका जवाब वह यह न दें कि जो उन्होंने कहा है वह ठीक है। ठीक है तो समझ में आ रहा है। उस पर कार्यवाही क्या करने जा रहे हैं, ऐक्शन प्लान बनाकर कितने दिनों में कार्यवाही करिएगा और कैसे इन के खिलाफ केस दर्ज करिएगा उस

SHRI S. JAIPAL REDDY : Mr. Vice-Cha

rman, I find it difficult to speak after the magniloquent speech of Mr. Ahluwalia. The and the organisers of the public meeting at ghastly assassination of Mr. Rajiv Gandhi was Sriperumbudur participated in the proceedings undoubtedly a tragedy of the first magnitude, but their lack of coordination almost upto the but that sense of tragedy which has historic end of the proceedings produced hardly proportions

should not be compounded by petty, partisan propaganda points. I am afraid, this has been done today on an unprecedented scale. Now the Home Minister made a statement while placing the Report on the Table of the House. I would like to know how serious this Government is about this Report. If it was serious, would it have taken ten months to place this report on the Table of this House? It was submitted in June, 1992 and after ten months this was placed on the Table of the House. Under the Commissions of Inquiry Act, the outer limit is six months. Mr. Minister of State for Internal Security, the outer limit is six months. This shows that you were never bothered about this. This betrays your casual, cavalier approach to the entire issue. Now this is after the Commission Report was submitted. What did you do when the Commission was looking into the matter, Congress-I, AICC(I), was the last organisation to appear before this Commission. Nov. let me quote from the Commission— I am sure Mr. Rajesh Pilot has not had the time to read this. On page 9 it says :

"It is significant that in spite of a notice issued to the All India Congress Committee (I), it chose not to file any statement of facts relevant for the purpose of this inquiry and a highly belated appearance on behalf of the AICC(I) was made on November 16, 1991."

Only four months after the assassination of Mr. Rajiv Gandhi, did the AICC (I) appear before the Commission even though the first hearing. . . (interruption) .. Yes, I stand corrected. Even though the first hearing was on October 7, 1991 after issue of a public notice.

"The Tamil Nadu Congress Committee (I) and the organisers of the public meeting at Sriperumbudur participated in the proceedings undoubtedly a tragedy of the first magnitude, but their lack of coordination almost upto the but that sense of tragedy which has historic end of the proceedings produced hardly proportions

any tangible benefit. The apathy of the AICC(I) and the dissension between the TNCC(I) and the organisers deprived the Commission of the assistance which it could legitimately expect from the Congress (I) Party in the task. It appears from the evidence that this factor also contributed to the lack of co-ordination between the organisers and consequently the liaison with the police force in making the arrangements for the meeting at Sriperumbudur on May 21, 1991."

"It was reasonable to expect that the Congress (I) Party would assist the Commission by pointing out at least the deficiencies in the security system prescribed for Rajiv Gandhi, of which they would be aware, but this assistance also it failed to render. The AICC(I) even after its belated appearance had nothing can do to say or suggest. It was indeed the fairness of the Attorney General of India and the Advocate General of Tamil Nadu who ensured production of the relevant Government records in compliance of the Commission's directions, which brought before the Commission even the documents containing the protest lodged by P. Chidambaram against reduction in the level of protective security to Rajiv Gandhi. Surely, this fact must have been known to the AICC(I) and they should have realised its significance in this inquiry. The ambience of the Congress (I) Party and the manner in which it chose to participate in the proceedings of the Commission is indeed striking."

There could not have been a more ringing indictment of the attitude of insouciance and indifference that the AICC(I) adopted towards the task of the Commission. It should not, therefore, lie in the mouth of the Congress (I) Members to berate anybody about the neglect towards the security of Mr. Rajiv Gandhi.

Now, frequent references have been made to the SPG. I am not able to understand how this word 'withdrawal' is being often used. Under the SPG Act, the protection of the SPG was meant only for the office of Prime Minister. I was a Member of the 11th Lok Sabha. I can quote from the debates in which I participated when I said that such an act for a single individual or single office is unprecedented and unparalleled in the democratic annals of the world; the office of the President of America is taken care of by a certain wing which is a part of a general agency. I can cite from my own speech which I delivered at that time. But I don't want to waste the time of the House.

Let me now refer to the indifference of the Congressmen! which the Commission commented upon. I draw the attention of the Minister to page 79. I quote :

"An attitude of intransigence of the Congress partymen and organisers, their concern being only to encash Rajiv Gandhi's visit to improve the election prospects remaining apathetic to his security needs.;

Lack of co-ordination between the candidate M. J. Chandrasekhar and the TNCC(I)."

I would like to ask Mr. Ahluwalia and his friends whether Ms. Chandrasekhar and Mr. Ramamurthy would be hanged for this lack of co-ordination ?

"Total lack of co-ordination between the police and the organisers due to absence of proper liaison. Failures attributable to the organisers which contributed to ineffective access control were : erection of single barricades and that too inadequate in front of the rostrum and no barricades behind the rostrum; inadequate lighting behind the rostrum where gathering of people and

their movement was uncontrolled; parking of cars within the venue and also behind the rostrum; bringing in people described as party-meas whose presence in the sterile area was not necessary; free movement of persons in and out of VIP Press enclosures and between them from behind the rostrum; erection of VIP Press enclosures within the sterile area : performance of the music programme of Shankar Ganesh music party on the same dais from 7.30 p.m. till almost the arrival of Rajiv Gandhi; general disorder at the venue throughout; and choice of unsuitable venue for the public meeting by Mr. Chandra-sekhar in preference to the school ground available nearby with provision for a separate entrance for the VIP."

These were all the findings of the Commission against the AICC(T) and the TNCC(I). To cover up these gargantuan failures, you are levelling stupid, fantastic, allegations against leaders of national stature. Now, what did the Tamil Nadu police say about the Congressmen in Tamil Nadu ? Let me draw your attention to Page 27. In sum, the submission of the learned Advocate-General was that lapses and deficiencies, disclosed in evidence are attributable to the Central Government, namely, the Ministry of Home Affairs, the Intelligence Bureau, the organisers and the Congress partymen. The report records "Shri Vaidyanathan was critical of the role of the AICC for its delay in finalising and communicating the tour programme of Rajiv Gandhi giving very little time to the organisers and the police force to make the arrangements in spite of its awareness of the threat to Rajiv Gandhi requiring proper security arrangements." He goes on to damn Mr. Ramamurthy, Mrs. Chandrasekhar, Mr. Dass and all others. Why did not one Congress Member speak about this ? Now, let me refer to the position taker, by the former Attorney-General, Mr. G. Ramaswamy, who cannot be accused of any sympathy towards the Janata Dal or antipathy to-

wards the Congress (I). I am I think, relying upon the standard figure of speech in English called 'under statement' while I am referring to the former Attorney-General Mr. G. Ramaswamy. let me refer to the report "The learned Attorney-General contended that SPG cover could not be given to Rajiv Gandhi since the same was meant only for the Prime Minister (ill the amendment to the Special Protection Group Act in September, 1991. to cover also former Prime Ministers and their immediate family members". This Attorney-General said that so long as the SPG Act was not amended, this was not possible. Therefore, the question of withdrawal does not arise. If Mr. Venkatraman ceased to be President, his exit from Rashtrapathi Bhawan would be automatic. Nobody can say that he was thrown out of Rashtrapathi Bhawan. Then, I would like to make one point which has already been made by other friends and, that is this [ .  
*Interruptions.*

SHRI V. NARAYANASAMY • Sir, normally, such kind of words are not used when there is any reference to hon. President of India. This has been the convention of the House. Such words "throwing out the President" etc. are unwarranted.

That does not mean that you can refer to him when he was not holding the office.

SHRI S. JAIPAL P.EDDY : Sir, I am prepared to get my expression amended by you. I am prepared to withdraw any expression that might offend the high cultural sense of Mr. Narayanasamy and friends of his like.

The point I am trying to make is that laws come into automatic operation. If the SPG cover was extended to Mr. Rajiv Gandhi up to the first week of January, 1990, that extension was illegal. The question of withdrawal does not arise.

Anybody who has a minimal command over grammar would understand this. It does not need much of common sense. I would like to say, if the Congress-I was dissatisfied with the security extended to Mr. Rajiv Gandhi by the Government of National Front, it is understandable. Even Mr. Kamapati Tripathy made an issue of it sometime in January, 1990. Mr. V.P. Singh continued to be the Prime Minister until the first week of November. Show me one statement made by any leader of the Congress between February, 1990 and November, 1990. The absence of any protest during this protracted period indicates only one thing and nothing else. That is this : the Congress was satisfied with the security arrangement for Mr. Rajiv Gandhi. If it was not satisfied, what prevented the Congress-I from requesting the Government of Mr. Chandra Shekhar to amend the Act and extend the SPG cover to Mr. Rajiv Gandhi ? I live now. I have a very wide ranging political differences with Mr. Chandra Shekhar. As I know him personally, I can state without any hesitation that he would have extended the SPG cover by amending the Act if only a request had been made in writing or orally. Did anybody make that request? Why did they not make such a request? The only inference that is possible under the circumstances is that you were completely satisfied with the security that was then being made available to Mr. Rajiv Gandhi.

Let me refer to Mr. M. K. Narayanan, who was the Director of the IB when Mr. Rajiv Gandhi was the Prime Minister, who again became Director of the IB after Mr. Chandrasekhar became the Prime Minister. I have enough evidence to believe that he was made the Director of IB at the instance of the Congress-I party. Mr. M.K. Narayanan was and has been one of our most outstanding intelligence officers and he was also passionately loyal to Congress-I and Mr. Rajiv Gandhi and he was the Director of the IB when this ghastly incident took

place. But the Commission in my view ended when it made a very harsh comment on such an officer. Mr. M.K. Narayanan was given the Padma Shree after you came back to power again. About Mr. M. K. Narayanan, what does the Commission say? I am drawing your attention to a para on page 25:

"The Commission is left with the impression that the Director of the Intelligence Bureau, Mr. M. K. Narayanan, was not satisfied with the security arrangements for Rajiv Gandhi and was apprehensive of the safety. But, for some undisclosed reason, he was ineffective and he has chosen to maintain silence even now. If this impression of the Commission be correct, such disability in the holder of the high office is disturbing. Its cause needs to be discovered and eradicated for the health of the polity."

I would like to ask whether they are going to get Mr. M. K. Narayanan landed for this indictment.

Now, my friend, Shri Ahluwalia, made a very good point against a number of stupid points.

SHRI YASHWANT SINHA : Is it parliamentary ?

SHRI S. JAPAL REDDY : I am not saying he is stupid, but his points are stupid. After all it is not possible for anybody to indulge in sustained nonsense. Since he deviated into it since, I am referring to one of these lucid intervals of Mr. Ahluwalia. He referred to a movie called the "Delta Force" which was produced in 1990, whose video cassettes were available in India and, in that movie, the human bomb was the technique shown. Our Intelligence could not pick up this point. I have gone through all the circulars sent by the Intelligence Department

and the Home Ministry. In none of these circulars there is even a remote reference to the technique or the phenomenon of human bomb. And now, even after the assassination of Mr. Rajiv Gandhi, the Verma Commission says that we have not learnt any lessons.

The Verma Commission got experimental studies made of the security arrangements made *for* the present Prime Minister, Mr. P.V. Narasimha Rao, the former Prime Minister, Mr. V. P. Singh, after the SPG was extended to him, and to Shri L.K. Advani, and the experimental studies indicated serious lapses in the security arrangement for all these three leaders. The Commission says that even after the assassination of Mr. Rajiv Gandhi, we as a system, we as a Government, have failed dismally to learn any lessons whatsoever.

The Commission also refers to another interesting and disturbing incident. In November 1992, an incident took place when the State Police of Maharashtra did not allow the National Security Guards to play their part in the security that was to be provided to the PM. It appears as though we are incapable of learning lessons like the French Bourbons who would learn nothing and forget nothing. But we have to learn to forget political and administrative lessons from these tragedies.

Our friends were objecting to the non-extension of SPG cover to Mr. Rajiv Gandhi. I would like to put one question to Mr. Rajesh Pilot. Why was SPG cover not extended to Mrs. Sonia Gandhi until the Act was amended? Repeated demands were made by Members from all sides that enough SPG protection must be given. We stood up in our seats and said that if necessary the SPG Act must be amended in the light of the shattering experience that we had. And the Government took so many months to amend the Act. And during that period, you could not extend the SPG cover to

Mrs. Sonia Gandhi, you could not extend SPG cover to Mr. Chandra Shekhar or Mr. V. P. Singh. And when you brought forward the Amendment, that amendment was meant only for Mrs. Sonia Gandhi. I do not grudge it. She needs it, she deserves it. But then you grudgingly added two other former Prime Ministers to the list. You please go through the proceedings of the Bill. So, would Mr. P.V. Narasimha Rao be hanged for not having extended SPG cover to Mrs. Sonia Gandhi between the day of his swearing in and that amendment to the SPG Act? Who will be hanged for this failure? Fortunately, no tragedy took place.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : Mr. Jaipal Reddy, will you please yield for a minute? You wish to continue? If the House agrees, I request Mr. Ram Naresh Yadav to occupy the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Ram Naresh Yadav) : In the Chair.

SHRI S. JAIPAL REDDY : I am deliberately using the word 'hanging' because hanging is the only punishment for all the judgmental errors, managerial lapses, and administrative failures.

Now, let me refer to Mr. Vinod Pande. I am not able to understand one thing. I have got great respect for Justice Verma. He did an excellent job. I do not know why Justice Verma did not deem it fit to call Mr. V.C. Pande. He could have been called as a witness. In my view, it was a lapse on the part of the Commission. I am not accusing the Commission of mala-fides. No. Everybody commits judgmental errors. It could be one such error.

Then I would like to draw your attention to the fact that you had a Congressman as Tamil Nadu Governor. What was he doing? And it was you who chose that Governor. And he

the Governor. And this tragedy took place when he was the Governor. Where is the question of hanging, he has not even resigned. Will you at least ask him to resign as the first follow-up step?

Now I would like to say something about our VVIPs. This Commission Report itself refers to one circular issued by the Intelligence Department, according to which Mr. Rajiv Gandhi was not conforming to security discipline. I know from the way Mr. V.P. Singh functions that he also does not conform to security discipline. Our VVIPs should not merely demand security arrangement but they must also take care to conform to the stringent parameters of security discipline.

If, in the course of the elections, our leaders get excited and reach out to the people, this SPG cannot save the leaders. We know what happened in Sri Lanka recently. The President of Sri Lanka was killed, and one week before that, Athulath-mudali, his main rival, was killed. The whole island has been rendered leader-less. So, don't think that these things cannot happen again. Therefore, we will have to sensitise our own WIPs to the requirements of the new security environment.

And now coming to the question of sensitisation, I would like to say that sensitisation is far more important than sterilisation. Through expressions like access control, proximate control, you are only talking of sterilisation. You are not mindful of the role played by the element of sensitisation. The leaders of our respective parties at various echelons should be sensitised to security requirements of our VVIPs. In all our parties—I do not exclude the BJP which claims to be a cadre-based party—our workers and leaders at lower levels get swayed by enthusiasm and ignore security considerations of their leader. Therefore, we, in our respective parties, should be able to educate our cadre\*. The tragedy of Mr.

1098 RS/94—25.

Rajiv Gandhi's assassination shows that the Congress-I leaders were not sensitive enough in this respect. I do not blame Mrs. Maragatham Chandrasekhar or Mr. Ramamurthy for this reason. Their errors, if any, were absolutely bonafide. They were committed in good faith. Therefore, what are the lessons we as a polity should draw from this tragedy? If we use this occasion to score partisan points, I am afraid, we are only compounding the tragedy and we are (saving the way for new tragedies. I earnestly request everybody to rise above partisan lines. I would request some Members of the Congress-I to rise above factional lines also. This debate appears to be motivated more by factional considerations than by party considerations. Our party can take care of itself. Our leader, Mr.

V. P. Singh can take care of himself. It is not we who asked the Chief Election Commissioner postpone elections in Palani or in Ottapalam. It is not we who are going to lose the deposit in Palani by election. Therefore friends, take care of your house. You are sitting on a volcano. But the tragedy is, you are not aware of the fact that the whole country is sitting on a volcano. You must take collective steps to defuse the tension. Somewhere in the report, Mr. Verma, in an admirable way, refers to the atmosphere that can be evocatively created by the moral authority of persons like Mahatma Gandhi and Jayaprakash Narayanan. Do we have such people? Shall we not make a conscious, collective and concerted effort to see that an atmosphere of dialogue is created and that atmosphere of confrontation is at least defused? In an atmosphere of confrontation, we have seen in the last few years, no issues can be discussed. So, my appeal is that this tragedy will not have gone in vain if we draw right lessons for our polity and our society.

We cannot afford this kind of approach when our society is sinking and when our polity is sinking. Thank you.

SHRI V. NARAYANASAMY : Mr. Vice-chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity.

Sir, I was hearing with rapt attention to the speech of Shri Jaipal Reddy who tried to turn the table on the Congress (I) side, blaming the Congressmen of Tamil Nadu for all the lapses.

Here, I would like to give a little background to the whole thing. All of us know fully well about the situation that was prevailing in Sri Lanka how the Tamil Eelam issue was being raised by the militant groups there, how they took asylum in Tamil Nadu, and which were the political parties in Tamil Nadu that were giving them all protections when they were in power. We know also how, using Tamil Nadu as their base, they were waging a war in Sri Lanka against the Sri Lankan Government. Then, as you know, the Indian Government and our beloved leader, Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi had to intervene for the purpose of bringing about an amicable settlement in Sri Lanka.

No doubt, the agreement was signed, the Indo-Sri Lankan Agreement, for the purpose of bringing about a settlement to the ethnic issue. It was also agreed to by the LTTE. Thereafter, they retracted, from their position. They took upon themselves that it was Shri P. V. J. Gandhi, our leader and hon. Prime Minister, was responsible for the sending of the IPKF. They created law and order problems in the Tamil-dominated areas of Sri Lanka for which Shri Rajiv Gandhi was responsible, according to them. Therefore, they decided to take revenge upon Shri Rajiv Gandhi. They selected the right time the right moment and the right place for the assassination of our leader. According to newspaper reports and also the findings of the investigation, they tried in several places, but they could not succeed. Ultimately, they selected Sriperumbudur

On that tragic day, i.e. 21st May, 1991, when Shri Rajiv Gandhi arrived at the meeting venue, a lot of people, Congressmen, who came there to attend the meeting, out of enthusiasm and curiosity to see their leader, surged forward in the crowd. Then the lady, the human bomb, who claimed to be an innocent woman, operated the switch which she was holding in her hand and our leader was brutally killed. The Verma Commission went into this in detail. After examining all the witnesses in this case, it fixed responsibility on the Central Government, the State Government, and also on the Tamil Nadu Congress (I) Committee. The Commission made some recommendations to the Government.

Now, Sir, one has to see the root-cause. Why did this assassination take place? Who were responsible for it? Why did the LTTE take the decision to assassinate Shri Rajiv Gandhi at Sriperumbudur? Hon. Members from our side have elaborately discussed about it and cited the reasons behind it. Particularly, I would like to mention here that if Mr. V. P. Singh, the then Prime Minister, had not taken the decision on 30th January, 1990, to withdraw the SPG cover to Shri Rajiv Gandhi, the brutal assassination of our leader would not have taken place. No amount of arguments put forward by Shri Jaipal Reddy is going to convince us. He was saying: 'Why did you (to) ask Mr. Chandra Shekhar to amend the Act? Why did you not ask for security cover to Shrimati Sonia Gandhi, the former Prime Minister's wife, and other family members?'

All these arguments cannot hold good for the simple reason that the decision to extend the SPG cover to Shri Rajiv Gandhi and his family was taken considering the immediate threat perception that was there for Shri Rajiv Gandhi and his family.

Sir, Shri Jaipal Reddy wanted to compare Rajiv Gandhi with other leaders, I also respect other leaders, but according to the Verma Commission recommendation, if you go through it, it is very clear, quite categorical that next to the President of India and the Prime Minister, Rajiv Gandhi came in the third category—Z plus. One should not forget that. You simply cannot ignore the fact that Rajiv Gandhi was mainly responsible for keeping the country together and he faced several challenges after the death of Shrimati Indira Gandhi, the former Prime Minister. There were problems in Assam, Jammu and Kashmir, Punjab, North Eastern States and also in some parts of Tamil Nadu. As Prime Minister of this country, as a statesman, as a true nationalist and a great leader, he faced those challenges and tried to solve those problems. Naturally, when any national leader is trying to solve certain problems, there would be some people affected by that. They will definitely have a grudge against that leadership. This is quite natural in any country. Therefore, looking to the immediate threat perception that was there for Rajiv Gandhi, for heaven's sake, do not compare him with other leaders. One has to accept realities.

Sir, there are umpteen number of IB reports to the effect that SPG cover was the only protection for Rajiv Gandhi because not only he was the Leader of the Opposition, not only he was the leader of the Congress Party, but the immediate threat perception to him was more than to anybody else in this country. It is not a question of technicalities, it is a question of the life of the national leader, who spent his life-time for the unity and integrity of this country.

But, Sir, strange arguments are coming forth from the other side. It is said, "Why did you not make an amendment?"\* I would like to tell the hon. senior Member, Shri Jaipal Reddy, that when Shri

V. P. Singh was ruling this country, we made a specific request in this House and he was the one who made a claim along with other hon. colleagues on this side that the SPG Act should be amended to provide protection to Shri Rajiv Gandhi who had an immediate threat perception. Shri Jaipal Reddy was not a Member of this House at that time, it is on record. We made a categorical demand. But I am pained to say in this august House that even after the death of our great leader, Shri Rajiv Gandhi, they have not learnt the lesson. At that time when we raised the issue, they poohpooed us. They have been telling that these people were making a mockery and not raising the real issue. They said that we were trying to project our leader by making such a demand. This was the approach of the ruling party at that time. Here I would like to refer to one press interview which was given by Shri Jaipal Reddy at that time. He was the party spokesman. He said in the press interview, "The Government is willing to spend money for the security of Rajiv Gandhi." And referring to the demand of Congress (I) for deployment of Special Protection Group for Shri Rajiv Gandhi, Mr. Reddy said, "Let them tell us what is their idea of security threat to Rajiv Gandhi."

So this was their approach when they were in power. They thought that Congressmen in this House and also in the other House were trying to project Rajiv Gandhi as if he had a security threat that it was not real and that thereby they wanted to gain politically out of it. When we found that there were perceptions of immediate threat to Rajiv Gandhi, we raised the issue in the House, but it was sidelined and ignored by the other side. Therefore, Sir, that was the root-cause, that was the main cause.

SHRI S. JAIPAL. REDDY : Mr. Narayanasamy, will you yield ?



Mr. Vice-Chairman, Sir, he referred to some statement of mine. I am afraid it has been either misreported or quoted out of context. Unless I see the whole statement, it will not be fair for me to react. I reserve my right to react.

SHRI V. NARAYANASAMY : The Press report is dated 15th February, 1990. It is in the "INDIAN EXPRESS". Shri Jaipal Reddy was the spokesman of the ruling party at that time.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh) : Read it.

SHRI V. NARAYANASAMY : I have read it already.

SHRI S. JAIPAL REDDY : Read the whole thing.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : Now you are embarrassed by all your utterances of the past.

SHRI S. JAIPAL REDDY : I am never embarrassed.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : You are not. Now you are not able to own it up.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : I know you are never embarrassed like water over the duck's back.

SHRI V. NARAYANASAMY : The hon. Member also quoted several letters written by the I.B. to the State Administration. I do not want to go into those details because they are forming part of the record in the Verma Commission Report. ..

One thing I would like to submit about the situation under which we were forced to go in for elections in 1991. We know pretty well that Congress Party which gave support to Shri Chandra Shekhar,

the then Prime Minister, withdrew the support, and, thereafter, we were forced to go in for elections. Everybody knew pretty well that Shri Rajiv Gandhi was touring various States for the purpose of electioneering. The I.B. was giving reports. The Home Ministry from time to time, periodically, was sending reports to the State Governments wherever leaders were going for electioneering. When Rajiv Gandhi was going for electioneering, records are there to the effect that the I.B. which is there in the States and also at the Centre and the Home Ministry were sending reports to the State Governments for the purpose of taking action.

Sir, a question has been asked, why, when Mr. Chandra Shekhar was the Prime Minister, Congress Party did not amend the SPG Act. I would like to submit to this august House that when Shri Chandra Shekhar was the Prime Minister, the same demand was made by us in this House and also in the other House but for obvious reasons, for reasons best known to them, the Act was not amended. Not only that, Sir, as Prime Minister of the country, whether he was a caretaker Prime Minister or a Prime Minister who was not enjoying majority or a Prime Minister who was allowed by the President of India to continue in power, Shri Chandra Shekhar had knowledge, perception of immediate threat to Rajiv Gandhi when he was touring for electioneering. The Government at the time when our leader, Rajiv Gandhi was assassinated cannot also be absolved of the responsibility because when Rajiv Gandhi was going for electioneering to various States, the Prime Minister at that time had the knowledge, perception of immediate threat to him and of the danger to his life. When they knew that Rajiv Gandhi was not given adequate protection, it was their duty, being in power at the time of the elections, to give protection to Rajiv Gandhi. Which personalities and which political leaders who were in power

at that time, took the responsibility and resigned at that time ?

Nobody resigned. The persons who were in power and were responsible did not give any direction to the SPG and none of them resigned. The police officers have been suspended. The State Administration says against any individual no specific information has been given by the Verma Commission. Therefore, the hon. Minister says he cannot take action against individuals. The Home Ministry as a whole had been monitoring the security aspect of the leader. They know pretty well who have been looking after the same department, the same section. The persons who have been sending messages, knew who have been monitoring it. They are responsible. You have to infer and find out. The Verma Commission cannot identify a single individual because it is a big organisation which is responsible for it. As far as the State Administration of Tamil Nadu is concerned, it was a total failure of the police administration. The police authorities who were on duty there right from Mr. Raghavan and also Mr. Rangaswamy and other police officers allowed that melee to continue there when Rajiv Gandhi entered the dais. They did not regulate the people. I quite agree with Shri Jaipal Reddy, when the leader arrives one should have the sensitivity and one has to protect the leader. I agree. But it is a psychological fact that when the leader comes everyone becomes emotional. It is a real fact of life. Everybody knows it. Therefore, blaming the Congressmen then is not correct. But if there is any lapse about the arrangement, about the barricade, about the place chosen etc. then it can be pointed out. But as far as the people gathering there and the people wanting to see the leader out of their curiosity is concerned, it is for the police to regulate. The police was in a total mess. Nobody was there to give protection, nobody was there to regulate the people,

when Shri Rajiv! Gandhi, our leader, arrived there. So, I would squarely blame the police administration there. I would submit that the police officers, who had been suspended! immediately thereafter have been reinstated by the State Government.

SHRI TINDIVANAM" G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu) : The latest information is that they are going to be promoted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NARESH YADAV) : Don't comment, please.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : Sir, it is a very serious matter. The Home Ministry should replace the State Government.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, it is a sorry state of affairs. The police officers who were responsible for monitoring the security system and for giving protection to Shri Rajiv Gandhi, our leader, though they had been suspended, have now been reinstated by the State Government. When the Verma Commission has specifically indicated the police administration and also the State Government, why have the police officers been reinstated by the State Government ? Not only that, who has resigned from the State Government ? When our leader, Rajiv Gandhi was assassinated, Mr. Chandra Shekhar was the Prime Minister. I asked a question. Who owned the moral responsibility and resigned ?

I apply the Same yardstick to the State administration also. Who held himself responsible ?

SHRI DIGVIJAY SINGH : Whom do you want to fix ?

SHRI V. NARAYANASAMY : It is for the Minister to! take action.

SHRI DIGVIJAY SINGH : You should also fix.

SHRI V. NARAYANASAMY : No. I am not here as a Minister to fix the responsibility. It is for the hon. Home Minister to take action against the State administration, who were responsible at that time. Mr. Digvijay Singh has to accept that during President's Rule the responsibility of the Centre is more. The State administration is guided by them. Therefore, the primary responsibility falls on them. This responsibility equally falls on the State administration to whom they delegated their power.

SHRI DIGVIJAY SINGH : But, will it be followed for everybody ?

SHRI V. NARAYANASAMY : I will answer that point also. Kamal Morarka raised that point. I am going to answer that also. I have got answer for that. As far as the action taken report is concerned, I would like to quote only one line, which I would like to submit to the Hon. Minister how the Government is accepting the report. That is very peculiar.

In the Action Taken Report at page 10, para 4, it has been said, "The Government finds it difficult to share the perception of the Commission and the lapses attributed to the Central Government and the IB." This is a very serious matter. The Verma Commission had specifically indicted the Central Government and the TB. What the Verma Commission has said, my friend, Mr. Jaipal Reddy had quoted. There was a finding that the IB officials have failed in their duty to monitor and give the correct information.

Mr. Jaipal Reddy had quoted from page 25 of the Verma Commission's report. I would like to quote from page 75, para 14.24 of the report :

"The Commission is left with the impression that the DIB M.K. Narayanan was not satisfied with the security arrangements for Rajiv Gandhi and was apprehensive about his safety but for some undisclosed reason he was ineffective and has chosen to maintain silence even now."

Why was he ineffective what was the reason ? Now you say that the IB was not responsible. When the Verma Commission specifically indicted IB and even the Central Government, it is a clear case where the Central Government has to act. Even now the responsibility is more on the Central Government to act against the officials of the Central Government and against the persons who were responsible in the State administration. If the Central Government finds that even the persons in the TNCC were responsible, you fix the responsibility on them. I am not going to defend anybody in this case for the simple reason that our great leader who was the future of this country was assassinated.

In the name of technicalities in the SPG Act, SPG protection to the then Prime Minister was withdrawn. The V.P. Singh Government was trying to escape.

SHRI S. JAIPAL REDDY : You catch.

SHRI V. NARAYANASAMY : We are trying to catch you. Don't worry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NARESH YADAV) : How much time will you take ?

SHRI V. NARAYANASAMY : I will take five minutes. I know that you have become dead wood. I can't catch you. [know that also.]

As far as the Central Government is concerned, the Home Ministry officials and the persons who are responsible in the IB have to take action. The Central Government cannot escape from its responsibility

saying that we will not agree with the Verma Commission recommendations as given on page 10 of your Action Taken Report. It totally goes against the findings of the Verma Commission's recommendations. Therefore, the Government has to give a reason as to why they are not accepting it. Without giving any reason, they can't say that they are not accepting the recommendations of the Verma Commission on this score.

Not only that, Mr. Jaipal Reddy had mentioned about the Congress party. He had quoted from page 79, para 15.07 of the report. He had mentioned about 8 to 9 items, for example, lack of coordination, barricading was not proper, etc. Then he mentioned about inadequate lighting, parking of cars and so many other things. The arrangements for the election meeting done by the people who were in the party. Who has to monitor them? It is the security people who have to do it. Why have the police officials not discharged their responsibility directing them not to do that? Why have they not done it? The police officials cannot absolve themselves from the responsibility by simply saying that the Congress party did not agree to what ever they have said. That is not going to be the reason. How can the police officials escape by simply saying that the Congressmen did not agree with whatever they have suggested? "Therefore, we have allowed the meeting to be held "

Sir, the place where it was originally to be held was a school ground which was a protected area and which had got a compound wall. The venue was shifted from there to the place where our leader was assassinated. According to the Verma Commission, there was insistence, by the candidates of Maragatham Chandrasekar Candidates might say they wanted to hold the meeting at a particular place. But, what were the police doing?

SHRI S. JAIPAL REDDY : What can the police do? What can the poor police do?

SHRI V. NARAYANASAMY : Mr. Jaipal Reddy, you know pretty well about the security. I need not teach you anything on that. In our place, the next day morning .....(Interruption). The next day, on the 22nd morning, about 8 O'clock, a meeting had to be held. I was monitoring that in our place. If Rajiv Gandhi had survived in that place, they had planned to kill him in Pondicherry. I would have been one of the victims. I would have been happy to die with my leader. Had I died with my leader, my soul would have gone to the heaven. (Interruption). It is a sentimental subject. Kindly do not interrupt Mathurji. I did not interrupt when Mr. Jaipal Reddy spoke. (Interruption).

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr Vice-Chairman. Sir, I would like to make only one comment. Congress friends were seeking a discussion on the subject on strong sentimental grounds.

I am deeply appreciative of their genuine sentiment. But, is that sentiment reflected in the presence of their Members?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NARESH YADAV) : Let him conclude.

SHRI S. JAIPAL REDDY : The Opposition is more in number.

SHRI V. NARAYANASAMY : I was monitoring that meeting. We had selected one particular place near the sea-shore in our place. But the police did not agree. The police said that! that place was not suitable for holding an election meeting for security reasons! We agreed to the place which was located and given by the police. The police has to identify and select the place and allot it to the meeting. Even if the party does not agree, they will cancel the meeting and say, "We will not give permission to hold the meeting". The police failed in their duty. But, on the contrary, they are trying to blame the Congressmen of the State. The Verma Commission has also said that the police did not

monitor. You have to accept that also. (Interruption). Mr. Digvijay Singh, we wanted a discussion earlier. Let us not argue on that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NARESH YADAV) : Please conclude, Mr. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY : In this Session..... (Interruption).

श्री दिग्विजय सिंह : उपासभाध्यक्ष महोदय, बात गंभीरता की हो रही है। सब लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सेंटिमेंट, प्लाना, प्लाना... 5 घादमी बैठे हुए हैं और सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं। देश के नेता, राष्ट्र के नेता। हम सब लोगों की इच्छा उस घादमी के बारे में है। खुल्लमखुल्ला क्यों ऐसी बातों का जिक्र किया जा रहा है जिससे सब लोग परेशान हों।

उपासभाध्यक्ष (श्री राम नरेश यादव) : यह मामला बहुत गंभीर है। इसलिये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस बारे में बात करनी चाहिये।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय उपासभाध्यक्ष जी जहाँ तक संख्या की बात है... (व्यवधान)।

उपासभाध्यक्ष : मैंने कह दिया कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस पर विचार करना चाहिये।

श्री सुरेश पचौरी : मेरी एक आपत्ति है। जहाँ तक संख्या की बात है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जहाँ तक राजीव जी के प्रति टिप्पणी करने की बात है, मुझे विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना है... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, टिप्पणी कोई नहीं कर रहा है... (व्यवधान)

श्री सुरेश पचौरी : यह व्यंग्य भरी भाषा में आप नहीं बोलेंगे कि राष्ट्र का नेता और देश का नेता। वह राष्ट्र के नेता और देश के नेता थे। यह व्यंग्य भरी भाषा में आप नहीं बोलेंगे... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : कौन नहीं कह रहा है? स्वामशवाह हूँला करने से कोई बात बनने वाली

रही है... (व्यवधान) एक घादमी नहीं बैठा है बेंचों पर और राष्ट्र के नेता अपने को घोषित कर रहे हैं यही आपकी पार्टी है ?

श्री सुरेश पचौरी : आपको कोई अधिकार नहीं है पार्टी के बारे में कहने का... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : हमको कोई अधिकार नहीं है तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है... (व्यवधान) 5 घादमी लेकर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं... (व्यवधान)

उपासभाध्यक्ष (श्री राम नरेश यादव) : दिग्विजय सिंह जी, समाप्त करने दोजिये।

श्री सुरेश पचौरी : हमारे समर्थन से तो सत्ता का कुश् भोग लिया और अब श्रावें दिखा रहे हैं... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : अरे, आपके समर्थन से नहीं भोगा, अपना किस्मत से भोगा है समझे... (व्यवधान) सत्ता का मोह है तो खुद भोग लीजिये, समझ गए? किसी के रहमो-करम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री सुरेश पचौरी : तब तो आगे-पीछे घूमते थे... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NARIJSH YADAV) : Yes, Mr. Narayanasamy. Please conclude now.

SHRI V. NARAYANASAMY : I am concluding in two or three minutes. In this Session, I raised a question. It was Starred Question No. 227. It was listed on 12th May 1993.

The question was "whether the Verma Commission has stated in its report the\*", the withdrawal of the SPG cover has led to the assassination of late Shri Rajiv Gandhi; if so, the steps taken by the Government to fix responsibility and bring to book the officials responsible; whether criminal action has been taken against those found responsible for this lapse; if not, the reasons thereof ?" I was shocked to receive the reply. They have given reply

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBJEY RAZI): In! the Chair. Sir, i have gone through the recommendations given by the Verma Commission and the reply given by the hon. Minister. I am not satisfied with the action taken by the Government on the recommendations of the Verma commission;. What are the recommendations of the; Verma Commission about the failure of the security system, the failure of thee police administration, the failure of the IB and the failure of the Home Ministry! ? All these things have been mentioned by: the Verma Commission in its recommendations. What has the Home Ministry done ? what is there in the "action taken" report ? In the "action taken" report, it has been stated by the Government: "We have forwarded it to the State Government stating therein that the police system should be strengthened, the security system should be i strengthened,." The Government has forwarded the "action taken" report to the various Ministries and to the State Government. This is the "action taken" rep art. I would like to know from the hon. Minister whether he is satisfied with the "action taken" report. Let me tell him i categorically in this House, whether itl is a political personality or the officials, you fix the responsibility and you take action against them. Otherwise, the Verma Commission report will go to the dustbin and we will not be doing any service to our leader, who was assassinated and if the recommendations of the Verma Commission are ignored by this Government, hen I feel we would be doing a great injustice to our great leader. Shri Rajiv Gandhi. I think the hon. Minister will see to it that all the recommendations of the Verma Commission are considered carefully and action taken accordingly. With these words, I conclude.

in para no. 2. "The Commission has not named any individual officer' or the Central Government as being responsible for the above-stated contributory lapse." The individual officers should be identified and responsibility fixed. I am very particular on this aspect. Though I stated it very briefly earlier, is the Home Ministry, who is responsible for monitoring the security system of the VVIPs? If the IB is responsible for passing on information to the States where the VVIPs are going, can't you identify the individuals who are responsible ? Can't you identify the persons who are responsible in the State administration ? Can't you identify the persons who are responsible in the State police ? Is it an acceptable reply ? Therefore, my humble submission is that the Government has to fix the individual responsibility irrespective of any kind of political consideration. This is a national issue. The great leader was assassinated. Since the Verma Commission has named the Central Government, it is the responsibility of the Home Ministry to name the officials and take action. Also you will have to take action against those officers in the State administration who are responsible for this lapse. You have to identify the police personnel in the State administration who are responsible for the lapse and take action against them. You have to ask the State Government as to why the suspension orders against those police officers have been withdrawn who were found guilty. Now, the case is going on in the court. As regards the involvement of a foreign agency in the assassination of late Shri Rajiv Gandhi, the Jain Commission is looking into that aspect. That is also going on. It is pertinent to mention here that the Government cannot absolve itself of its liability. It has to take stern action. The Government should see to it that the persons who are responsible for this lapse or who failed in their duty, have to be brought to book and action has to be taken against them. I want a categorical reply from the hon. Minister in this regard. 1098 RSS/94—26.

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस अंदाज से यह बहस शुरू हुई थी और बाद में जिस तरह से हम सारे लोग अपनी राय पर इस पर दे रहे थे उससे मझे नहीं लगता था कि इस बहस में हम सारे लोगों में कोई मतभेद उभर

कर सामने आयेगा। लेकिन मुझे अपभोगा के साथ कहना पड़ता है कि बहुत की शुरुआत के समय से ही कुछ ऐसा माहौल बनाना प्रारंभ किया गया जिससे ऐसा लगा कि वर्मा कमीशन की यह आखिरी रिपोर्ट है। मैं बड़े भारी मन से इस बहुत में भाग ले रहा हूँ। बहुत से लोग दावा कर सकते हैं कि राजीव गांधी उनके बड़े खास लोगों में से थे लेकिन मेरा भी संबंध उनमें वजन से था, बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस सदन में वर्मा कमीशन की रिपोर्ट मंगाने वाला मैं पहला व्यक्ति था। एक साल पहले मैंने सदन में कहा था कि वर्मा कमीशन का रिपोर्ट अभी तक सदन में क्यों नहीं रखी गई। 21 मई का रिकार्ड उठाकर देख लीजिये सदन के पटल से। पिछले साल मैंने कहा था वर्मा कमीशन की रिपोर्ट 6 महीने की अवधि के अंदर देने की बात तय हुई थी, वह रिपोर्ट आज तक सदन में क्यों नहीं रखी गई। आज मुझे खुशी है नजमा जो जब बेयर पर थी तो उन्होंने मार्गदर्शक आस्था जो से बहुत करते समय इस बात का जिक्र किया था। मैं गम्भीरता से इस लिए ले रहा था मुझे लगता था हिन्दुस्तान से एक ऐसा आदर्श कमीशन से उठ गया जिसके मन में देश को बदलने की इच्छा थी। मैं राजनीतिक रूप से उनका विरोधी रहा। जब तक वह राजनीति में रहे मैं उनका विरोधी रहा। लेकिन राजनीतिक अपनी जगह पर होता है और व्यक्तिगत सम्बन्ध अपनी जगह पर होते हैं। राजीव गांधी जो से मेरे व्यक्तिगत संबंध भी थे। मैं जानता था राजीव गांधी के मन में इस देश के बदलने की इच्छा थी। गलती हर इंसान से होती है, नीति गलत होती है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं उनको सारी बातों में शरीक होता। लेकिन राजीव गांधी के मन में इच्छा थी देश को बदलने की, देश को बदलने का तरीका उनके मन में था। इसलिये मैंने इस बात के उद् जान का दुख आज भी मेरे दिल में है। इसलिये मैं गम्भीरता से चाहता था कि इस पर बहुत हो। लेकिन पूरी बहस को जिस तरीके के कुछ लोगों ने यहाँ खलाने का प्रयास किया है, जिन सभा का इस्तेमाल किया जा रहा है, दोष मढ़ने और गढ़ने का जो तरीका अपनाया गया है उससे वर्मा कमीशन का रिपोर्ट की बात तो छोड़ दीजिये, वर्मा कमीशन के बाद जो दूसरा कमीशन बना था, जैन कमीशन वह कहाँ है आज ? इस पर न किसी का ध्यान

जा रहा है और न कोई पूछ रहा है कि दो वर्षों से जैन कमीशन कहाँ है, कहाँ उसका बफ़तर है ? मुझे मान्य है जैन साहब दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। दफ़तर की कहीं जगह नहीं मिली जहाँ से वह बैठकर अपना कमीशन चला सकें और बात हो रही है नीति की और सिद्धांत की। राजीव गांधी की हत्या हो गई। कौन उस देश में कह सकता है कि अच्छा काम हुआ। कौन यह कह सकता है कि राजीव गांधी के जाने जाने से उनको बड़ी खुशी है। राजनीति तो जब तक आदमी जिदा है तब ही तक कर सकता है। किसी के मरने के बाद कोई राजनीति उससे नहीं कर सकता। यह उन लोगों की मुशरक हो जो राजनीति के नये तरीके अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके सामने तथ्यों को रखना चाहूँगा। वे तथ्य जयपाल जी ने विस्तार से कहने का काम किया है। आखिर इस रिपोर्ट में है क्या ? इस रिपोर्ट की देखने का काम अगर मंचमंच हमारे उन सदस्यों ने किया होता जिन्होंने यहाँ पर बड़ी लम्बी चोड़ी बातें की हैं, अगर उनका ध्यान जाता तो पता चलता कि यह रिपोर्ट चार बातों पर ही केन्द्रित है। एक तो आप कह सकते हैं जिस पर बहुत कर मुद्रा आज भी है। जो लोग उनके बड़े करीबी थे उनका शायद यह संकेत भी हो कि एक मुद्रा यह है कि एम०पी० जी० के विद्वांस से उनके असेसिनेशन में कंस्ट्रक्शन हुआ है। वर्मा कमीशन यह नहीं कहता कि एम०पी० जी० के रहते असेसिनेशन नहीं होता। वर्मा कमीशन यह कहता है कि एम०पी० जी० के विद्वांस से असेसिनेशन में कुछ फेक्टर जुड़ सकते थे। दूसरे उन्होंने यह कहा है कि उसकी जगह एम०पी० जी० को अगर रखा जाता तो शायद कुछ काम बन जाता, तैयारी बात जो वर्मा कमीशन की तरफ से कहाँ गई है वह यह कही गई है कि तमिलनाडु पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाई। चौथी बात, जो बड़ा ग्रहण सवाल है और जो राजनीति की बात है जिससे तड़ा दर्द कुछ लोगों को हो जाता है वह है कि कांग्रेस के लोगों ने जो प्रोग्राम के आयोजक थे, जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्होंने जैसा रुख वहाँ अपनाया था उससे यह घटना घटी। ये चार मुख्य बातें उस रिपोर्ट में कहाँ गई हैं बाकी आप जितनी बातें कह लें उसका कोई मतलब इस रिपोर्ट से जुड़ता नहीं है

यह बात बिल्कुल सही है जो जयपाल जी ने कही, हमारे लोगों ने कही, कांग्रेस के समसदाय लोगों ने कही, सरकार ने भी कही कि आखिर एम० पी० जी० जो एक व्यक्ति के लिये यनी थी जो भारत का प्रधान मंत्री था अगर वह अपने पद से हट जाता है तो एम० पी० जी० कैसे रहता उस व्यक्ति के साथ। किसी ने यह बात नहीं कही है। मैं सम्मोचना से इस बात की उठाता हूँ हमारी सरकार ने इस बात का जिक्र किया कि एम० पी० जी० रहे या न रहे। चन्द्रशेखर साहब में अगर हिम्मत है तो बतायें क्या उन्होंने इस बात को चन्द्रशेखर जी के सामने कहा था कि एम० पी० जी० को रखा जाए।

एक मुझा जो प्राइवेट तौर पर आया था बातचीत के दौरान आया था कि एम० पी० जी० के कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस में घापस भेजा जाय जो उनकी सुरक्षा में होंगे। चन्द्रशेखर जी की सरकार ने भेजा या नहीं भेजा, यह बात सही है या नहीं है, गृह मंत्री जी इस बात को सदन में बतायें। उन्होंने पहले भी कहा था। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को भेजा जाय। लेकिन एम० पी० जी० की बात इस सदन में या वहाँ किसी आदमी को ओर से नहीं हुई। श्री सुरेश पंचोरी जी श्री बी० जार्ज का नाम देते हैं। श्री बी० जार्ज कांग्रेस के कितने बड़े राजनेता थे? उनकी ओर से नेफिटनेंट गर्वन्तर को बिट्टी लिखी जा रही है। यहाँ पर बैठे हुए हमारे दोस्त श्री विश्वजित पृथ्वीजित मिह बतायें कि वे कांग्रेस की ओर से प्रोग्राम बनाते थे, उनका प्रोग्राम कितने लोगों ने तय किया था और दो दिन पहले बदलने का काम किसने किया था? मैं चाहता हूँ कि भारी चीजें सब लोगों के सामने आनी चाहिये, सदन के सामने आनी चाहिये। अगर हिम्मत है कांग्रेस के लोगों में तो मैं प्रस्ताव करता हूँ कि एक जॉयन्ट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई जाय तो जो पूरे तथ्य सामने रखे। छोटी छोटी बातों के साथ बुनियादी बातों को जोड़ना ठीक नहीं है। किसी बड़े राजनेता से हम सब बातों का रिश्ता है। उसकी हत्या का मामला आज सदन में उठ रहा है। सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस देश में काले बादल मंडरा रहे हैं। किसी की हत्या की साजिश को पुनरावृत्ति न हो और इसको कभी रोका जाय। आज यह हमारे सामने गम्भीर

सवाल है। इस रिपोर्ट को देखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सदन में अगर सत्य को रखने की कोशिश की गई है तो वह उसके पेज नं० 55 को जरा देखिये। उसमें क्या कहा गया है। श्री नारायणसामी जी उन पेजों को सामने रख रहे थे जिनमें हमारी सरकार के बारे में कहा गया था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सत्य का पैमाना सबके लिये होगा और चन्द्रशेखर की सरकार के लिए अलग होगा? अभी कहा गया कि सुरक्षा की व्यवस्था करना गृह मंत्रालय का काम है, गृह मंत्रालय को राजीव गांधी की सुरक्षा की व्यवस्था को मॉनिटर करना चाहिये था। अभी जो मातौय प्रधान मंत्री बन कर बैठे हुए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? उन पर आप विश्वास क्यों करते हैं? श्रीमती इन्दिरा गांधी को हत्या के वक्त वे ही हमारे देश के गृह मंत्री थे। उनके लिए आप पैमाना क्या तय नहीं करते हैं? (अव्यवस्था)।

SHRI V. NARAYANASAMY : Mr. Digvijay Singh, if you yield.....

SHRI DIGVIJAY SINGH : I am not yielding. Let the Government reply, (interruptions).

SHRI V. NARAYANASAMY : If you want a reply, I will give you the reply, You have been raising it time and again in this House. Sir, Shrimati Indira Gandhi, our great leader was assassinated by her own security guards. Shri Rajiv-Gandhi was assassinated by an international organisation which had planned meticulously for several years to settle in Tamil Nadu. Let them not compare the assassination of Shri Rajiv Gandhi with the assassination of, the Shrimati Indira Gandhi.

श्री दिग्विजय सिंह : मैं सोच रहा था कि कोई बात कहूँगे। तर्क के लिए ऐसी बात कहना ठीक नहीं है।

श्री सोमपाल : दिल्ली पुलिस तो आपके ही अधिकार में है।

श्री जगदीश प्रसाद माथूर : मैं एक बात कहना चाहता हूँ।



THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : I am not permitting. Please.

श्री जयदीप प्रसाद साधु : मेरी विवाह की कुछ खामी है ।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिद्दीकुराजी) : आप बताइये कि क्या करना चाहते हैं ।

श्री जयदीप प्रसाद साधु : श्री नारायणशर्मा ने कहा कि दोनों बातें भ्रम-भ्रम थीं । एक पड़पड़ था और दूसरा गार्ड का मामला था । लेकिन यह पुलिस की इंटेलिजेंस का क्या फैल्योर नहीं था कि उनको पता नहीं चला कि इन्दिरा गांधी के घर में सुरक्षा गार्ड एक ट्रेटर बैठा हुआ है ?

SHRI VISHVJIT P. SINGH : Sir, this is a very important matter. I will request my friend, Shri Digvijay Singh, to kindly restrain himself. Let me set the record straight. Let me inform the House that punitive action was taken against each one of those who were in charge of the security of Mrs. Indira Gandhi.

SHRI DIGVIJAY SINGH : What about The Home Minister ?

SHRI VISHVJIT P. SINGH : It is not the Home Minister's direct responsibility.

SHRI DIGVIJAY SINGH : You want the then Prime Minister to be hanged.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : I will tell you. At the moment I want to inform you that punitive action was taken against all the erring police officers including one who happened to be a relative of the Prime Minister whose mother is sitting, here. She can bear witness to it. Action was taken even against that officer.

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिद्दीकुराजी) : कृपया आप बोलिये ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, पेज नंबर 55 पर मैं यह राज्य मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहूंगा कि इसमें वर्मा कमीशन क्या कहता है ।

"Neither the organisers nor the police officers speak about her to indicate having either known or seen her earlier."

यह धानु कहाँ थी, यह किसके घर ठहरी थी, यह किसकी लड़की थी, इसके बारे में, उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्मा कमीशन पृष्ठ 58 पर कहता है कि लता प्रिया कुमार डौटर आफ एम० चन्द्रशेखरन । कुछ इस बात का है कि जिस चन्द्रशेखरन को खोजना चाहिये उसको खोज नहीं रहे हैं और एक दूसरे के भूत को आप खोज रहे हैं । लता प्रिया कुमार . . . .

.....(interruptions).

SHRI T.A. MOHAMMED SAQHY (Tamil Nadu) : She is now a Congress MLA.

SHRI DIGVIJAY SINGH : It says :

"Lata Priyakumar, daughter of M. Chandrasekhar has denied the suggestion that she was responsible for the permission granted to Kokila since her mother Latha Kannan was a Congress worker from Arakkonam in Lata Priyakumar's constituency. This fact by itself may not be of much significance but Lata Priyakumar does not appear to be a credible witness."

यह बात कही जा रही है उस व्यक्ति के बारे में जो वहाँ . . . .

यह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : यह कहाँ लिखा हुआ है कि She is a daughter of M. Chandrasekhar.

श्री दिग्विजय सिंह : मैं अभी आ रहा हूँ । मैं तो इसकी क्रेडिटिविटी के बारे में कह रहा हूँ कि एम० चन्द्रशेखरन की लड़की, जिसकी क्रेडिटिविटी के बारे में यह कमीशन कहता है कि यह सच नहीं बोल रही है, झूठ बोल रही है । उससे जब यह पूछा गया कमीशन द्वारा कि धानु और हरी धानु को आप जानती हैं तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं है । पूछा गया कि क्या आप श्री परम्बूर गयी थीं तो उसने कहा कि

मैं सोते हुए गई थी, किस रास्ते से गई थी मुझे पता नहीं। उससे जब यह पूछा गया कि किस गाड़ी से गई थी तो कहा कि मैं टैक्सी में गई थी। कौन आपके साथ गया था, कहा कि मैं नींद में थी मुझे पता नहीं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों को सदन के सामने और गृह मंत्री के सामने इसलिये रख रहा हूँ कि इससे इस बात का पता चलता है कि जो लोग वहाँ जिम्मेदार थे, जिन लोगों के पास इसकी जिम्मेदारी थी, पार्टी की मीटिंग करने की, जिसका नाम लिया गया दोस्त, जो माइक से अनाउन्स कर रहा था—कहा जाता है कि सरकार के द्वारा कुछ बताया नहीं गया। मैं जे०पी०सो० की जब बात कर रहा था तो मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा था। पायलट साहब, आप देखिये इन तथ्यों को। चन्द्रशेखर जी से पत्र देखिये, जो चन्द्रशेखर जी ने राजीव जी को लिखे थे। तमिलनाडु के गवर्नर ने जो लिटुंगी लिखी थी राजीव जी को उसमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार लिखा कि तमिलनाडु में ऐसे ही आपकी पार्टी चुनाव जीत रही है। वहाँ ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि आपकी सेक्युरिटी पर खतरा है। आप गोली मार दो लाल किले पर चन्द्रशेखर की हुकूमत में जो लोग काश कर रहे थे। लेकिन तथ्यों को जानने का प्रयास कीजिये। इनका एक बार जानने का प्रयास जरूर करें। एक बार आप यह जानने का प्रयास करें कि चन्द्रशेखर जी ने क्या प्रयास किए, राजीव गांधी की हत्या को रोकने के लिये। तथ्यों के लिये किसी और के पास कामज नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के आफिस में सारे कागजात पड़े हुए हैं, उनकी काफी पत्रों हुई हैं। एक दिन पहले श्रीमन्नारायण मिश्र, राज्यपाल तमिलनाडु ने राजीव जी को पत्र लिखा था कि अगर आप यहाँ आयें तो किसी भी हालत में रात की सभा में शरीक मत होइये। कहा जाता है कि बताया नहीं गया, जानकारी नहीं दी गयी, हम अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाये। उपसभाध्यक्ष महोदय, नलती इसान से होती है। राजीव गांधी ने भी आग्रह यह नलती की थी। आप जानते हैं कि देश का राजनैतिक माहौल क्या है। हर नेता अपने कार्यकर्ताओं, अपने साथियों के दवान में काम करता है। हो सकता है कि दबाव में आकर

राजीव गांधी ने वह काम किया हो और रात को उस मीटिंग में शरीक होने के लिए चले गये। लेकिन उनको बार-बार कहा गया। नारायणन के बारे में जयपाल जी ने कहा। यह बिल्कुल सही बात है कि नारायणन जी इस देश के एक अच्छे आफिसर थे और राजीव गांधी ने उनको अप्वाइंट किया था और जब हम सरकार में आये, मेरी नारायणन से कोई जान पहचान नहीं थी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सुब्रह्मण्यम स्वामी को भी नहीं ?

श्री विष्णुअय सिंह : हम तो उन्हीं बातों पर जिनका रिकार्ड जाना जाता था, जिनके बारे में कुछ लोग जानते थे, क्या नारायणन साहब ने बार-बार यह बात राजीव गांधी को नहीं बताई थी ? हर आदमी ने अपने दायित्व का निर्वाह, जो जिम्मेदारी जिसकी सौंपी गई थी चाहे हुकूमत के लोग हों या हमारे हों, उन्होंने किया। यह घटना घटी। हम लोगों को यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। एक ऐसी घटना थी जिस घटना से सारे राष्ट्र का मिर झुक गया, सारे लोगों के दिल को मर्महात हुआ। लेकिन इस घटना से हमको कोई सीख, कोई सबक लेना चाहिये। वर्रा कमीशन की रिपोर्ट के जो तमाम नतीजे आए हैं, वह हमारे और आपके सामने हैं। उनसे ऐसा लगता है कि अभी भी हमें कोई सीख नहीं मिली है। एक पूर्व प्रधानमंत्री की सभा में वर्रा कमीशन के लोग गये वहाँ उन्होंने पाया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सुरक्षा बहुत अधूरी है। वर्तमान प्रधानमंत्री की सभा में जा कर वर्रा कमीशन के लोगों ने दावा कि उनकी सुरक्षा भी पूरी नहीं है, अधूरी है। इसलिए मैं मंत्री जी से खास तौर पर राजेश पायलट जी से जो बड़े नये जोश और खरोश से यह आंतरिक सुरक्षा का काम कर रहे हैं, कहूंगा कि मामले की गंभीरता को हम समझने का प्रयास करें। यह अजीब विडम्बना है कि सरकार ने कुछ कहा, पार्टी के लोग कुछ और कह रहे हैं। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि सरकार की रिपोर्ट में कुछ और है तथा इनकी पार्टी की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। आप जिम्मेदारी से जरा अपनी पार्टी के लोगों को समझाने का काम कीजिये। आप उन्हें यह बतायें

कि जो तथ्य आप रख रहे हैं वह सारे विश्वास में लिये गये हैं और उन्हीं तथ्यों को आप देश को बताने का काम कर रहे हैं। पिछली बार जो आपने दिये थे उसमें कई बातें ऐसी कहीं हैं जिससे जितने वक्ता बोले हैं, उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको पार्टी की बात न समझें। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मुझे में भले हो अपने भाई सुरेश पचौरी जी को कुछ कहा गया होऊँ लेकिन मैं ईमानदारी से यह कहता हूँ कि मेरे मन में किसी के बारे में कोई द्वेष नहीं है। मैं ईमानदारी से चाहता हूँ कि इस पर खुले रूप से बातें हों ताकि आने वाले दिनों में ऐसी घटना फिर से न घटे जिससे सारे लोग मर्माहत हो। इसलिए मैं अपने उन साथियों जिनका उनसे बड़ा लगाव रहा है, रिश्ता रहा है, उनकी आप एक तरफ यह समझाने की कोशिश कीजिए कि जो दूसरे लोग उनके राजनीति में विरोधी थे, उनका रिश्ता उनसे कम नहीं था, उनका इस देश से रिश्ता कोई कम नहीं है। हम सब लोग इस देश में फिर से ऐसी घटना नहीं घटने देना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे मुबारक करना चाहूँगा, सरकार से मुबारक करना चाहूँगा कि जो तथ्य सामने आए हैं, उन पर सरकार ने रोकथाम डाली है, उसको देश में बताने का काम हो। उपसभाध्यक्ष महोदय, जैन कमिशन जिसके लिए अभी दफ्तर नहीं मिल पा रहा है, काम-काज शुरू नहीं हो पा रहा है जो सचमुच इस कांसपिरेसी की तह में जाएगा, जिसके ऊपर यह जिम्मा सौंपा गया है, इस कांसपिरेसी के पीछे कौन लोग हैं, यह कमिशन इसको जांच करने के बाद जब रिपोर्ट दे देगा, लोगों की जिम्मेदार ठहरा देगा, तब नारायणसामी जी, हमें भी बड़ा मजा आएगा। हमें अगर आप दंड देंगे लगेगा कि चंद्रशेखर जी की हकूमत के लोग मुनाहगर है तो मैं हिचकिचाऊँगा नहीं। आप कहियेगा तो लाल किले पर खड़े हो कर उनको गोली मारने वाला पहला घादमी ट्रिगर दबाने वाला मैं हूँऊँगा। लेकिन बिना सोचे समझे राष्ट्र के इतने बड़े सवाल से आप सिर्फ राजनीति सेकना चाहते हैं, यह बात अच्छी नहीं है। इसलिए मैं इस पर ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता इस सदन के माध्यम से गृह मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि जैन कमिशन को तत्काल बैठाने का काम हो, उसकी कार्यवाही शुरू हो

ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट सदन में पेश हो और हम उस पर बहस करें। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

SHRI RAJESH PILOT : Mr. Vice-Chairman, Sir, may I take your permission to leave this House because I have to make a Statement on Kashmir in Lok Sabha ? I will be back within ten minutes. My colleague, Mr. Santosh Mohan Dev will note down the points.

THE VICE-CHAIRMAN CSYED SIB-IEY RAZI) : All right.

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। मेरे दोस्त दिग्विजय सिंह जी ने अभी कहा कि विश्वजित पृथ्वीजित सिंह ने राजीव जी के प्रोग्राम बनाए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैंने उनके कोई प्रोग्राम नहीं बनाए। उनके प्रोग्राम की जानकारी मैं जरूर रखता था परन्तु उनके प्रोग्राम बनाने का काम मैंने नहीं किया। यहां तक कि जब इलेक्शन चल रहा था तो मैं केरल में ओग्नरवर के रूप में केरल गया हुआ था और मैं केरल का दौरा कर रहा था, वहीं पर राजीव जी मुझे मिले उनके मुजरने के चंद रोज पहले। यह जो डिमांड की गयी है, दिग्विजय सिंह जी ने जो जैन कमिशन की बात कही है कि उसके काम में जल्द से जल्द सरकार को सहयोग करना चाहिए तो मैं इस मांग का पूरा समर्थन करता हूँ। मैं अपनी ओर से भी कह रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि उस इन्क्वायरी को हमको पूरी सहायता देनी चाहिए। उसको दफ्तर, स्टाफ या जिस किस्म की जरूरत हो, धन की कमी हों या किसी चीज की कमी हो, हर चीज उनको उपलब्ध करानी चाहिए। यह कहते हुए मैं बर्मा आयोग पर आता हूँ।

Sir, I would confine myself to the Report because that is our purpose, to discuss the Report, and I think it is time that we read the Report in its full form. We are just merely speculating on the Report and the Members are quoting paragraphs or portions of paragraphs

rather than the paragraphs themselves. If the paragraphs are read in their entirety, they tell a totally different story.

I would first like to draw your attention to Chapter VI, para 16.02(9) on page 81 and I would like the House to pay attention to this, 'and this is in reply to what Shri Digvijay Singh ji has said, that is, that the Commission has, in fact, held that it was just a contributing factor. In fact, the Commission did not say that.

"In view of the continuing high threat to Rajiv Gandhi even on his ceasing to be the Prime Minister and, consequently the decision of the Central Government taken on 4-12-89 to continue the SPG cover to him for proximate security as ex-Prime Minister subject to modification in the level of protection on fresh assessment of threat, the decision of the Central Government on 30-1-90 to withdraw the SPG cover to Rajiv Gandhi without provision for a suitable alternative for his proximate security which was not as a result of fresh assessment of threat justifying reduction of his security, and the consequent withdrawal of the SPG cover reducing the level of protection to Rajiv Gandhi without any reduction of the threat to him was contrary to Central Government's own earlier decision as well as his security requirement and was unjustified."

This is what the Report says in para 16.02(9).

Then again it says in para 10 like this :

"The stated reasons in the Cabinet Secretariat's note dated 30-1-90<sup>1</sup> for the Central Government's decision to withdraw the SPG cover to the ex Prime Minister are tenuous ....."

Please mark the word "tenuous", Sir.

"The reasons given were mainly lack of power under the SPG Act and inadequacy of the strength of SPG, apart from a high profile visibility inviting criticism. None of these reasons was considered as an insurmountable hurdle to give SPG cover for providing proximate security to the former Prime Ministers also from September 1991 after the assassination of Rajiv Gandhi. There appears to be no reason why this could not be done earlier for Rajiv Gandhi as ex-Prime Minister when the assessment of threat to him was much higher and, therefore, the need was greater. It appears that the Central Government's decision on 30-1-90 was promoted more by lack of proper perception or the requisite will than the slated difficulties."

So, it is quite clear. I do not shirk the responsibility as a Congressman that one of the contributing factors was the greed of the Congressmen who had Rajiv Gandhi to visit their constituency and collect the maximum number of people to garner votes. After all, that was the purpose when a leader visited a constituency. In any case, I am sure you would also do the same thing if your leaders are vote-catchers and everybody does that. That is a part of the whole political process. So, I do not shirk that responsibility. I also do not shirk the responsibility saying that it was not the responsibility of the Tamil Nadu police, that it was not the responsibility also of the Intelligence Bureau. While saying all this, I would like to revert to para 16.02(9) again.

It refers to the meeting of the Cabinet Secretary on 4-12-1989. This is not Mr. Vinod Pande. It was the previous Cabinet Secretary. And he says, "the JDIB has stated that the threat perception in respect of ex-Prime Minister has changed since he is no longer the Head of Government. He now faces danger arising out

of personal vendetta." Whose personal vendetta? I will come to that a little later. The security arrangements we provide to him now will have to take this fact into account. IB will be sending a fresh threat assessment for the ex-Prime Minister very soon. The instruction of the Government is that the ex-Prime Minister should be provided the same level of protection in the context of the above standard aspect of security relating to the Prime Minister listed in the Enclosed Broadsheet....." And it goes on.

This meeting was held on 4-12-1989 at 12 noon. Again at 3.30 p.m. this discussion took place. At 12 noon, at the meeting—it is at page 241 with regard to the ex-Prime Minister—the following decisions were taken:

"2. With regard to the ex-Prime Minister, the following points were noticed and decisions taken :—

(i) The instruction at present is that Shri Rajiv Gandhi and his family should be provided the same level of protection as hitherto. SPG will continue to provide protection to ex-PM till a final decision is taken in this regard .....

(iii) IB and R&AW will immediately give a threat assessment in respect of the ex-PM. Any modification of the level of protection to him will have to be based on the fresh threat assessment."

It is categorically stated. In fact, he goes on to say that the threat perception has increased because of personal Vendetta. And to behold, what happens on 3-1-1990 ? Mr. Vinod Pande, the then Cabinet Secretary decides, and I quote:

"On the verbal instructions of Shri Seshan, the then Cabinet Secretary, the SPG was asked to continue providing security to Shri Rajiv Gandhi. This was a purely temporary and ad hoc arrangement. 2. According to the SPG Act,

this force is meant only for the security of the Prime Minister and his family members. Its charter cannot be extended to cover ex-Prime Minister or any one else even by an executive order."

And he goes on to say in para 4:

"The security arrangements for the Prime Minister are suffering adversely due to this extra commitment on the part of the SPG. This has been adversely commented by the security agencies."

Sir, let me remind this House, let me remind the Members, let me remind my friend, Mr. Jaipal, Reddy; sitting on that bench opposite me, that that was the time when Shri Vishwanath Pratap Singh was shouting from the roof-tops that he was not interested in security. This was the time when Mr. Vishwanath Pratap Singh was shouting from the roof-tops that he did not require security. But when he was shouting from the roof-tops that he was a man of the people, when he was shouting from the roof-tops that the people would provide him security, what was happening on the other side was that he was scared, and he was saying on the other side, "my security is not enough." And he was voicing this concern through Shri Vinod Pande, his Cabinet Secretary. And at that point of time, I say—and I say with some authority—that there was no threat to Shri Vishwanath Pratap Singh. He had not yet brought any of his controversial measures. He had not yet taken any such executive decisions which would set a section of the society against him, as it happened with Shri Rajiv Gandhi. He was free to move around amongst the people. We saw the proof of it when he went to Amritsar. Did we not see it when he moved from the Golden Temple to the Durgiana Man-dar without security ? At least, we were told so.

And in spite of that, his Cabinet Secretary says that security arrangements for the Prime Minister were not adequate. And he is not just a Cabinet Secretary. He is also the friend, the mentor, the fellow-traveller, the astrologer, *deus ex-machina* of Shri Vishwanath Pratap Singh—his Father-confessor, if you permit me to say that. The conspiracy, Mr. Vice-Chairman, goes further and how it gets exposed, it is quite clear. Mr. G.S. Bajpai, Secretary (Security) Cabinet Secretariat, again under Shri Vinod Pandey, meets Mr. Chidambaram. Mr. Chidambaram is briefing him as the representative of Shri Rajiv Gandhi, Leader of the opposition. They discuss security arrangements as per the original note of Mr. Seshin the previous Cabinet Secretary which said that if this security is withdrawn, firstly there has to be a threat perception and secondly, adequate arrangements have to be made. And the adequate arrangement as suggested by Mr. Chidambaram was the posting of SPG staff to the Delhi Police to attach it to Shri Rajiv Gandhi which would serve the purpose and which was what we were demanding all along, and.....

SHRI S. JAIPAL REDDY : It was done.

PHRI VISHVJIT P. SINGH : No, it was not done. I am coming to that. Mr. Jaipal, you cannot escape this. Please allow me to complete my arguments. And this meeting is recorded by Mr. Chidambaram in a letter addressed on February 3, 1990 to Shri Bajpai when Mr. Bajpai conveyed to him the decision to withdraw the SPG.

"I told you that it was only fair and proper that the alternative arrangement should be first discussed with Shri Rajiv Gandhi or his representative before any change is made."

This is in the first para of Mr. Chidambaram's letter, and as a result of that, a 1098 RSS/94—27.

meeting is arranged and an officer is deputed. Shri V. N. Singh, Additional Commissioner of Police, Delhi meets Mr. Chidambaram. They discuss the security arrangements and V. N. Singh goes back and reports back to Mr. Bajpai and Mr. Bajpai writes a letter once again. This is DO. No. Secy(S)/90 and date is not given on which he has written this letter. But he writes to Mr. Chidambaram when he says :

"Dear Shri Chidambaram,

As desired by you, Shri V. N. Singh, Addl. Commissioner of Police, Delhi, met you on February 3, '90 to discuss on the ground various protective arrangements for Shri Rajiv Gandhi."

And then he says :

"Shri V. N. Singh reported to us that  
n

And then he says: "All this has been agreed to" and he writes: "We accept all your suggestions". And everything is over. But here is the catch. Mr. Chidambaram immediately writes back on 9th February, the moment he receives this letter:

"At about 1.00 p.m. today I received your letter dated 6-2-90 which appears to be a response to my letter dated 3-2-90. The contents of your letter have caused me great surprise and, it is with deep regret, that I hasten to write to you to set the record straight.

Shri V. N. Singh, Addl. Commissioner, of Police called on me on the afternoon of 3-2-90. At his request, we inspected the arrangements at 10-Janpath. I pointed out to him several inadequacies on the ground and also raised a number of questions on the arrangements proposed by the Ministry of Home Affairs. I did not express satisfaction with the arrangements. Later in the evening I wrote to you the letter dated 3-2-90 in

you wanted to spend on him, while the threat perception increased seven-fold. One to the power of seven was the increase in the threat perception to Shri Rajiv Gandhi after the withdrawal of the SPG.

Therefore, the conspiracy, Mr. Vice-Chairman, is quite clear from the exchange of letters and from the record published by the Verma Commission of Inquiry.

Therefore, I charge, firstly, Shri V. N. Singh, Additional Commissioner (Police), Delhi, at that point of time, of being a party to the conspiracy to withdraw the SPG cover from Shri Rajiv Gandhi, thereby putting him at risk. It was the first contributing cause of his assassination. I charge Shri Gauri Shankar Bajpai, Secretary (Security), Cabinet Secretariat, at that point of time, who was a party to the conspiracy to withdraw the SPG cover and the security cover from Shri Rajiv Gandhi, thereby becoming the main contributing factor to his assassination at the hands of the LTTE. I charge Shri Vinod Pande, Cabinet Secretary to the Government of India at that point of time, who was mainly instrumental in passing the order which withdrew the security cover from Shri Rajiv Gandhi, thereby facilitating his assassination by forces from across the sea.

In fact, Mr. Chidambaram never agreed to these things. Shri Rajiv Gandhi never agreed to this arrangement. The arrangement was not satisfactory. Not only Shri Rajiv Gandhi and Shri Chidambaram. Even he Congress Party protested against it. The party spokesman—not one spokesman, but two different spokesman—raised this issue time and again, but it was answered by them saying that they were still spending Rs. 75 lakhs a year on Shri Rajiv Gandhi's security.

I lastly charge Shri Vishwanath Pratap Singh, the then Prime Minister of India, who acquiesced in this order and who was a party to this conspiracy which removed the security cover given to Shri Rajiv Gandhi, thereby endangering his life. I hold the root-cause of the assassination to this arbitrary, perverse and ill-considered decision to withdraw the SPG cover from the former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi.

**SHRI SOM PAL:** It is on record in H5 Lok Sabha that Rs. one crore would be spent and that, if necessary, the provision could be raised. The provision was for 240 people through twenty-four hours. There were four bullet-proof cars.

**SHRI VISHVJIT P. SINGH:** But you forget that before the security was withdrawn, the amount spent was Rs. 7 crores. It was one-seventh of the amount that

The constitutional and political responsibility for this decision rests with the then

Prime Minister, Shri Vishwanath Pratap Singh, who took that decision or allowed that decision to be taken. The then Prime Minister, Shri Vishwanath Pratap Singh—please hear this, Mr. Jaipal Reddy—might have been well within his legal rights and administrative jurisdiction to take such a decision. But he has to own up his moral responsibility. While, therefore, the Government cannot take any legal or administrative action against the then Prime Minister, Shri Vishwanath Pratap Singh, I unequivocally condemn this disastrous decision. The people of India will never forgive him. Thank you, Mr. Vice-Chairman.

SHRI DIPBN GHOSH (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am sorry that because of my preoccupation with a Committee meeting, I could not be present here when I was supported to speak. I hope Sir, you will excuse me for my absence at that time.

SHRI S. JAIPAL REDDY : Therefore he will be given more time.

He will get more time.

SHRI DIPEN GHOSH: I will not take much time.

To me or to my party also, the killing of the ex-Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, was not simply a case of 'kill', it was a conspiracy to assassinate or through assassination of Rajiv Gandhi destabilise our country on the eve of general elections. We know, this was not the first time that a high personality like Rajiv Gandhi was assassinated. Earlier Mrs. Indira Gandhi while in office, at her own residence, at the Prime Minister's official residence, was assassinated, if he consider the assassination of Rajiv Gandhi with a narrow frame of mind, then I feel and for that matter my party feels that we will be overlooking certain other aspects involved in it. The question is not that while he was the Prime Minister—

ter he had the SPG cover and when he demitted office SPG cover was withdrawn and, therefore, he was exposed to further security hazard. If that is so, what do we find when Mrs. Gandhi was assassinated" At that point of time Mrs. Gandhi was in office. At her own official residence she was enjoying the highest security as any one could get, yet she was assassinated. The Government, at that point of time, was her own Government. The entire machinery was her own Government's machinery. Even that machinery, whether it was the intelligence or the police or the security, could not protect her. Through certain Commission of Inquiry or certain other legal procedures the subsequent Government had punished some individuals, but can anyone say, whether from this side or that side, that through such Inquiry or through such awarding of punishment the real conspiracy or the forces behind the conspiracy could be unearthed ? I keep my fingers crossed.

Another calamity took place on the eve of general elections. So, when we are discussing this matter we must address ourselves to the wider ramifications and in a greater perspective of the event. I do not blame the Verma Commission because the Verma Commission was constituted with set terms of reference to find out and fix the responsibility for dereliction of duty, whether security was adequate and if not, who was responsible and who could be charged for dereliction of duty. What do we see from the Verma Commission report ? Enough has been discussed. The Verma Commission has blamed the Central Government. The Verma Commission has blamed the Central Intelligence Bureau, a part of the Central Government. The Verma Commission has blamed the State Government.

The Verma Commission has blamed the ! State Intelligence Bureau and the police



machinery which is a part of that State Government. The Verma Commission has blamed the Congress (I) Party also. If we look and pick up certain pages or certain paragraphs, then, again we would lose sight of the perspective, the real perspective.

I can admit, for argument's sake, what I heard in the oration of another V.P. Singh, Mr. Vishvjit Prithvjit Singh, not Mr. Vishwanath Pratap Singh. He has charged. I do not mind it. If there is a cause, if there are reasons to charge, one can charge. But, Sir, I know Mr. Suresh Pachouri and other members were harping for a long period of time to have a discussion on this Report. In the morning I asked why Parliament was denied adequate time to discuss this Report. What was the reason behind it ? Actually, why should Parliament discuss it only to apportion blames ? Parliament should discuss it so that it can address itself to this conspiracy with a wider ramification, in a greater perspective and take appropriate steps. Mr. Digvijay Singh was right. That is being lost sight of. I had an opportunity to speak on the report of the inquiry commission which was set up on the assassination of Mrs. Indira Gandhi.

SHRI S. JATPAIL REDDY : The Thakkar Commission.

SHRI DIPEN GHOSH: The Thakkar Commission. I had expressed my doubt if the forces behind the assassination which wanted to destabilise our country, the forces which never wanted our country to remain independent, the forces which never wanted our country to remain self-reliant, the forces which never wanted our country to remain sovereign, the forces which never wanted our country to remain united, will ever be identified. There was a deep conspiracy. So, let us go in for introspection also. There should be an opportunity for introspection, not simply apportioning the blames.

I quote one particular paragraph. You have surely read it :

"There was constant intransigence of the Congress Party functionaries including the Congress candidate to ensure the largest possible gathering with minimum arrangements to encash the visit of Rajiv Gandhi for better election prospects."

Our learned colleague, Mr. Santosh Mohan Dev knows what happened in their meetings.

There is another paragraph, the last paragraph.

"There was a total lack of awareness in all the paitymen that they have a comr.butory role in the security arrangements flowing from their obligation to facilitate the task of the police force."

If the party suffers from that lack of awareness, if the partyman suffer from that lack of awareness, if the partymen suffer from that intransigence, what will happen ? It is not the future of one individual leader, but it is the future of the nation and the party. So, obviously, there must be some introspection. And this did not happen for the first time. Earlier also the same party had suffered a lot in the assassination of Mrs. Gandhi. So, there should be introspection from their side.

But, what is the awareness still ? The present Government is run by the same party, Mrs. Gandhi's party, Rajiv Gandhi's party. This is the Ministry of Home Affairs Memorandum of Action Taken on the Report of the Verma Commission. The Minister of State for Home Affairs, Mr. Rajesh Pilot is not here. I quote a paragraph from it, because the other V.P. Singh wanted us to quote the entire paragraph. I quote :

"The Government finds it difficult to share the perception of the Commission on the lapses attributed to the Central Government and the Intelligence Bureau under this Government."

The Government led by the same party, of which Rajiv Gandhi was its leader, finds it difficult to share the perception of the Verma Commission. Why? Why have the lapses been attributed to the Central Government and the IB? It is because the IB is a Central Government department. IB is under the control of a particular Minister, the Prime Minister<sup>a</sup> of the Home Minister.

SHRI DIGVIJAY SINGH : It is only under the Prime Minister. No one else.

SHRI DIPEN GHOSH: So, that Department is to be protected and defended. They have no courage to say : "Yes, my department has faulted." So, bureaucrats—cally they are trying to protest.

Then again—the second V. P. Singh is not here—they have stated that after de-mitting office, he could not get S. P. G. Cover. That is why I am quoting.

"The alternative security cover prescribed for Shri Rajiv Gandhi was comprehensive and adequate to meet the perceived high-level threat."

This is not the version of Jaipal Reddy; this is not the version of Digvijay Singh. This is the statement given by the Government headed by the same party. Inst now we had heard that with the withdrawal of the SPG, the whole security system had collapsed and the threat perception went high. But what is his own Government saying? His own Government is saying the alternative security cover prescribed for Shri Rajiv Gandhi was comprehensive and adequate to meet the perceived high level of threat. And then it continues :

"It has been acknowledged by the Commission as well as admitted by Shri R. K. Raghvan, who was over all in charge of the security arrangements at Sriperumbudur meeting that the 'the prescribed security arrangement' had been strictly enforced, the assassination could have been averted."

Now, the comfort is sought to be drawn by the Home Minister in this note. This makes it clear that the prescribed security arrangements were adequate. So, even after the withdrawal of the SPG, the prescribed security arrangement was adequate in their perception, according to the statement of the present Government. And the assassination took place due to their faulty implementation on account of the negligence on the part of the police personnel deployed at the meeting—the poor police personnel.

SHRI S. JAIPAL REDDY : Fourteen of whom were killed. So this is the perception of the present Government headed by the same party which was led by Mr. Rajiv Gandhi. If this perception continues with the present Government, though I don't believe in God, may God save us from another catastrophe or calamity.

Mr. Vice-Chairman, I am not going to take much of your time. I don't look at this problem with a narrow approach of apportioning blame on this party or that party. I look at the problem in the perspective that there are forces who want to destabilise our country and those forces are encouraged by the forces abroad. They are out to disunite, disintegrate our country. The sooner the Government perceives this threat in the real perspective, *'ser for the nation.* Thank you.

श्री शिव प्रताप मिश्र (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपमहाप्रधान जी, फिर 21 मई आ रही है जिस दिन हमने अपने प्रिय नेता श्री राजीव जी को

अपने बीज से खो दिया था और अभी मैं बाहर चर्चा कर रहा था अपने भित्ति श्री सोमपाल जी से। इन्होंने कहा कि अब राजीव जी की हत्या हुई तो उस समय वे चुनाव के सिलसिले में मुंबई किसी गांव में थे। कुछ देर के बाद इन्होंने देखा कि अग्निबां धा गई, वृक्ष उखड़ने लगे और पूरा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। उस समय इन्होंने सुना कि राजीव जी नहीं हैं तो विश्वास नहीं हुआ। उनके विषय में इन्होंने अभी कहा कि राजीव जी के मन में कोई छल-प्रपंच नहीं था, निश्चल व्यक्ति थे और मैं तो उनके साथ रह चुका हूँ और उपसभाध्यक्ष महोदय, आप भी उनके बहुत सन्निकट थे। मैं जैसे गीता में पढ़ चुका हूँ—“अद्रेष्टा सर्वभूतानां मत्ताः करुणेषु च”। राजीव जी को मैंने किसी से द्वेष करते हुए नहीं देखा।

अभी जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि राजनीति में मेरा उनका मतभेद था लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं जानता था कि वह राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए एक नया परिवर्तन करने के लिए हर समय अग्रसर थे। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जब पार्टी नहीं छोड़ी थी उस समय कितनी बार कहा था, जब इलाहाबाद में वह चुनाव लड़ रहे थे तो आप भी गए थे और मेरे साथी भी गए थे, उस समय उनका यह वक्तव्य था कि राजीव जी मेरे नेता हैं, मेरे प्रिय नेता हैं, उनको मैं कभी नहीं छोड़ सकता, उनको मैं तिरंगे में लपेट के जाऊंगा। लेकिन 21 मई को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 27 मई को ग्वायमूर्ति श्री जे०एस० वर्मा की अध्यक्षता में इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया। उसके लिए आप उस वर्मा आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। वर्मा आयोग की जो उपलब्धियां हैं उन पर चर्चा करने की बात को कोई यह न समझे कि वह किसी द्वेषवश बोल रहा है या ईर्ष्यावश बोल रहा है और मैंने जो उसको अक्षरशः अपने पास रख लिया है। जैसे बारिश होती है तो छाता लगाने से या किसी कमरे में जाने से ओने पड़ने का असर और बारिश का असर नहीं होता है। इसलिए मैं यह तो नहीं कह सकता कि किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन असामयिक

मृत्यु हर मजहब में हर धर्म में बताई गई है। जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं वह षडयंत्रों के परिणामस्वरूप होती है। इसको मैं जरूर मानता हूँ और मेरा कविबोधन है, मेरी धारणा है और इस पर मैं आश्वस्त हूँ कि यह आयोग की जो उपलब्धि है, जो इसकी समीक्षा है, इस आयोग का खंडन किसी ने नहीं किया। इसके लिए मैं सभी अपने साथियों और जिन लोगों ने अपना मत व्यक्त किया, मैं उसका सक्षम रूप से अध्ययन कर रहा था कि आयोग की किसी ने गलत नहीं बताया, न आयोग के परिणामों को गलत बताया। तो उस आयोग के अनुसार कुछ चीजें मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ और इसकी समीक्षा सरकार करे, हमारे संसद साथी करें। आयोग ने लिखा हुआ है, आयोग ने इस सिलसिले में विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा 30 जनवरी, 1990 को राजीव गांधी के लिए पर्याप्त वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था किए बिना एस०पी०जी० की सुरक्षा व्यवस्था को अनुचित बताया। आयोग ने कहा है सिंह सरकार की सूझ-बूझ और आवश्यक इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया। सरकार के इस फैसले में राजीव गांधी के लिए उचित व्यवस्था नहीं हो पाई जिसकी वजह से थी। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, और कोई नहीं कह रहा है, वर्मा आयोग की समीक्षा का एक अंश मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्रीमन्, बहुत सी चीजें कही गई हैं। मैं दर्शन प्राप्त करता हूँ...

श्रीमती कमला सिन्हा: दर्शन छोड़कर विषयवस्तु पर आइए...

श्री सिद्ध प्रताप मिश्र: आप कहें तो मैं जला जाऊँ? मैं वर्मा आयोग की बात कह रहा हूँ, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं न किसी के प्रति द्वेषभाव से बोल रहा हूँ, न ईर्ष्या से, मैं वर्मा आयोग की बात कह रहा हूँ। आप इस बात का खंडन कीजिए नहीं तो मुझे वर्मा कमिशन ने जो लिखा है उसको बोलने की अनुमति दीजिए... (व्यवधान)।

श्रीमन्, मैं वर्मा आयोग के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है इस बीज को एक तो मैं दर्शनशास्त्र को इसमें इसलिए डाल

रहा हूँ क्योंकि वह मेरा जीवन दर्शन है। आपका जीवन अवर्धन हो तो उसमें मैं क्या करूँ ?

श्रीमन्, दर्शन में एक "अघ" होता है और एक "पाप" होता है। पाप तो भूल से आपको मारते हम जा रहे हैं, आप मर गए या किसी डाक्टर ने कोई आपरेसन किया तो किसी रोगी को मृत्यु हो जाए, तो वह पाप है। उसका प्रायश्चित्त है। लेकिन एक होता है "अघ"। अघ वह है जो पड़यंत्र करके, योजनाबद्ध तरीके से किसी की हत्या करना, किसी के साथ विश्वासघात करके उसकी हत्या करना। यह कभी क्षम्य नहीं है। तो राजीव गांधी की जो हत्या हुई है वह अक्षम्य है, हत्या एक पड़यंत्र से हुई है। उसमें चाहे जिसका योगदान हो। लेकिन मैं इस चीज को जरूर कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, मैं उनसे भी परिचित हूँ। मैं कानून का भी अध्ययन कर "res ipsa loquitur—the situation speaks for itself."

कोई भी वस्तु होती है देखकर ही जान लिया जाता है कि यह परिस्थिति किस तरह की है और इसका परिणाम क्या हो सकता है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री नहीं थे, पार्टी से अलग हो गए थे तो उनके कई वक्तव्यों में मैंने पढ़ा था। उस समय वह क्या कहते थे मेरी सुरक्षा हटाई जा रही है, राजीव मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। उसको लाइब्रेरी से या कहीं से ले जाकर देखा जा सकता है। लेकिन कोई सुरक्षा हटाई नहीं गई, बल्कि उनकी सुरक्षा दी गई। दूसरे, वह काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। कैसे हों भए, पता नहीं। लेकिन एक ऐसा अवसर आया कि यहाँ दिल्ली में 30 जनवरी मार्च है। 30 जनवरी, 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी। उसी दिन राजीव गांधी को एस०पी०जी० जो उनकी सुरक्षा के लिए थी, वह हटा ली गई। और उनका भी बलिदान हो गया। यह मैं नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने कहा कि इसमें एक सुनियोजित षडयंत्र था जिसको वह प्रधानमंत्री होने के नाते रोक सकते थे, नहीं रोक। मैं यह कहना चाहता हूँ, और

भी मेरे साथियों ने कहा कि उस समय वह प्रधानमंत्री नहीं थे इसलिए इस सुरक्षा के वह अधिकारी नहीं थे। लेकिन न तो आज वह प्रधानमंत्री हैं और न चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री हैं, न श्रीमती सोनिया गांधी आज प्रधानमंत्री हैं, न इन लोगों का कोई बच्चा प्रधानमंत्री है। लेकिन श्रोट परसेप्शन ज्यादा है इन सब के ऊपर इसलिए उनके लिए एस०पी०जी० की व्यवस्था की गई है। क्या उस समय वह प्रधानमंत्री थे ? मैं जानता हूँ उनका राजनीतिक जीवन इलाहाबाद से। वह इन्दिरा गांधी के लगभग हुए बिस्व थे, उनको कांग्रेस की राजनीति में लाने वाला नेहरू परिवार था। श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं, राजीव गांधी की ही उदारता और सहयोग से वह इतने उच्च शिखर तक पहुँच सके। तो क्या वह निर्णय नहीं ले सकते थे कि नहीं आपको सुरक्षा की व्यवस्था है, श्रोट परसेप्शन है, आपका जीवन खतरे से भरा हुआ है तो एस०पी०जी० का प्रावधान उस समय उनके लिए नहीं कर सकते थे जो प्रावधान आज उनके लिए किया गया है ? क्या वह प्रधानमंत्री नहीं रह चुके थे ? क्या इस तरह का कोई व्यक्तित्व इस राष्ट्र में था उस समय ? इसको सभी लोग मान रहे हैं, सब जान रहे हैं कि उनके प्रेसमिनेशन में, उनकी हत्या से भारत ही नहीं विश्व एक बार काँप गया था। उस समय क्या वह नहीं जानते थे कि उनके लिए इतना बड़ा खतरा है और उसका वह निर्णय लें। लेकिन चाहे जिस के भुलाव से उन्होंने वह निर्णय लिया, एस०पी०जी० को हटा लिया गया क्या उसमें उनकी स्वीकृति नहीं रही ? बही हटाना, वर्षों आयोग कहता है, राजीव गांधी की हत्या का कारण बना। भूतें तो बहुत भी हुई। भूल की बात जैसा मैंने कहा कोई जानबूझ कर नहीं लेकिन उस समय प्रधानमंत्री अगर चाहते तो एस०पी०जी० को नहीं हटाते। इसमें और भी बहुत कुछ दिया गया है। जैसे सरकार के लिए कहा गया कि हमारे गुप्तचर विभाग ने कुछ नहीं किया। गुप्तचर विभाग इन खतरों से अवगत था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो ने बार-बार केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव किया था कि राजीव गांधी को एस०पी०जी० से सुरक्षा प्रधान करवाई जाए। राजीव गांधी की हत्या के पहले हमारे गुप्तचर विभाग ने केन्द्रीय

सरकार को इससे अवगत करा दिया था। लेकिन केन्द्र सरकार ने पुनः यह कहा कि राज्य सरकार की सुविधों के नाते उनकी हत्या हुई। मैं भी बता रहा हूँ और हमारे दिग्विजय भाई ने भी जार्ज का नाम लिया कि जार्ज ने सुरक्षा के लिए कहा था। जार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ। जार्ज उनके सचिव थे यह कह सकते थे। लेकिन यहां के सांसद श्री चिदम्बरम की बात कर रहा हूँ, यह आयोग ने कहा है, 3 फरवरी, 1990 की सुबह इस निर्णय की योजना मिलते ही मंत्रिमंडल सचिवालय के सुरक्षा सचिव को लिखा:

“कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि एस०पी०जी० द्वारा प्रधान किये गये वर्तमान सुरक्षा प्रबन्ध तब तक जारी रखे जाएं जब तक परामर्श नहीं हो जाता और इनमें राजीव गांधी के निर्देश के बिना कोई परिवर्तन न किया जाए।” आयोग ने बताया है उसी के संदर्भ में मैंने यह उद्धृत किया है। उस सुरक्षा के मांगने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं देना। उस हत्याकांड से अपने को उन्मुक्त करना नहीं है। इससे उनकी हत्या हुई है। फिर 4 अप्रैल, 91—आई बी का आपन, —राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद तमिलनाडु में एलटीटीई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किये जाने से केन्द्रीय सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ा। उसके कारण कुछ उग्रवादियों की तरफ से प्रधान मंत्री और श्री राजीव गांधी के प्रति खतरा और बढ़ गया। यह हमारा आई बी बोल रहा है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जब एलटीटीई समर्थक तमिल तत्वों ने विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल किया है। अर्थात् इनके पास विस्फोटक उपकरण उपलब्ध हैं। उसमें किसी भी समय राजीव गांधी के जीवन को खतरा हो सकता है और यही नहीं 18 अप्रैल 1991 को आई०बी० के आपन में भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर्वश्री राजीव गांधी, वी०पी० सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एल०के० आडवाणी, इन सब की सुरक्षा के लिए सावधानी से केन्द्रीय सरकार को अवगत करवाया था। इसलिए क्या आप कह सकते हैं कि आई०बी० सो रहा था या हम लोग राजीव गांधी की तरफ से बोले नहीं हैं? यहां हम लोग बोले थे चिल्लाये थे। श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह जी, ने कहा कि उनके लिए 75 लाख रुपये के खर्च

की बात हुई थी, सोमपाल जी ने कहा कि एक करोड़ की। क्या अगर एक करोड़ रुपये खर्च हो जाते एस०पी०जी० की नियुक्ति राजीव गांधी जी के लिए हो जाती और उनकी हत्या न होती तो क्या सोमपाल जी यह उचित न होता कि उनके लिए अब दो करोड़ या 10 करोड़ या सो करोड़ या हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी हम उस व्यक्तित्व को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। उस समय तो आर्थिक नीति चल रही थी कुछ षडयंत्रकारियों की। इसमें मैं किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा हूँ। जैसे सोमपाल जी बाहर कह रहे थे कि एक तो उन्होंने उपनिषद् पढ़ा है और गीता में पढ़ कर कहा कि:

नैनं छिपन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः

न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः

इस अस्मा को अग्नि नहीं जला सकता है, न पानी भिगा सकता है, न कोई नष्ट कर सकता है। लेकिन दुराचार और अत्याचार शायद इसको गला दें, वह बोलें। मैंने कहा कि जला नहीं सकते हैं, लेकिन पीड़ित जरूर हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों के कुचक और षडयंत्र से, जिन लोगों के इस ओर ध्यान न देने से राजीव गांधी की हत्या हुई है उसको याद करके मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कुछ नहीं सोचा। मुझे महाभारत का एक आख्यान याद आता है। यल ने युद्धिष्ठिर से पूछा कि आश्वमेध की बात क्या है, तो उन्होंने कहा—

अस्मिन् महामोहम ये कटा हे सूर्याडिगता  
रात्रि दिवेन्धनेन।

मासतू र्वी परिग्रहनेन

भूतनि काजः पञ्चतीति धार्ता।

इस संसार में महोने कबील की तरह है, सूर्य, अग्नि इसके ईंधन की तरह हैं और काल इसमें सारे प्राणियों को पका करके खा रहा है, लेकिन जो जीवित है वे सोचते हैं कि हम जीवित रहेंगे, यही सबसे बड़ा आश्वमेध है। यज्ञ ने उनको कैद कर रखा था, लेकिन यह मुनकर छोड़ दिया। यहां मरने की बात सत्य होगी, लेकिन मृत्यु कैसे हुई, इसको देखा जाता है। पूर्व काल में एक

हैं कि उन्होंने यह फैसला दुर्भाग्यवश के बशोभूत किया।

**उपसभाप्यक्ष (सैयद निजाम रज़वी):** सिके 10 मिनिट आपके लिए हैं। आप कृपया अपनी बात इसी में कहिए।

**श्रीमती सत्या बहिन :** महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहूंगी। यह फैसला उन्होंने दुर्भाग्यवश के बशोभूत होकर किया और यह कहना कि एस० पी० जी० को पूर्ण प्रधान मंत्री को नहीं दिया जा सकता, उन्होंने उन परिस्थितियों को और उनकी हत्या के लिए उनकी जान पर जो खतरे थे, उन खतरों को जान-बूझ कर नजरअंदाज किया। मान्यवर, बार-बार कहा जाता रहा है कि राजीव जी की सुरक्षा में खर्चा बहुत होता है।

लोकसभा में एक करोड़ बताया गया, यहां 75 लाख बताया गया। महोदय, एस० पी० जी० को खर्च की कमी की वजह से नहीं बल्कि खतरा बढ़ाने के लिए हटाया गया।

मान्यवर, जब राजीव जी प्रधान मंत्री थे और श्रीलंका गए हुए थे तब भी उनके ऊपर एक जान-लेवा हमला हुआ था और यही नहीं उनकी मां पूर्ण प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गंधी की भी हत्या हुई थी। ये सब किन परिस्थितियों में हुई क्योंकि कुछ समय से देश का माहौल ऐसा बनता जा रहा था कि आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां और राजनीतिज्ञों के स्वार्थ और दलगत स्वार्थ के कारण माहौल ऐसा दूषित होता जा रहा था कि एक राष्ट्रभक्त नेता के लिए खतरा होना स्वाभाविक था। महोदय, आज हमारे नेता हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हमें उनके बलि पर आज भी गर्व है कि उन्होंने कभी भी फिरकापरस्तों से, कभी आतंकवादियों से या कभी राष्ट्र को तोड़ने-बाँटने से समझौता नहीं किया। न तो राजीव गंधी ने किया और न ही उनकी मां इंदिरा जी ने किया और यही वजह थी कि वह राष्ट्र के लिए शहीद हुए। अगर वह फिरकापरस्तों से, राष्ट्र को तोड़ने वालों से, राष्ट्रद्रोहियों से, आतंकवादियों से अपनी जान की खातिर समझौता कर लेते तो आज निश्चित रूप से हम सब के बीच में होते और हमें नेतृत्व दे रहे होते।

मान्यवर, राजीव जी के प्रति उस समय एक दुःप्रचार शुरू किया गया था। जब वह सत्ता में थे तब पूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ उनके वैचारिक मतभेद थे, इसलिये उन्होंने उनका बरिस्त हटाना करना चाहा। निर्दोष नेता पर आर्थिक अपराधी होने का चार्ज लगाया गया, लेकिन वह समय के साथ सभी चार्ज झूठे हो गए और कोई भी ऐसा आरोप उनके ऊपर सिद्ध नहीं हो पाया।

मान्यवर, जब राजीव जी की हत्या हुई, उस वक़्त केंद्र में एक ऐसी सरकार थी, उसकी हम दुर्भाग्य कहें या क्या कहें कि उस सरकार को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था।

जब राजीव जी की हत्या हुई और उसके बाद जब सदन में चर्चा हुई तो उस पक्ष के साथियों ने बार-बार इस बात को उठाया कि एस० पी० जी० अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने हटाया भी तो कांग्रेस की समर्थक सरकार ने क्यों नहीं एस० पी० जी० लगाया? क्यों नहीं कांग्रेस ने एस० पी० जी० की मांग की? मान्यवर एस० पी० जी० की मांग तो बार-बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाती रही। जब वह हटाया गया भी, उसके पहले से की जाती रही। कांग्रेस के प्रवक्ता ने की, इसी सदन में यह मांग की गयी और दूसरे माध्यमों से भी कई बार सरकार से मांग की गयी, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार की नीयत साफ नहीं थी। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और जानबूझकर राजीव जी की खतरे की ओर छेला। मान्यवर, जहाँ तक चन्द्रशेखर जी की सरकार से सुरक्षा मांगने का प्रश्न है तो कांग्रेस और कांग्रेस के महान नेता ने कभी बदले में कुछ चाहा नहीं।

यह सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी थी। यह बार-बार गुप्त सूचनाएं मिल रही थीं कि राजीव जी की जान की खतरा है। देश के चारों तरफ आतंकवाद छाया हुआ है, चाहे वह तमिलनाडु हो, लिट्टे का आतंकवाद हो, चाहे कश्मीर का आतंकवाद हो, चाहे पंजाब का आतंकवाद हो, चाहे बोडो का आतंकवाद हो, लेकिन जब तक राजीव जी जी के साथ एस० पी० जी० राजीव जी ने देश भर

This is also an important aspect which has to be gone into. The Commission has observed that there may be an extraneous factor which it has not pronounced. I would like the Minister to look into this.

Then, I come to Shri M.K. Narayanan. He has been keeping quiet while every thing was going on. I do not know why the Commission has not pinned him down. The Commission has got simple authority to put any question and, as you are aware the court has got wide powers and the Commission also has got a lot of powers. This is also another aspect of the matter which has to be taken into consideration.

There is a rumour which is afloat in Tamil Nadu that he is going to become a Governor. It is very strongly rumoured in Tamil Nadu that he is going to be made a Governor. People who have been charged with lapses are being rewarded. Is this the way?

Is this the way to reward the people who have been indicated by the Commission? Is this the way that the Central Government should give laurels to these people? This is the point that has to be considered.

Sir, on the 18th May, 1991, a message was sent—it is given at page 222 of the Report by the CIMINARE, New Delhi (DD VIP Security) to nil CREMOS. A complete warning has been given on 18-5-1991, prior to this assassination. The message says:

Since Shri Rajiv Gandhi is high on the hit list of terrorists, it is likely that a similar attempt may be made during his public meeting or other public appearances before and after the elections. While detailed advice of the nature of security arrangements to be provided to him have been circulated

from time to time, it is reported that in view of last night's incident at Shri Jagdish Tytler's public meeting, the following security precautions in particular may always be taken during his visits to your State."

Therefore, Sir, there has been a message to put the State Government and the police officials of the State Government on guard and to see that nothing happens because on the 18th, already Mr. Tytler's life was endangered. They were warned that an attempt may be made on the life of Shri Rajiv Gandhi and that they should take proper security steps.

Sir, I am not pleased with the Verma Commission Report. But at the risk of repetition, I say that the Governor is the person who must be squarely held responsible. He must have been sent out. And now at least he should be sent out of the State. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB-TBY RAZI) : Shri N. Giri Prasad -not present; Shri Ram Gopal Yadav—not present; Shri Subramanian Swamy—not present. Smt. Satya Bahin.

**श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश):** उपसभाध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय नेता श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी हत्या से संबंधित जांच आयोग की रिपोर्ट के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। महोदय, 21 मई, 1991 की काली रात केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी और वर्तमान सरकार ही नहीं, यह देश कभी नहीं भुला सकेगा। मान्यवर, वर्मा आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जिस रात बात पर खास तौर से वर्मा आयोग ने इंगित किया है कि राजीव जी की हत्या के पीछे एक बड़ा कारण जो था वह एस० पी० जी० को हटाना था। एस० पी० जी० को हटाना और उसके हटाने का जो फैसला पूर्व सरकार जो जनता दल की सरकार थी, जिसके प्रधान मंत्री श्री निखनath प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने यह फैसला किया मैं बेझिझक कहना चाहती

that is the base thing to ensure safety. It was pointed out in the Report that the police officers did not use even the metal detectors.

At page 66, the role of the highest officers of Tamil Nadu was discussed. Here, it is stated that R. K. Raghavan, IGP (Forest Cell) who was placed in overall charge of the security arrangements for Rajiv Gandhi at Sriperumbudur by DGP, B.P. Rangaswamy is responsible for this lapse as the police officer in charge. The ASP, V. Ramakrishnan, was to assist the DSP in this task and his duties as ASP coupled with his continuous presence at the venue of the meeting from the afternoon of that day are sufficient to hold him also responsible for this lapse along with R. K. Raghavan. In addition to them, one Mr. Mathur was also there. As my friend, Shri Narayanasamy, has put it, they were rewarded. They were taken back into service.

As my friend, Mr. Narayanasamy, put it, they have been taken back into service. Further, there is also a rumour afloat, that they are all going to be elevated to the higher posts. What is this? The whole House is concerned, not only the whole House but also the whole country and the entire world are concerned, about the loss of a statesman of this country and the State Government is going to give laurels by way of promotions to them. This is unbelievable. I would request the Home Minister to look into this very seriously and see how these things could be rectified. He must find out how these officers have been taken back in spite of this verdict and in spite of this indictment and in spite of this finding by the Commission. So, the state of affairs is bad and should be set right.

Then I would like to come to page 68 which is also very important. In para 13.11, it has been stated:

"Accordingly, the lapse or dereliction of duty by the Tamil Nadu police force is clear beyond doubt. This leads to the logical consequence of rendering the Government of Tamil Nadu responsible for the lapse of its police force."

Having said that that the Tamil Nadu police force is responsible, how is it that the Commission is keeping mum on the Governor? Still the Governor is continuing, and that is the most tragic part. He is continuing there still even after this dastardly assassination, even after this inquiry and even after this finding and even after all these occurrences. What should be done? He should be sacked and this is my submission to this House. Why is he continuing still? That is my question which has to be answered by the Home Minister. After all, you are appointing the Governors and if a Governor is not doing his job well, and if he found guilty, he should be sacked. When officers can be sacked, why not the Head of the State? At least, on moral grounds, he should have resigned. But he has not resigned and is continuing.

I now come to page 73 wherein it has been said:

"In this background, the assassination of Rajiv Gandhi by the mode adopted could not be unforeseeable to the IB, the premier intelligence agency, from the facts known to it. Failure of the Intelligence Bureau to fully and properly calibrate this threat foresee the attack made and disseminate information with the requisite further guidelines and instructions to the State agencies, was a lapse of the IB and the MHA amounting to a contributory factor. If this lapse of the IB was due to any extraneous factor after proper calibration of the threat affecting its professionalism, it would be worse and would need correction for the future."



for the election, Mrs. Maragatham Chandrasekhar said, "No, we will hold it here itself." The temple land is surrounded by bushy areas and there are places where people can hide themselves. The Police observed this and said from the security point of view, "You should not hold the meeting here. Please hold it in the school ground area." To this, the party workers retorted saying, "We have finalised to hold the meeting at the same place. You have tie business at all." Now, how could you point your fingers at the police? It is only your party people and the candidate who were more particular about the gathering than about the security of Rajiv Gandhi. This has been observed by the Commission also. The Commission says that they were bothered only about the gathering of the people unmindful of the security risk to the ex-Prime Minister.

...unmindful of the security risk of the ex-Prime Minister who came down to Sriperumbudur all the way from Delhi. He "went there in spite of some difficulty—his plane was not all right, it was got repaired and all that. Above all these things, the main thing which had caused this calamity was the venue of the meeting. I can say this in view of the finding of the Commission.

I would now like to give the gist of what is stated at page 55. I don't want to read it because it will take a lot of time. Ten photographs were taken by Haribabu which were retrieved by one of the police officers. They had given a lot of information about the culprits. Here, it is mentioned.

"It may also be mentioned that in the first photograph (A12), the unidentified female with a garland in her hand between Latha Kannan and her daughter, Kokila, is clearly an unidentified female seen also in the ninth photograph (A9) standing just behind Kokila which is evident from the identical dress

of the unidentified female in both these photographs and the other general appearance in addition to the string of flowers tied to her hair seen in both the photographs. It is this unidentified female whose mangled body with the torso blown off and the head and limbs scattered was found at the venue after the bomb blast indicating the maximum impact of the explosion.\*\*

Sir, I would like to know who is responsible, Latha Kannan or her daughter, they were clearly near the human bomb. Latha Kannan was said to be the COTV press party secretary. How was it that this unidentified female gained entrance unless these people had permitted? The Commission pointed out that had Rajiv Gandhi been 20 feet away from the bomb blast place, he could have been saved, he could have escaped with some injuries. At whose behest was this human bomb found in the midst of the secretary of the Congress party moving about freely at the venue? She was found not in one place but in two places. I want the Home Minister to examine deeply as to who is responsible. I don't want to conclude. He can himself conclude:

Sir, at page 65, the proximate cause for the assassination was said to be the lapse of police officers who allowed the people to be nearer the sterile area of Shri Rajiv Gandhi. Efforts were made. Police officers were there. Seven police officers died and forty five persons were injured. The Commission stated that the proximate cause was the lapse of the police officers to restrict the entry and to prevent entry therein of any unauthorised, unidentified and unnecessary person and to permit the entry of those present only after proper checking with metal detectors. This is most important. Where there is a security risk, even we are searched. In the airports, whether you are an MP or not, your baggage is thoroughly searched. We cannot complain about it because

will find that it indicts the Central Government, the State Government, the State police officers, the Congress party workers and other people. But I was shocked to see that the head of the State, i.e. the Governor, who was heading the administration of Tamil Nadu, is not mentioned in the Report. There is not a single line about him in the Verma Commission Report. I don't know why the Governor has been spared. How did it happen? He should have been the first person to be indicated. How is it that the Verma Commission lost sight of it? For reasons best known to the Verma Commission, the Governor has been spared. There is no reference about the Governor in the Report. At whose behest it has been done we don't know. Some of the hon. Members have quoted the Verma Commission Report. Now, I would also like to refer to the Verma Commission Report.

Sir, I wish to refer to Page 12 with regard to cassettes. Three cassettes were found and with regard to these three cassettes, the Commission observed that it was extraordinary that the video cassettes pertaining to 21st May, that is, the incident of the assassination of Rajiv Gandhi, appeared blurred in the crucial portion, soon after showing arrival of Rajiv Gandhi at the venue and presentation of a few shawls and towels to him before the bomb blast. The next line is very important. It says, "This appears more unusual when compared with the video cassettes of the alleged dry runs produced by the SIT of earlier meetings which are clear throughout." Even the House would recall that a point was raised in the presence of our Home Minister whether there was erasure of the cassette. We suspected that erasure had been done and the Home Minister had said—it is still fresh in my memory—"I can't go deep into the matter. The matter is under investigation and we can't open it. Anyway, I will enquire into the matter and keep this in my mind." Now, it is a relevant factor because the Commission Report has

also pointed out, "it is unusual." Therefore, the Commission also suspects that somebody had tampered with that. Who is that person who has tampered with the cassette? With regard to the other cassettes, they are quite okay and very clear in all aspects. Therefore, some tampering has been done with and it should be found out. And I put it for the consideration of our Home Minister. I have repeated it for the second time because the Verma Commission Report has also come out. Now with regard to the Commission's inspection—the Commission has laboriously done the job—I shall read a few lines from Page 13. Actually, two places were suggested for the venue of the meeting. One is the temple land where the assassination took place and the other one is the school ground. Both the places were visited by the Commission and the Commission says, "For a comparison of the temple land with the school ground suggested as the alternative venue, the Commission also inspected the school ground. The contrast of the school ground with the temple land was obvious and (here can be no doubt that the school ground was far more suitable as the venue of a public meeting. The school ground was even and had some buildings around it providing better means of access control with availability of a separate entrance for the VIP. The size of the school ground did not appear inadequate to accommodate the expected gathering for Rajiv Gandhi's meeting. These observations summarise the points of comparison of the two sites." Therefore, I would request the Home Minister to find out as to who had manoeuvred the plan and inspected the area. We have information where the police seemed to have said that that was not a suitable place and the venue had to be changed to the school ground as it was dangerous to hold the meeting at the temple land for security reasons. Now, we are warning the police. It is also the finding of the Commission that the then candidate

राजा मंजु है। राजा भोज की जीवन कथा में मैंने इसको पढ़ा है। उनको किसी ज्योतिषी ने बताया दिया, जैसे विनोद पाण्डे ने श्री बी०पी० सिंह को बताया कि आप प्रधान मंत्री बनेंगे। एक बार तो वह सही हो गया, पुनः बताये होंगे तो वह गलत हो गया। ज्योतिष में सब चीजें नहीं हो सकती हैं। उसने बताया कि भोज पांच साल की उम्र में सम्राट हो जाएगा। उसने सोचा कि भोज की हत्या करके उसकी आख निकाल कर लाई जाय। भोज ने अपने रक्त से पेड़ की छाल पर इसको लिखा है जिसको भोजपत्र कहते हैं। यह पत्र लोगों को नसीहत देने वाला है। उसमें लिखा था:

माध्याता च महीपतिः कृते युगा उलंकाट भूतो गतः  
सेतुर्बेन महोदधौ विरचितः

कविसौ दशानस्यान्तकः

अन्धेचापि, युधिष्ठिर प्रभूत यो यावन्दिब भूषते  
नैकेनापि संमगत वसुमतो यजस्वत्या रयाति :  
हे मंजु, माध्याता जैसे युग अलंकार सम्राट  
इस पृथ्वी से चले गये, समुद्र में पुल बांधने वाले  
राम भी नहीं रहे और युधिष्ठिर की तरह अनेक  
पराक्रमी योद्धाओं को इस पृथ्वी पर काल ने  
निगल लिया। मुझे लगता है कि हम काल से  
नहीं निपले जाएंगे, पृथ्वी नहीं चली जाएगी।  
तो जिन षडयंत्रकारियों की योजना चली, चाहे  
राजीव गांधी की हत्या हुई या प्रेमदास की हत्या  
हुई, चाहे वह किसी और को मारने की योजना  
बनाये हों, वे तो स्वयं पहले ही मर जा रहे हैं।  
उनकी मानसिकता विकृत हो चुकी है। लेकिन  
हम लोगों, जिनकी मानसिकता राष्ट्र की एकता  
को समृद्ध बनाने की है, इसका विकास करने की  
है, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की है उन लोगों  
की अगर मानसिकता विकृत हो जाएगी तो यह  
राष्ट्र ही नहीं, संसार छिन्न-भिन्न हो जाएगा।  
तो मैं जो राजीव गांधी पर वर्मा प्रायोग ने अपनी  
उपलब्धियां दर्शाते हुए जिन लोगों को दोषी  
ठहराया है, मैं चाहता हूँ कि इससे सतर्क रहने  
के लिये कुछ ऐसे कदम उठाये जाय जिससे इस  
तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।  
राजीव गांधी की आत्मा नहीं मरी है। जब तक  
किसी के चाहने वाले दुनिया में रहते हैं तब तक  
उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। न राजीव गांधी  
और न उनका परिवार समाप्त होगा और न उनके

1098 RSS/94-28

भारत समाप्त होंगे। उनके आदर्शों पर हम लोग  
सदा चलते रहेंगे। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SYfcd SIB-TBY RAZI) : I would like to draw the attention of the House that still we are discussing the Verma Commission Report. The Legislative Business is still pending, We have got one statement by Shri Balram Jakhar and then clarifications on another statement. We have to finish all the business today. I would request the Members to be brief.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATARAMAN: Mr. Vice-Chairman, I share the sentiments and views expressed by the hon. Members regarding the Verma Commission Report. This ghastly assassination of Shri Rajiv Gandhi took place on 21-5-1991 when Tamil Nadu was under Governor's rule. Since the Central Government was headed by Mr. Chandra Shekhar, he invoked Article 356 of the Constitution and dismissed the DMK Government. I will be failing in my duty if I don't place on record that Mr. Rajiv Gandhi visited Tamil Nadu 13 times when Dr. Kalam was the Chief Minister. He visited every nook and corner of the State villages, towns as well as cities. He was safely seen off to Delhi each time.

I want to make one point very clear. Mr. Pachouri has mentioned that the DMK meeting which was scheduled to be held at Sriperumbudur on that particular day was cancelled. It is true. A letter was sent by a person in the higher ranks of police officers, for our leader saying, "Shri Rajiv Gandhi is visiting Sriperumbudur on that day; therefore, please try to cancel your meeting. He agreed to it. On that particular day our leader was canvassing in Harbour constituency from where he was contesting the assembly election. It was announced in the newspapers as well.

Now, I come to the Verma Commission Report. If you read the Report, you

में दोरे किए और षडयंत्रकारी, जो हत्यारे थे, वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। इसकी एक वजह यह थी कि उनके पास पूरा सुरक्षा कवच था। जब लोगों को, षडयंत्रकारियों की मौलूम पड़ा कि उनकी सुरक्षा में गंभीर कमी आई है, गिरावट आई है, तो उन्होंने षडयंत्र किया। बार-बार कहा जाता है, राजीव जी की सुरक्षा में संख्या का ज्वीरा दिया जाता है कि इतने व्यक्ति राजीव जी की सुरक्षा में लगे हुए थे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि जो सुरक्षाकर्मी थे, उनका स्तर क्या था? एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसकी मां हत्या का शिकार हुई और जो स्वयं हत्याओं की हिटलिस्ट में था, आतंकवादियों की हिटलिस्ट में था, क्या उसके लिए इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था काफी थी? यह जानते थे कि यह सुरक्षा व्यवस्था केवल औपचारिक सुरक्षा है, केवल बहाने की सुरक्षा है, केवल दिखाने की सुरक्षा है और केवल यह बताने के लिये कि राजीव गांधी के पास इतनी संख्या में सुरक्षा है।

**उपसमाध्यक्ष (संयुक्त सिद्धे रजौ) :** कृपया समाप्त करें।

**श्रीमती सत्या बहिन :** मान्यवर, हत्या से एक दिन पहले केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो ने बार-बार इस बात का प्रयास किया कि राजीव जी को ए.पी.जी. प्रदान की जाए, उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन जिस दिन से एस० पी०जी० हटाई गई थी उसी दिन से कोई वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था, ऐसे स्तर की व्यवस्था उनके लिये नहीं की गई। मान्यवर, मंत्रिमंडल को जब एस०पी०जी० हटाने के प्रस्ताव में जो नोट भेजा था कैबिनेट सेक्रेटरी ने, उसमें यह भी कहा था कि ए.पी०जी० का जो कवच है, उसकी संख्या का हवाला देने हुए यह बताया था कि इतनी तादाद में, इतनी मद्धा में सुरक्षा व्यवस्था का रहना संभव नहीं है। मैं निराश कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के लोगों को राजीव गांधी की जान के खतरे की आशंका पहले ही थी। एक बार जब राजीव जी के निवास पर

**उपसमाध्यक्ष (संयुक्त सिद्धे रजौ) :** कृपया समाप्त करें। आप एक मिनट में खतम करें।

**श्रीमती सत्या बहिन :** मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहती हूँ, आखिर में, कि राजीव जी के निवास स्थान

पर जब हरियाणा पुलिस के दो लोग जासूसी करते हुए पकड़े गए तो उसका भेद नहीं मानूम पड़ा कि कौनसी वह सूचनाएं इकट्ठी करना चाहते थे? वह कौनसी बात जानना चाहते थे, जिसे वह बाहर देना चाहते थे? यह आज तक भी रहस्य बना हुआ है।

मान्यवर, चर्चाएं चाहे आज हम करें या भविष्य में करते रहें, लेकिन जो हमने, कांग्रेस पार्टी ने खोया है,

**उपसमाध्यक्ष (संयुक्त सिद्धे रजौ) :** आप सवाल कर नें, जो भी आपको करना है। अब आपको एक मिनट और दिया जा रहा है, उसके बाद मैं दूसरे मेम्बर को बुला लूंगा।

**श्रीमती सत्या बहिन :** मान्यवर, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ, सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि कितने ही लोग, चाहे कितने भी बड़े पद पर हों, दोनों सरकारों इस संसित में शामिल थी और और ऐसा नहीं है कि वह अनजाने में शामिल थी बल्कि वह जानबूझकर शामिल थी। पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी को हमारी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, हुकूमत चलाने की थी, लेकिन उसके बदले में उन्होंने क्या दिया? हमारे नेता को अत विक्षत लाभ दी। यह सोचने की बात है। आज हमें ऐसा नेता तो नहीं मिल सकता।

मान्यवर, केवल भारत में ही नहीं बल्कि, हम जानते हैं, जो विदेश में भी राजीव गांधी के हमदर्द थे, उनके व्यक्तित्व को मानते थे, उनका सम्मान करते थे, यासिर आराफात ने भी कई बार भारत सरकार को चेताया था कि राजीव गांधी पर हमला हो सकता है लेकिन सरकार ने तो सुनना नहीं था और न ही सुना। मैं ज्यादा न बोलते हुए केवल यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश तो होना ही चाहिये, उनके विरुद्ध कार्यवाही भी होनी चाहिये।

राजीव गांधी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था, इतनी महान व्यक्तिगत थी, जब खाड़ी का युद्ध हुआ था उस समय वे सरकार में नहीं थे, वे विपक्ष के नेता थे लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में विश्वास करते हुए उनसे वार्ता की गई और खाड़ी युद्ध में उन्होंने जो भूमिका अदा की,

उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन सब बातों से जो राजनीतिज्ञ लोग थे, उनके अंदर एक ईर्ष्या की भावना जो पहले ही थी वह और ज्यादा बढ़ी।  
... (समय की घंटी) ...

मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, चाहे वह लिट्टे का प्रभाव करने वाले या कोई भी दोषी हो, उसे अगर वहाँ से लाने में हम कामयाब नहीं हो सकते तो यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी विफलता होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

**उपसभाध्यक्ष (सैयद सिक़े रज़वी) :** श्री सोमपाल। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कृपया दस मिनट में अपनी बात समाप्त करें क्योंकि समय नहीं है।

**श्री सोमपाल :** मैं कोशिश करूँगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के हमारे हमारे जितने भी साथी बोलें, वे ठीक उसी प्रकार बोलें कि जैसे एक पुराना ग्रामोफोन रिकार्ड टूट जाता है और एक ही लाइन पर सूर्य घूमती रहती है। बार-बार एक ही बात और सबकी कलम एक ही बात पर टूटती है कि विशेष सुरक्षा बल का आवरण श्री राजीव गांधी से हटाना ही उनकी हत्या का मुख्य कारण बना। मैं इस संबंध में सदन को स्मरण कराना चाहता हूँ कि माननीय राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिये कोई विशेष सुरक्षा दस्ता नहीं था। यह प्रथम बार तब हुआ जब कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। यह उनकी पार्टी और उनके मस्तिष्क की उपज थी कि एक विशेष दस्ते का निर्माण किया जाए प्रधानमंत्री की विशेष सुरक्षा के लिए और उसके लिए एक विशेष कानून बनाया गया। यह भी भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली ऐसी अनोखी घटना थी कि एक पद अथवा एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया। जैसा श्री जयपाल रेड्डी जी ने पहले ही इंगित किया, उस समय लोक सभा और इस सदन में यह बात आई कि इसका क्या औचित्य है? जब ऐसा कर दिया गया तो उसमें किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा का कोई

प्रावधान नहीं था और बाकायदा पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा को उस कानून की परिधि के बाहर रखा गया था। तो यदि मूलतः और प्रारंभ में ही पूर्व प्रधानमंत्री की विशेष सुरक्षा बल का आवरण न दिये जाने की जिम्मेदारी किसी की है तो यह कांग्रेस की है और उस समय के सत्ता पक्ष की है। उसके उपरान्त जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद से हटे तो कुछ समय के लिये उन्हें विशेष सुरक्षा बल दिया गया। यह रिकार्ड की बात है। परन्तु उसी समय तत्कालीन प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्रधानमंत्री के थे— श्री बी० जी० देवमुख और जो माननीय राजीव गांधी जी के भी प्रमुख सचिव रहे थे, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को एक बात से अवगत कराया कि विशेष सुरक्षा बल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे उस बात से चिंतित हैं कि यदि किसी समय ऐसी कोई अकस्मात घटना हो गई कि उन्हें सुरक्षात्मक कार्रवाई करनी पड़ी, गोली चलानी पड़ी या कोई और बात हो गई, जिसमें उन्हें अस्व चलाने पड़े या और कोई बात हो गई या उनमें डोल रह गई तो उस विशेष सुरक्षा बल कानून के अंतर्गत उन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं है, उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? जब यह बात उनके समक्ष आई, उस वक्त सरकार के सामने यह धिवशता आ गई कि उनकी वैकल्पिक सुरक्षा का प्रबंध किया जाये।

और जहां तक वर्मा आयोग की बात है, वह न्यायमूर्ति रहे हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। एक तो सरकार ने पूरे प्रतिवेदन को स्वीकार भी नहीं किया है। चाहे माननीय वर्मा हों, चाहे कोई और हो वह भी एक व्यक्ति हैं। उनके भी अपने कुछ पूर्वाग्रह हो सकते हैं। उन्होंने जो शब्द लिखा, वह अंतिम नहीं है और सरकार ने उसको पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि उनके शब्द अंतिम नहीं हैं। यदि वही वर्मा न्यायमूर्ति होते हुए भी यह बात कह सकते हैं कि किसी एक कानून के अंतर्गत यह व्यवस्था नहीं थी और सरकार ने उस गैरकानूनी काम को नहीं होने दिया। उसके लिए भी सरकार की आलोचना की है, तो यह बुभुक्ष्य की बात है। पता नहीं, यह उन्होंने किसी बात से प्रेरित होकर कहा है या जान कर कही है, यह मैं कहना नहीं चाहता।

SHRI VISHVJIT P. SINGH : Sir, I have a point of order. He is levelling an allegation against a Judge of the Supreme Court. I don't think it is allowed under the rules of this House.

श्री सोमपाल : मैं फैसले की बात कर रहा हूँ, माननीय उपसभाध्यक्ष जी । . . . (व्यवधान)

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह : मैं भी फैसले की बात कर रहा हूँ । मैं आपका सलाह चाहता हूँ ।

श्री सोमपाल : किसी भी निर्णय की आलोचना इस सदन में . . . (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB TEY RAZI) : I will advise the hon member....

SHRI VISHVJIT P. SINGH : I will advise the hon. Member not to level such allegations.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI SIKANDER BAKHT) : He is within his bounds.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB TEY RAZI) : I will request the speaker to restrain himself from casting aspersions against a Judge. So, be careful while speaking.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : He is quoting Mr. Deshmukh. The correspondence he is talking about has not even been produced before the Verma Commission. Neither is it part of the Verma Commission Report. What is he talking about ?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB TEY RAZI) : Mr. Som Pal, you please speak.

श्री सोमपाल : पर, इसी के साथ माननीय राजीव गांधी जी को जो सुरक्षा प्रदान की गयी, वह उस समय देश में उपलब्ध सबसे अच्छी सर्वोत्तम सुरक्षा व्यवस्था कही जा सकती है ।  
1098 RSP/94-79

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड—एन०एस०जी के बेहतरीन कमांडो का दस्ता उनको दिया गया था । चार बुलेट प्रूफ कार उनके परिवार और उनके लिए दी गई और उसके साथ उनके कहने पर दिल्ली पुलिस के कुछ सुरक्षा कर्मी जो विशेष सुरक्षा बल में डेप्युटेशन के ऊपर तैनात थे, उनको दिल्ली पुलिस को वापिस करके उनकी सुरक्षा में दिया गया था । 24 घंटे के अंदर 240 सुरक्षा कर्मी और चार बुलेट प्रूफ कार उनकी सेवा में लगे रहते थे । उस समय सदन के अंदर प्रधान मंत्री ने यह सूचना दी थी कि इस सुरक्षा उपक्रम के ऊपर लगभग एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष व्यय होगा और यह भी कहा था कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए तथा और अधिक वित्तीय प्रावधान करने के लिए भी तैयार हैं और उसमें हम कोई आनाकानी करने वाले नहीं हैं । यदि उस सुरक्षा में कोई कमी थी, मैं मान लेता हूँ कि हो सकता है कोई कमी रही हो उस समय यादनीय कमलापति त्रिपाठी जी और अन्य लोगों ने यह बात उठाई हो, और मैं यह भी मान लेता हूँ कि हमने यह बात नहीं सुनी । परन्तु जब कांग्रेस की समिति और उन्हीं के ऊपर पूर्णतया आधारित माननीय चन्द्रशेखर जी की सरकार बजट में आई तो उस समय कांग्रेस के किसी सदस्य ने उस सुरक्षा व्यवस्था में क्या सुधार करवाया, यह आज तक कोई नहीं बता पाया और हुआ भी नहीं । मैंने माननीय चन्द्रशेखर जी से भी पूछा, परन्तु इनकी तरफ से भी कभी कोई इस बारे में इंगित नहीं किया गया । इसी के साथ यदि यह समझते थे कि विशेष सुरक्षा बल उपर्युक्त सुरक्षा व्यवस्था है, तो इन्होंने माननीय चन्द्रशेखर जी से विशेष सुरक्षा बल प्रदान किए जाने की मांग भी क्यों नहीं की और विशेष सुरक्षा बल कानून में संशोधन की मांग भी क्यों नहीं की ? फिर, एक बार तो कानून बनाते समय और दूसरी बार फिर इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न करने की गलती या अपराध किया, तो वह कांग्रेस ने किया । उस समय यदि यह माननीय चन्द्रशेखर जी से सुरक्षा व्यवस्था में, उस प्रबन्ध में कुछ सुधार करने की बात करते या विशेष सुरक्षा बल कानून में संशोधन की बात करते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चन्द्रशेखर जी एक मिनट भी नहीं हिचकिचाते और वह तुरन्त इसको प्रदान कर देते ।

जब सुरेश पंचोरी जी ने कहा कि किन-किन संगठनों की इसमें भूमिका रही और यह संतोष की बात है कि उन्होंने स्वकारोक्ति भी की है कि उसमें कांग्रेस संगठन की भी कुछ भूमिका रही है। यह बहुत सही बात उन्होंने कही है। वर्मा आयोग ने एक नहीं, कई स्थानों पर जिनका उद्धरण मेरे माननीय साथी सदस्य जयपाल रेड्डी जी, दीपेन घोष साहब और ग्रन्थ साथी दे चुके हैं।

वर्मा आयोग ने कई स्थानों पर लिखा है कि केन्द्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की चेतावनी और सलाह की अवहेलना करके माननीय राजीव गांधी जी के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया। उनकी जनसभा के स्थल में परिवर्तन किया गया और आई०बी० की सलाह को नहीं माना गया। अब ये चिंता कर रहे हैं। जब उनकी जान की पहलू से खतरा था, उस खतरे के बारे में केन्द्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की चेतावनी के बावजूद भी इन्होंने उनकी सभा वहाँ की जहाँ लिट्टे का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे खतरनाक स्थान पर क्यों ले गए, स्थान का परिवर्तन क्यों किया, समय का परिवर्तन क्यों किया? जबकि इनको वहाँ ले जाने के लिए मना किया गया था तो फिर एक ही कारण नजर आता है कि ये अपने राजनीतिक क्षुद्र स्वार्थ के लिए राजीव जी की जिवियों की परवाह किए बिना, अपने अंधे स्वार्थ के लिए उन्हें भुनाने के लिए वहाँ ले गए जिसके कारण उनकी हत्या हुई।

इतना ही नहीं, इनको यह चेतावनी दी गई थी कि जो स्टेटाश्ल जोन है, जितनी दूरी उसके लिए मेंटेन करना आवश्यक है उसके अंदर अजनबी और अपरिचित लोगों के न ले जाया जाए लेकिन इनको वहाँ ले जाकर, उनको मूलदस्ता और माला आदि भेंट करने की इजाजत भी कांग्रेस के नेताओं ने ही दी। उस आंतरिक सुरक्षा घेरे को तोड़ने के लिए और उस बमधारी महिला को अंदर प्रवेश की अनुमति जो दी गई यह भी कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही दी गई। यह दोष उन्हीं का है और किसी का नहीं है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यदि श्री राजीव जी को एस० पी०जी० न दिए जाने का कोई ज़िम्मेदार है तो कांग्रेस है और उनकी सुरक्षा की अनदेखी या

जानबूझकर उन चेतावनियों की अवहेलना की गई तो उसकी ज़िम्मेदार भी कांग्रेस है।

अब रही राजनीतिक लाभ लेने की बात। यह राजनीतिक लाभ लेने का काम भी कांग्रेस ही कर रही है और वह राजनीतिक लाभ न केवल विपक्ष के राजनीतिक दलों के मुकाबले में लेना चाहते हैं वरन अपनी पार्टी के आंतरिक मतभेदों के कारण और अपने साथियों से स्कोर सैटल करने के कारण अपनी पार्टी को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहाँ भी विद्वेष फैला रहे हैं। यह राजनीतिक लाभ और छोटे स्वार्थ का लाभ लेने के लिए इतने निचले स्तर तक जा सकते हैं। हमारे सदन के माननीय सदस्य ग्रहलुवालिया जी अभी यहाँ नहीं हैं। उन्हीं के एक साथी थे। वह राज्यसभा के टिकट की लाइन में थे और रोजाना राजीव परिवार और नेहरू परिवार के प्रति आस्था और निष्ठा की कसम खाया करते थे। मैं उसका साथी हूँ। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। जब राज्यसभा का टिकट नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित राजकीय अतिथिगृह में उन्हीं को सोनिया जी के प्रति जो अपशब्द इस्तेमाल किए, वह कोई सभ्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार ये दुःख प्रकट करते हैं और गंभीर स्तर की बात करते हैं, ग्रहलुवालिया जी यहाँ नहीं हैं, मैं उनके सामने कहना चाहता था, जिस प्रकार की क्रूर हंसी वे हँसते हैं उससे प्रदर्शित होता है कि कितनी चिंता उन्हें उनकी सुरक्षा की है।

अगर किसी ने इसमें साजिश की है तो वह भी कांग्रेसियों ने की है और अगर किसी की गलती है तो उस गवर्नर की गलती है क्योंकि उस समय वहाँ राष्ट्रपति शासन था और इन्हीं की पार्टी के व्यक्ति वहाँ राज्यपाल थे। जहाँ तक सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था का प्रश्न है, यह वर्मा कमीशन ने लिखा है कि 14 सुरक्षा-कर्मियों की उसी घेरे के अंदर मृत्यु हुई है। इतने सारे सुरक्षाकर्मियों का होना इस बात का प्रमाण है कि उनके पास उस समय पर्याप्त सुरक्षा थी। एक छोटी बात जो किसी ने नहीं की, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि एक छोटे अधिकारी सब इंस्पेक्टर श्री गुप्ता का देहांत भी उसी हावसे नें हुआ और यह आश्चर्य की बात है कि उनके

पास से कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं मिला। एक ए०सी०पी० थे दिल्ली पुलिस के, श्री कंपनी, उनको रिप्लेस करने के लिए, उनके स्थानापन्न रूप में श्री गुप्ता वहाँ गए थे और श्री कंपनी उनको बिना हथियार हैडबैंडर किए दिल्ली आ गए, यह बात वर्मा कमीशन के सामने किसी ने नहीं कही क्योंकि कांग्रेस ने उसमें साक्षी देने में कोताही बरती है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि यदि एस०पी०जी० राजीव जी को नहीं दी गई तो उसका दोष कांग्रेस का है।

यदि चन्द्रशेखर जी की उस समय सरकार थी जो इसके ऊपर आधारित थी जो इन्हीं के ऊपर टिकी हुई थी तो उस समय सुरक्षा नहीं बढ़वाई या उसको बढ़ाने के लिए उसका संशोधन नहीं करवाया तो उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस के ऊपर है। यदि आई० बी० की चेतावनी को, खतरे के बारे में इनको आगाह करने की, अवहेलना की गई तो उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस के ऊपर है। अगर जन सभा का स्थान बदला तो वह गलती भी कांग्रेस की है। यदि तमिलनाडु कांग्रेस ने पुलिस की सूचना समय पर भेजने में कोताही की जिससे वह पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान नहीं कर सकी तो यह दोष भी कांग्रेस का है। यदि अजनबी लोगों को आंतरिक सुरक्षा घेरे में प्रवेश की अनुमति दी गई तो यह भी गलती कांग्रेस की थी। अगर वर्मा कमीशन को सबूत देने में ढील की तो यह गलती भी कांग्रेस की है और वर्मा कमीशन ने यह लिखा भी है। अगर वह राजनीतिक लाभ ले रहे हैं तो भी वह कांग्रेसी ले रहे हैं, और किसी का इसमें कोई लाभ नहीं है।

एक और बात जो बहुत दर्दनाक है वह यह है कि श्री राजीव जी के उस अभागी विधवा का, उनके बच्चों के उस दर्द को भुलाने नहीं दे रहे हैं, उनके श्राव नहीं सुनने दे रहे हैं तो यह धिनोता कर्म भी कांग्रेसी कर रहे हैं। अगर वे मतभेद फैला रहे हैं, दूसरी पार्टियों में नहीं, अपनी पार्टी में तो वह भी कांग्रेसी कर रहे हैं। अगर राजनीतिक चर्चा का स्तर गिरा रहे हैं तो वह भी कांग्रेसी गिरा रहे हैं। अगर कोई अलाउद्दीन खिलजी है जो वह भी कांग्रेसियों में हैं जिसकी गिद को दृष्टि उस कुर्सी के ऊपर

लगी हुई थी कि राजीव जी जाएंगे तो वह वह बैठ जाएंगे। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अनर्गल प्रलाप को बंद कर दीजिए, उस परिवार को सुख से रहने दीजिए, उनकी दुःखद स्मृति को समाप्त होने दीजिए, उनकी जड़ों को धरने दीजिए, उनके श्रांतिश्रुतों को सुख जाने दीजिए। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Shri S.P. Gautam, you are the last speaker.

SHRI V. NARAYANASAMY : Mr. V.P. SINGH is criminally liable.

SHRI SOM PAL : I don't react to such irresponsible statements.

SHRI V. NARAYANASAMY Whether you respond to it or not, you go through the report.

SHRI SURESH PACHOURI : Point of correction.. {Interruptions}..

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : 'Let me listen to what he wants to say.'

श्री सुरेश पचोरी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी भाई सोमपाल जी बहुत ही विद्वान संसद सदस्य हैं। मैं केवल करेक्शन के लिए एक बात आपकी इजाजत से कहने खड़ा हुआ हूँ कि वर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके पृष्ठ 247 पर, उसमें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उसका नोट है और उसमें यह है कि--

"The intelligence report communicated by circular memorandum No. 32/IVSI30(C) 2 dt. 23rd January, 1991 : "As per the IG's instructions on the security of Shri Rajiv Gandhi, the following action is required to be taken : Reviving the quality of staff posted at 10 Janpath" which was the residence of Shri Rajiv-Gandhi "as many of them are from older age group and bound to have slower reflexes in case of any contingency. The



staff should also be provided with periodic training in firing, etc., more frequently. The vehicles attached for pilot and escort duties".... (interruptions)

श्री सोमपाल : माननीय उपसभाध्यक्ष जी यह असंगत बात कह रहे हैं क्योंकि एक तो 10 जनपथ पर राजीव जी की हत्या नहीं हुई और दूसरे एन०एस०जी० में कोई ओल्ड ऐज ग्रुप का व्यक्ति नहीं है। .... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB-TEY RAZI) : Mr. Som Pd, I have permitted Mr. Pachouri. Let me listen to what he wants to say.

श्री सुरेश पचोरी : माननीय सदस्य ने बुलेट प्रूफ कार का जिक्र किया। उसमें ड्राइवर कैसा था, यह शिकायत किसी को नहीं है, कॉमिस की नहीं है, जो आइ०बी० का मोट है उसका मैं हवाला दे रहा हूँ—

"The drivers should be given training as their performance is not up to the mark which resulted in an accident of bullet-proof car. . (interruptions) . . The communication system with security is not effective".. (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB-TEY RAZI) : I am not permitting, yes, Mr. Gautam.

श्री सिकन्दर बख्त : सधर साहब मैं जानना चाहता हूँ कि यह बताया जाए कि क्या यह डिस्कशन दोबारा शुरू हो रहा है ? ... (व्यवधान)

This is not right at all.. (Interruptions').

श्री सुरेश पचोरी : मान्यवर, जो सैक्युरिटी पर्सनेल थे वह कैसे थे। यहाँ थी०आइ०पी० की सैक्युरिटी का प्रश्न आता है तो संख्या का प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न सैक्युरिटी की क्वालिटी का है। आपने ड्राइवर बोगस दे दिया उसका क्या औचित्य है। आपने सैक्युरिटीमैन संख्या में ज्यादा दे दिए हों लेकिन वह इन-इफेक्टिव हों, इसका क्या औचित्य है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB-TEY RAZI) : Mr. Pachouri, please take your seat. Yes, Mr. Gautam.

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष महोदय, विद्वान न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की स्थापना किस लिए हुई थी ? यह तीन बातों के लिए हुई थी कि क्या श्री राजीव गांधी की हत्या को रोका जा सकता था और क्या इस संबंध में उनकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी धर्मियों में से किसी की लापरवाही हुई, दूसरी, निर्धारित अथवा व्यवहार में प्रचलित सुरक्षा प्रणाली अथवा प्रवृत्तियों में कोई कमी यदि रही हो, जिससे हत्या कांड में सहायता मिली हो, तीसरे आयोग सुधारार्थक उपचार अथवा ऐसे उपाय सुझा सकता है जो ऊपर पैराग्राफ 2 में धारा ख में वर्णित मामलों के संबंध में भविष्य में उठाये जा सकें।

ये तीन उद्देश्य थे। मैंने पाया है कि इस सदन में सारे सदस्यों ने केवल दो बातों पर चर्चा की है, तीसरी बात को किसी ने नहीं छुआ जिसका विस्तार से वर्णन विद्वान आयोग ने किया है।

मान्यवर, विद्वान आयोग ने अपनी सिफारिशें जब की तो उस समय जो उन्होंने खामियां पाईं वह आठ पाईं। पहला, उचित तथा सभान परिकल्पना, योग्यता तथा संरक्षणकारी बल को सूचना प्रदान करने के अभाव में उपलब्ध खुफिया सूचना का अधिकतम उपयोग कर पाने में विफलता,

दूसरा, सभी स्थानों पर अपेक्षित न्यूनतम स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बलों की गुणवत्ता में एकरूपता का अभाव,

तीसरा, निर्धारित सुरक्षा का अनिवार्य रूप से संरक्षित व्यक्ति को खतरे की संभावना के अनुरूप न होना,

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिद्दीक रज़ी) : आपका समय सिर्फ दस मिनट है। यदि आप कोटेशन में ज्यादा समय लगायेंगे तो आपका समय खत्म हो जायगा।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं आपका आदेश मानता हूँ। मैं बड़ा ही अनुशासनात्मक व्यक्ति हूँ। लेकिन टाइम बाद में बढ़ा या। जब मेरी पार्टी

के सदस्य बोले रहे थे उस समय तीन घंटे का टाइम निर्धारित था। श्री रामदास अग्रवाल जी ने 22 मिनट का समय लिया था...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Now you are wasting time. I know everything. You please try to conclude within ten minutes:

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं इसको जरूर कोट करूंगा।

चौथा, राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों की यह आम अवधारणा कि उचित सुरक्षा प्रवन्धों को सुविधाजनक बनाने में उनकी कोई भूमिका या वायित्व नहीं है,

पांच, पुलिस बल में आम तौर पर यह अवधारणा कि सुरक्षा प्रबंधों में हस्तक्षेप करने वाले राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों के आचरण को विनियमित करने की उन्हें कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, और कि भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री को छोड़ कर अन्य संरक्षित व्यक्तियों के बारे में उनकी भूमिका का स्वरूप अनिवार्य रूप से केवल सलाह देने का ही है।

छ, राजनीतिकरण के अदृश्य प्रवेश के कारण आसूचना एजेंसियों तथा पुलिस बलों के मनोबल में गिरावट आना जिसके परिणामस्वरूप उनके कार्य निष्पादन का स्तर उनकी क्षमता से नीचा होना है। आदि, आदि...

मान्यवर, विद्वान आयोग ने दो कारण बताये। एक सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्था से जुड़े अधिकारी कर्मचारी या व्यक्तियों की कमी। दूसरे तत्कालीन कांग्रेस की कमी। इन दो कारणों से राजीव गांधी की हत्या हुई। अगर ये कारण न होते तो उनकी हत्या को रोका जा सकता था। मैं अधिक मरब न लेते हुए यह कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी उत्तरदायी इसके लिए कांग्रेस है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा अधिकारियों, कर्मचारियों का प्रश्न है उनका वायित्व तकनीकी दृष्टि से इसमें। लेकिन व्यावहारिक जो जिम्मेदारी है वह कांग्रेस की है। मैं मानता हूँ राजीव गांधी ने सख्त कदम उठाये देश के हित में लेकिन जो

शांति सेना श्रीलंका में भेजी उसी दिन से एलटीटीईT उनकी जानलेवा हो गई थी।

तो कांग्रेस के लोगों को तमिलनाडु में एक मीट जरूर नहीं भी मिलती तो कौन सा आसमान गिर जाता। कोलीशन की भवनेमेंट चलती नहीं क्या? राजीव गांधी जी को वहां तमिलनाडु में नहीं ले जाते तो उनकी हत्या रोकी जा सकती थी। नं० 2, वहां के तमिलनाडु के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राममूर्ति को मालूम था कि यह स्थान उपयुक्त नहीं है। मैं कोट करना चाहता हूँ, विद्वान आयोग के अधिवक्ता श्री गोपाल मुकुण्डय्यम ने कहा है--

"According to Mr. Subramaniam, Mr. Ramamrthy had advance information that things were not all right at Sri-perumbudur but did not pass it on to concerned authorities. "Mr. Ramamrthy had an obligation to pay attention to the security requirement of Gandhi as he himself was a threatened person." Mr. Subramaniam said."

तो जब कांग्रेस अध्यक्ष को मालूम था कि धमकी दी गई है तो उनको बताना चाहिए था कि राजीव गांधी को खतरा है। नं० 3, मि० सिवरासन की पहुँच जाने या अनजाने में मि० राममूर्ति से थी और श्री राममूर्ति के साथ उनका फोटोग्राफ भी था। यही नहीं आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय दिल्ली में सेवारत कांग्रेस के कर्मचारियों तक भी उनकी पहुँच थी जिनके माध्यम से सिवरासन ने 48 घंटे के अन्दर राजीव गांधी के कार्यक्रम की जानकारी ले ली थी। मि० स्वामी कहते हैं--

"Sivarasana, the man who masterminded Rajiv Gandhi's assassination, not only cultivated the TNCC(I) President, Mr. Vazhapadi K. Ramamurthy, with whom he reportedly got himself photographed, but also a functionary at the AICC(I) headquarters in New Delhi. Through this contact, he came to know of Gandhi's Tamil Nadu tour programme at least 48 hours ahead of die TNOC(I) or the State Police."

बीबी बात यह थी कि जो स्थान चुना गया था वह स्थान पुलिस नहीं चाहती थी। यह मंदिर का प्रांगण था। मंदिर के प्रांगण में राजनैतिक सभा नहीं होनी चाहिए। इस मंदिर की खातिर तो हमारी सरकारें बर्खास्त कर दी गई और अब उनको बनने से रोक दिया गया है, नहीं तो वे फिर बन जातीं। जिस मंदिर के प्रांगण में सभा की गई उसका नाम अरुलमिग, अथिकेसव पेरुमल टेम्पल है। पुलिस ने यहां के लिए मना किया, लेकिन कांग्रेस केन्डीडेट के खजांची को सिवरासन ने पटा लिया और वे अड़ गये कि सभा यहीं होगी। पुलिस ने मना किया। लेकिन पुलिस मजबूर हो गई। यह इनकी पार्टी का मामला है, नहीं मानते हैं तो करें। इस प्रकार से इनकी गलती थी। मैं पूछना चाहता हूं फार आर्ममेंट सेक कि एस०पी०जी० अगर प्रोवाइड की भी जाती तो क्या वह राजीव गांधी को बचा सकती थी मैं मानता हूं कि वह कमी रही, लेकिन इस स्थिति में वह भी राजीव गांधी को नहीं बचा सकती थी। लेकिन हां बचा सकती थी अगर मातृपार्षण की घोषणा नाम से होती, जैसा विद्वान साथी ने कहा तो धानू बढ़ा नहीं आती और राजीव गांधी को बचाया जा सकता था क्योंकि उसने बम अपने शरीर पर बांध रखे थे जैसे कि श्रीलंका में हत्या हुई है। लेकिन जब बगैर नाम के सब को मातृपार्षण की इजाजत दे दी गई तो एस०पी०जी० धानू को नहीं रोक सकती थी। इसलिए इसमें दोष कांग्रेस का है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि एस०पी०जी० सरकार ने नहीं दी। मैं कोई बीज दोहरा नहीं रहा हूं, नई बातें कह रहा हूं। जो बातें किसी ने कही नहीं वे बातें कह रहा हूं। राजीव गांधी के निवास 10 जनपथ के बाहर हरियाणा पुलिस के दो निहत्थे सिपाहियों को पकड़ा गया कि वे बुफियागिरी कर रहे थे।

राजीव गांधी की हत्या की साजिश तो नहीं कर रहे थे? उनके पीछे आग चन्द्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं लेकिन राजीव गांधी की सुरक्षा के लिये जो सरकार व्यवस्था नहीं कर रही थी—आप कितने बेधर्म हैं कि इस पर अपना समर्थन वापस नहीं ले सकते। इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आप चन्द्रशेखर सरकार से इस बात पर समर्थन वापस लेते, जैसा हमने

बी०पी० सिंह की सरकार से लिया, हमने कहा दिया था कि अगर आइवाणी जी गिरफ्तार हुए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे।

We warned in advance.

इसलिये आपने समर्थन वापस ले लिया होता तो यह घटना रोकी जा सकती थी। ... (समय की घंटी) ... मान्यवर, मुझे दो-तीन मिनट दे दीजिये।

तो आपने समर्थन क्यों नहीं वापस लिया? यह सारी जिम्मेदारी आपकी है। महींदय, अब मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, इस जांच से पता लग जाता है कि कौन लोग इसमें और जिम्मेदार हैं। मान्यवर, उस मंदिर के सटाधिपति उस समय मौजूद थे। वे प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो वहां भेजी गयी उन्होंने उससे सहयोग करना चाहिए और उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेसी ही शामिल हैं। मैं उनका नाम बताना चाहता हूं। रातोंरात बड़े धनपति हो गये, इतना पैसा ले लिया। उन्होंने कहा कि:

"His holiness, Sri Varda Etbiraja Jeer Matathipathi, under whose jurisdiction Arulmigu Athikesava Perumal Temple comes, was willing to assist SIT, with names of Congressmen in Sriperumbudur who had become rich overnight after the assassination. And his offer was ignored."

लेकिन उनका सहयोग नहीं लिया गया। मान्यवर, पहले कहा गया कि वहां पर बीडीओ-ग्राफर नहीं था। बी०डी०ओ० ग्राफ नहीं हुआ। लेकिन बाद में मान लिया कि बीडीओग्राफर था। जो बीडीओग्राफर था उसकी पहचान महिला कांग्रेस कमेटी की श्रीमती कुमुदुबली ने की और वह मरा पाया गया। लेकिन मान्यवर, वह जो कैसेट था, बी०डी०ओ० कैसेट वह नहीं दिया गया, उसको टेपर कर दिया गया। यह जो महिला कांग्रेस कमेटी की मेक्रेटरी है, उसने कहा कि मैं बता सकती हूं, इस कैसेट को मुझे दिखाओ, लेकिन कैसेट उसको नहीं दिखाया गया और उसकी कनाडा भेज दिया गया। इसका क्या मतलब है? संदेह के घेरे में इसमें बहुत से कांग्रेसी लोग आते हैं।

मान्यवर, अब मैं सुझाव दे रहा हूँ। गृह मंत्री जो आपने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं। जो आपने कार्यवाही की है

The action that you have taken is not at all sufficient; not only insufficient but rather absurd.

यहाँ कमीशन ने दो बातें बताई कि पुलिस बल में गिरावट आई है और राजनैतिक मशाल खत बंदी है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। पोलिटिकल इंटरफियरेंस को कैसे दूर किया जा सकता है, और पार्लोटीशियम से सहयोग कैसे लिया जा सकता है? उन्होंने कहा कि आयोजकों और पार्टी में भीड़ जालमेल नहीं होता। अब मैं सुझाव देना चाहता हूँ। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिनों पहले तक यह धारणा थी कि घरेलू नौकर नेपाली या पहाड़ी अच्छे और भफादार होते हैं। उत्तर भारत में ऐसी धारणा थी। ऐसा लोग क्यों कहते थे, क्योंकि हमें उनकी निष्ठा पर ज्यादा विश्वास था। मुगल बादशाह हरम की रखवानी में राजपूत रखते थे, यद्यपि उनकी दुश्मनी राजपूतों से थी लेकिन उनकी निष्ठा पर उनकी विश्वास था। मेरा सुझाव है कि पुश्तानी तौर से जो लोग देश भक्त, स्वामी भक्त और निष्ठावान रहते हैं उन्हें लोगों को सुरक्षा गार्डों में भर्ती किया जाय। चाहे वे कितने ही गरीब और पिछड़े क्यों न हों। उनकी ट्रेनिंग दी जाय और इनमें भर्ती का यह जो धंधा बना रखा है इसको समाप्त किया जाय। नंबर एक और नंबर दो यह है कि स्विटजरलैंड में एक साल में चार-चार बार सरकार बदली है। सरकारें बदलती रहतीं लेकिन प्रशासन नहीं बदला मगर यह जो परंपरा कांग्रेस के लोगों ने बना दी है कि सरकार बदलते ही अधिकारी बदलते हैं, सही नहीं है। एक बार उत्तर प्रदेश में पांच चीफ मिनिस्टर बदले गये, कांग्रेस के और जो चीफ मिनिस्टर बदले उनके चफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, एसपी० सारे बदल दिये गये। जब ऐसा होगा तो क्यों नहीं पुलिस फोर्स का नैतिक बल गिरेगा..

(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (संयुक्त सित्ते रजौ) : समाप्त करें।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि दो मिनट दे दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (संयुक्त सित्ते रजौ) : आपने आलरेडी ले लिये हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : मेरा टाइम अभी बाकी है।

उपसभाध्यक्ष (संयुक्त सित्ते रजौ) : किसी का कोई टाइम नहीं है।

श्री संघ प्रिय गौतम : दो मिनट। लास्ट है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपकी सरकार ही या किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकारें आती रहे, जाती रहें लेकिन तीन साल या पांच साल का टेम्पोर अधिकारियों और कर्मचारियों का सुनिश्चित कर दिया जाए। इससे पहले उनका स्थानांतरण नहीं होना चाहिये चाहे कोई भी मुख्य मंत्री बदले या सरकार बदले। नम्बर तीन, पोलिटिकल इंटरफियरेंस यहां तक तो हो कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी में आपकी शिकायत हो तो उस के ऊपर लिखित आरोप तथा कर शिकायत करें और जांच हो। जांच के बाद दोषी पाया जाए तो उसे दंड मिले। मगर जैसे कल ही एक सदस्य कह रहे थे कि इंस्पेक्टर का तबादला नहीं हुआ, प्रेसिडेंट इश्यु बना कर (व्यवधान)

अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं करना चाहिये और अपराधियों तथा माफिया सरगनों को सुरक्षा गार्ड नहीं मिलना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (संयुक्त सित्ते रजौ) : आप कृपया समाप्त करें।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं लास्ट कह रहा हूँ। जब 'पाटी-बंदी' हो, गुट-बंदी हो एक ही पार्टी में, एक ही स्थान पर, एक ही प्रदेश में तो जब तक दोनों गुट मिल कर आयोजन न करें किसी भी समारोह में पार्टी के नेता को सभा में नहीं जाना चाहिये। (समय करी खंडी) बस अंतिम सुझाव है। पुलिस वालों को, प्रशासन वालों को यह हिदायत होनी चाहिये कि जो अधिकारी सभा स्थल पर लगाये जाते हैं (व्यवधान) आप मेरी बात को मानेंगे तो देश का कल्याण हो जाएगा। मैं आपको लास्ट सुझाव दे रहा हूँ। और वहां मंच के आसपास जो अधिकारी लगाए जाते हैं उनमें और पोलिटिशियंस में कोआप्रेशन हो, उनकी

भागीदारी हो, जो जस्टिस वर्मा ने कहा है इसलिये अधिकारी वहाँ यह पूछ लेते कि मंच पर कितने आदमी बैठेंगे और मंच पर नहीं जाएंगे जिनके नाम दिये गये हों वहाँ विशेष अधिकारियों को उन्हें नहीं रोकना चाहिये मगर होता यह है कि उसके बाद अगर कोई मिनिस्टर भी आ जाए तो पुलिस वाले उनको मंच पर चढ़ने नहीं देते। मैं कहता हूँ, जिस पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी, मेरे साथ बीत चुकी है जब कल्याण सिंह मुख्य मंत्री थे... (व्यवधान) बुलन्दशहर आये थे। मैं प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष और सांसद था लेकिन पुलिस वालों ने मुझे मंच पर नहीं जाने दिया।

**उपसभाध्यक्ष (सैयद सिक्के रज़ी) :** आपका सुझाव आ गया है। अब आप समाप्त करें।

**श्री संघ प्रिय मौलाना :** अंत में, मान्यवर, यह कुछ की बात है कि आपने कृपा तो की है मुझे समय दिया लेकिन मैं कोई अभंग बात... (व्यवधान) नहीं कर रहा हूँ इसलिये मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दोलिया।

**उपसभाध्यक्ष (सैयद सिक्के रज़ी) :** आपने बहुत अच्छा आपण दिया है, अब उसकी खग्राह न करें। समाप्त करें।

**श्री संघ प्रिय मौलाना :** कांग्रेस के कई सदस्य ने निरर्थक बातों में घंटों बरबाद किये और हम जब काम की बात कहते हैं तो हमारे ऊपर समय की पाबंदी है। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो जानकारी अधिकारी जिले के हैं वे लगाए जाएं जो पालीटोशियन्स की पहचान करते हों। अगर गृह मंत्री भी आप ऐसा करेंगे तो हम इस देश के प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक नेता को काफी सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे मेरी पार्टी और मैंने उस दिन भी इस बात को कहा था जिस समय राजीव जी की हत्या हुई थी उस समय अटल जी इस सदन के सदस्य थे। वे इस हत्या पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आए थे, सदन को याद होगा, राजीव जी के जाने से देश की हालि हुई है, हम उनके हत्यारों की घोर भर्त्सना करते हैं। हम उनके दुख में आपके और उनके परिवार के साथ बराबर के हिस्सेदार हैं बराबर के दुखी हैं। लेकिन मान्यवर, पापी आप ही हैं।

तेरी सुरत तो ऐ जालिम नहीं है प्यार के काबिल  
नगर हम क्या करें हमको बका भजदूर करती है।

**THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN) :** Mr. Vice Chairman, I must admire the patience of the hon. Members, especially the last Member, who, in fact, never felt tired about saying certain things which, according to him, were very relevant. Anyway, I don't want to take more time of the House. I have prepared a statement so that all the points which the hon. Members have made can be covered. But before that I must clear two points. One was about the constituency from which Mrs. M: Chandrasekharan was contesting election. Since she belongs to the other House, I am not supposed to make a reference. But her name has been referred to a number of times. She said that she had not actually invited Shri Rajiv Gandhi to her constituency. It was not for taking any political advantage.

She got the information only on 59th May that Mr. Rajiv Gandhi was coming there.

All the places were shown to the police and the police approved that particular place. At the other place where she wanted to have the meeting, they said, "There is another meeting which is going on and the other political party has reserved the place: And, you have to have it at a distance of more than 1 km. That is how this place was chosen. Sir, there is another point which the hon. Minister has raised and, that is, about the cassettes, the charge that the cassettes were sent to the FBI. I have got the report and on one cassette, which was an authentic one, they have certified that this was not tampered with at all.

Sir, May 21, 1991, will be remembered as a black day in the history of our nation. The tragedy that occurred on this day at Sriperumbudur had shocked the conscience of the entire world. A great

ron of this *country* was snatched away in the prime of his youth. Shri Rajiv Gsndhi had sacrificed his life for the unity and integrity of this country carrying forward his family's tradition.

I share the anguish and anger expressed by the Hon. Members of this House in the debate on the Report of the Verma Commission of Enquiry. Such emotions pre' understandable when we discuss the circumstances which led to the assassination of a leader loved and adored b> millions of his countrymen. It is important that the lapses which permitted the tragedy to take place should not be allowed to recur. Those responsible should be identified and suitably dealt with. Hon. Members have dwelt at length on the circumstances under which the SPG cover for Shri Rajiv Gandhi ceased when he was no longer the Prime Minister. It has been stated that the withdrawal of the SPG cover was the root cause of the tragic assassination. The Verma Commission of Inquiry has held that though the proximate cause of the assassination was the failure of the Tarnil Nadu police to enforce the access control measure? strictly the withdrawal of the SPG cover Shri Rajiv Gandhi was unjustified. The Government agrees with this findings. Ac cording to the SPG Act, 1988, SPG proximate security was not admissible to Shr Rajiv Gandhi after he ceased to be Prime Minister. Following the withdrawal of the SPG proximate security cover from Shri Rajiv Gandhi, in the first week of February, 1990, Shri Chidambaram and Shri Kamlapati Tripathi, of the Congress (I) party, had lodged a strong protest as the threat to the security of Shri Rajiv Gandhi had not dimilished. We have examined the available records relating to the replacement of the SPG to provide security cover to Shri Rajiv Gandhi. On 4th December, 1989, a meeting was taken by the then Cabinet Secretary, when it was decided to continue the existing secuntj arrangements and *to call* for a fresh threat assessment. On 14th December

1989, he submitted a note to the ihcil Prime Minister listing the modifications which were proposed *to* be introduced in the security arrangements for Shri Rajiv Gandhi. This note was seen by the then Prime Minister on January 3, 1990, and the Prime Minister desired that the matter *on* brought to the Cabinet. Based on the fresh threat assessment, a note dated January 23, 1990, prepared by the Secre tary (Security) was considered by the Cabinet in the meeting held on January 30, 1990. As per the minutes of the afore said meeting circulated on 12th April, 1990, the Cabinet had decided that further action in the matter may be taken "in the 1 cht of discussions" held. A note on the security arrangements for protected persons was considered by the Cabinet en 1st Feb ruary, 1990. Consequent to the decisions taken in the meeting, the Ministry of Home Affairs ssued on 3rd February, 1990. Comprehensive guidelines to the Chief Secretaries of all the State Govern ments and UT Administrations regarding security arrangements in respect of Shri Rajiv Gandhi and his family members.

In the debate, the hon. Members have also made reference to the note of the then Cabinet Secretary, Shri V. C. Pande, dated January 30, 1990, in which he bad informed the Prime Minister that he (i.e. the Cabinet Secretary) had approved that Shri Rajiv Gandhi's security arrangements outside Delhi be left to the State Governments. We have looked into the related lecor ds and found that Shri Pande nut up his note of 30th January, 1990 to the Prime Minister for approval This note was discussed by the Cabinet in its meeting held the same day, i.e., 30th January, 1990. It is, thus, clear that the Cabinet had dealt with the matter. It will be recalled that the Verma Commission has found that the Central Government's decision on 30th January, 1990 was "prompted more by lack of proper perception or the requisite will than the

stated difficulties". There appears no reason to debate this finding of the Commission. Government, therefore, accepts this finding.

The hon. Members have referred to the observations of the Commission about the behaviour of some workers of the Congress-I Party at the public meeting at Sriperumbudur on the fateful day. The Verma Commission has recommended corrective measures. The Home Minister has already discussed the guideline? with the leaders of the major political parties which will help in maintaining orderlines in future, reducing the possibility of in-disciplined behaviour exhibited by the political workers. These guidelines are being issued. The hon. Members have observed that no action has been taken either by the Central Government or by the State Government for any lapse or dereliction of duty against any Government officers. We have obtained the explanations of these officers on the observations of the Commission. Those found guilty will not be spared.

In so far as the State Government of Tamil Nadu is concerned, the Commission has held that the extent of individual responsibility for the lapses of the State Government is to be determined departmentally. The State Government of Tamil Nadu have reported that a High-Level Committee has been set up on 4th May, 1993 to submit a report within one month on the action to be taken by the State Government. The matter shall be further pursued with the State Government.

I would like to assure the hon. Members that Government is determined to take all necessary action on the findings and recommendations of the Verma Commission. (Ends).

श्री सिकन्दर बख्त: होम मिनिस्टर साहब, आपने फरमाया कि वह आर्थेटिक वीडियो कैसेट मिल गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह उसी कैमरे में से मिला था, जिसका अपरेट करने वाला मर चुका था? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ।

†[ شری سکندر بخت : ہوم منسٹر صاحب۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آئینٹیک ویڈیو کیسٹ مل گیا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اس کیمرے میں سے ملا تھا۔ جسکا آپریٹ کرتے والا مر چکا تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں۔ ]

श्री एस.बी. चव्हाण: इसकी जानकारी अभी मुझे यहां पर तो नहीं है, लेकिन जिन कैसेट के ऊपर यह आवज्ञेशन लिया गया था कि बाकी सारा 21 का जो सीन है, उसके अंदर है, लेकिन वह जो क्लेशल मोमेंट है जबकि उनका असंतिनशन हुआ है, उसको डेलिब्रेटली किसी ने कभी उसको आल्टिटेड करने की कोशिश की, इसीलिए एक्सपर्ट की फाइडिंग के लिए एफ.बी.आई. की तरफ भेजा गया था और उनको फाइडिंग ली थी।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB-RHY RAZI) : Now, we will take up the next item . (interruption) . You know, discussion on the previous subject is over. The Home Minister has given his reply... (interruption) . .

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, I have to ask some specific questions.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB-RHY RAZI) : Please sit down. . (interruption).... Please take your seat.

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, the Tamil Nadu Government has reinstated the police officers. . (interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB-TEY RAZI) : Please take your seat... (interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, Mr. Raghavan and others had been suspended. Now, they have been reinstated and one of them has been promoted also. Has the Central Government done anything in this

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

regard ? What action the Committee appointed by the Tamil Nadu Government is going to take ?

SHRI S. B. CHAVAN : Actually, we also came to know they have reinstated the officers and a promotion has also been given to one of the officers. We will write to the Chief Minister of Tamil Nadu that those who were involved in this incident should not be promoted.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBIEY RAZI) : We will take up.....  
(interruptions)...

श्री सुरेश पबोरी : मैं केवल एक प्वाइंट ऑफ़ ऑर्डर इजाजत से बोलना चाहूंगा ।

माननीय मंत्री जी ने जो बताया, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि 30-1-1990 को कैबिनेट सैक्रेटरी ने जो नोट पुट ऑफ़ किया था, उसमें एस०पी०जी० विद्वान के जो कारण बताये थे, क्या मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि वह कारण उचित थे ?

यदि यह कारण उचित नहीं थे, तो उस कैबिनेट सैक्रेटरी के खिलाफ़ वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, ? इस बात का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है ।

साथ ही 13 फरवरी, 1990 की इंटर-सेक्यूरिटी रिव्यू मीटिंग के मिनट्स का भी मैंने जिक्र किया था कि उसके मिनट्स क्या-क्या हैं, वह भी छपया बताए जाएं ? अपने जवाब में उन्होंने इसका उल्लेख बिल्कुल नहीं किया है । यह मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ ।

श्री एस० बी० चव्हाण : कैबिनेट का सारा तफसील यह हाउस के अंदर बताना मुनासिब नहीं रहेगा और कैबिनेट सैक्रेटरी के बारे में आपने जो बात कही है, उसके बारे में मेरे पास जो जानकारी है, वह कुछ अलग किस्म की है, उसका यहां पर जिक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझता ।

**THE EMPLOYMENT OF MANUAL SCAVENGERS AND CONSTRUCTION OF DRY LATRINES (PROHIBITION; BILL, 1993.**

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHBILA KAUL):  
Sir, I beg to move

"That the Bill to provide for the prohibition of employment of manual scavengers as well as construction of dry latrines and for the regulation of construction and maintenance of water-seal latrines and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, as the honourable Members are aware, the programme for the liberation of scavengers through low-cost sanitation has been in operation for quite some time through different schemes operated by different agencies in the country. However, it is the paramount consideration of the Government that the social evil of manual scavenging of human excreta has to be eradicated from the country in a time-bound manner. Despite the fact that efforts have been made towards low-cost sanitation and provision of subsidies and loans simultaneously by the Housing and Urban Development Corporation for the construction of water seal latrines or for conversion of dry latrines into water-seal flush latrines, the practice of employing persons for carrying nightsoil on their heads is still prevalent in some parts of the country.

The Directive Principle enshrined in article 47 of the Constitution requires the State to raise the standard of living of the people of India and improve the public health which is required to be implemented. The municipal laws are not stringent enough to eradicate this dehumanising practice of manual scavenging of human excreta and the practice of employing fellow human beings for carrying nightsoil on their heads.

This august House will agree with me that the existence of dry latrines and lack of stringent laws and the basic reasons for the continuance of this evil practice.



It is, therefore, proposed that there will be a uniform legislation providing for prohibition of employment of manual scavengers as well as construction or continuance of dry latrines in the country. Since the subject-matter "manual scavenging", in all its pith and substance, falls within the realm of State Legislatures, we sought the co-operation of the State Governments in enabling the Parliament to undertake necessary uniform legislation required to eradicate the social evil of manual scavenging. Since the States of Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra, Tripura and West Bengal have empowered Parliament to undertake necessary legislation, the Government has brought forward the present Bill before this august House. It will initially be applicable to the aforesaid six States and Union territories.

In order to make the law stringent, it is proposed to make employment of manual scavengers or construction or continuance of dry latrines a punishable<sup>1</sup> offence.

I would like to assure the honourable Members that the manual scavengers who would be liberated from this dehumanising job will be offered alternative employment or such financial assistance as may be envisaged under the various schemes to be formulated even though there may be financial constraints.

the Monitoring Committees will be Monitoring the various programmes undertaken by the State Governments. The Central Government can also constitute such other Committees as may be felt necessary. Thus the Central Government will take all possible steps to make the manual scavengers free.

The target is to bring in the reforms before the close of the Eighth Plan. The proposals included in the Bill are for the benefit of the downtrodden. Equally important are health and sanitation aspects. The Bill will no doubt bring in better environment and healthier living conditions for one and all.

As mentioned earlier, the State Legislatures of Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra, Tripura and West Bengal have passed a Resolution enabling us to undertake the legislation. The Bill will, therefore, be applicable to the States of Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra, Tripura and West Bengal and to the Union Territories. The other States can adopt a Resolution. It is my earnest hope that they will take necessary steps in that direction. I further hope that the Bill will receive the unanimous support of all the sections of the House.

Sir, I now commend the Bill for the consideration of the House.

*[The question was proposed.]*

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB-TEY RAZI): There are four speakers in the list. It is a very non-controversial Bill. May I request the Members that if they agree, we may pass it .....

DR. NARREDDY THULASI REDDY : (Andhra Pradesh): No, I want to speak.

THE VICE CHAIRMAN (SYED SIB-TBY RAZI): All right. I request the Members to be brief.

The Project Committees will be appraising all the schemes for the construction of water-seal latrines in the country and

Shri 'Mohammed Amin—not present.  
Shri N. Giri Prasad—not present. Shri J.S  
Raju.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष  
जी, मेरा भी नाम है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB-TEY  
RAZI) : Your name is not there, Please  
cooperate.

श्री संघ प्रिय गौतम : सिर्फ एक सुझाव देना  
चाहता हूँ ।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिबते रज़ी) : आप बैठिए  
तो । बात को आगे तो बढ़ने दीजिए ।

\*SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): Mr.  
Vice-Chairman, Sir, I rise to speak on behalf  
of DMK on this Bill that seeks to abolish  
manual scavenging in the country. There has  
been long pending demand for abolishing this  
inhuman practice. Asking a man to carry  
nightsoil is a crime and amounts to dehu-  
manisation. We, Indians should be  
ashamed of ourselves for having this practice  
in our country to this day.

Some half-hearted attempts were made to  
put an end to this inhuman practice. But  
nothing succeeded for want of sincerity of  
purpose. In 1968, during the centenary  
celebrations of Mahatma Gandhi a scheme  
was launched to abolish construction of dry  
latrines. Even late Shri Rajiv Gandhi included  
this in the 20-point programme. At one time  
the Government provided 75 per cent loan 25  
per cent grant for constructing flush-out  
latrines. In the Fifth-Five year plan, the  
Government selected 30—40 cities and  
provided 100 per cent financial assistance for  
the construction of flush-out latrines. Yet,  
somehow these schemes were not accepted by  
the people in general.

Sir, it is reported that there are about 4 lakh  
people involved in manual scavenging. I  
*don't* know whether the figure is just 4 lakh or  
more. Whatever be it, these people are an  
isolated lot in the society. We have a strange  
social set-up in India One who dirties belongs  
to higher class, one who cleans belongs to  
lower class. This is the dictum of our society.  
Here, the working class is dubbed as the lower  
class in society and that section of society  
which lives on the sweat of others is glorified  
as upper class. Because of the paucity of time  
I don't want to go into the origin of this class  
division. Then I have to travel to Vedic period  
which I don't intend to do now.

Mr. Vice-Chairman, Sir. Mahatma Gandhi  
came down heavily on the practice of manual  
scavenging. But unfortunately very little has  
been done in the direction of abolishing it.  
These neglected people do not own anything.  
They don't have lands, they don't have shelters  
and they don't have enough food to eat. They  
are also unable to take up any other avocation  
because of literacy. Since the yoke of manual  
scavenging has broken their skill, it is difficult  
to place them in an alternate avocation.  
Because of the fact that this subject is under  
State List, the entire burden of removing this  
evil practice lies with the states. But, no State  
has taken enough steps to abolish this sin  
against man. Though the Centre has to bring a  
Bill for doing away with this practice, under  
the Constitution the States have to pass a  
resolution to this effect and send it to the  
Centre. The States of West Bengal, Tri-pura,  
Maharashtra and Karnataka have already sent  
such resolutions. But I regret to say that my  
State of Tamil Nadu has not yet sent such a  
resolution. I don't know what important matter  
engages for ever the attention of Tamil Nadu  
Government. I hope Tamil Nadu and other  
states will send the monetary resolution at the  
earliest.

---

\*English translation of the original speech  
delivered in Tamil.

The Bill envisages to give powers to the States for executing the proposals of the Bill. For doing this the States need funds. But we all know the financial position of the States. The Panchayats, Municipalities and Corporations find it difficult even to pay the electricity bills. These local bodies have to look upto the State Government for paying the salary, of the employees. This is the situation today. Now the scheme under consideration requires crores of rupees. Even a National Commission is likely to be set up for the purpose. But I feel, the fund proposed to be allocated by the centre is not sufficient to carry out such a huge scheme.

Sir, late Shri Rajiv Gandhi wanted to take India to 21st Century. Unfortunately, he is not with us today. This Government which promises to fulfil his dreams has allocated a meagre amount. I want the Centre to admit this fact. There are about 3,700 cities, and lakhs of Panchayats and thousands of Municipalities in India. Of this only 75 lakh people have the facility of flush-out latrines. Out of this, 55 lakh people live in cities and the rest in villages. The rest do not have this facility. For constructing a flush-cut latrine, we need five to six thousand rupees. So, for carrying out such stupendous task, the Government should allocate more funds.

In India, we have a few planned cities like Chandigarh and Pondicherry. Out of 3,700 cities only 217 have under-ground drainage. It is not only the question of providing flush-out latrines but also that of enhancing the standard of living of these manual scavengers. For all this we need huge fund. Right from 1967 when Dr. Anna became Chief Minister of Tamil Nadu and thereafter, right through the time of Dr. Kalam who succeeded him, our DMK Government launched various schemes for the welfare of the poor. A scheme popularly known as 'Slum Clearance Scheme' was launched by setting up Slum Clearance Board. They built lot

of houses for the poor. When, the late Babu Jagjivan Ram visited Tamil Nadu for opening some of the residential buildings built under the schemes, he appreciated the step and wanted such schemes to be undertaken in Bihar. That time, most of the houses built in Tamil Nadu were given to scavengers and other such poor people.

Sir, I insist on allocation of more funds because, the rehabilitation will need lot of money. They have fallen victims to social evils like gambling and drinking. They have to be redeemed from this trap and provided a better atmosphere where they can live with their families happily. Otherwise, this Government will be accused of shedding crocodile tears. Therefore, I request the Hon'ble Minister to allocate more funds for the total execution of the proposals. I support this Bill on behalf of DMK.

DR. NARREDDY THULASI REDDY Mr. Vice-Chairman, Sir, I have some reservations on this Bill. The objectives of this Bill are extremely good. But bringing forward this Bill at this present juncture will create more problems than solving the problem.

Sir, the carrying of night soil on the head or by hands is an obnoxious practice, an inhuman practice. It is against self-respect. It is a stigma on our social fabric and a blot on the nation. Therefore, it should be eradicated.

For the eradication of this obnoxious practice, two things must be done. One is, liberation and rehabilitation of the manual scavengers. This is one thing. The second thing is, conversion of the already existing dry latrines into water-seal latrines and construction of new water-seal latrines. These two things must be done. Now, the present Bill deals with the second issue only.

Sir, accordingly to one estimate, there are 4 lakh manual scavengers in the

country. There are 53 lakh dry latrines in the water. What will happen if this Bill is passed country which need to be converted into water-? We will have to construct more jails and seal latrines, according to this Bill. There are throw all these persons into jails. Actually 69 lakhs dwellings without any latrine. nobody is interested in this inhuman practice. Therefore, according to the present estimate, Neither the scavenger nor the public is we have to construct 1 crore 22 lakh water-seal interested, but there is no alternative. Without latrines. For this, we require Rs. 6,000 crores. making a provision for all these things, if this Against this, the Planning Commission has Bill is passed, we will be doing more harm to allotted only Rs. 375 crores in the whole Eighth the society.

Five-Year Plan. This means, only 6 per cent of the requirement has been allotted. With this meagre amount, we can convert 7.2 lakh dry latrines into water-seal latrines and we can construct 6.9 lakh water-seal latrines, i.e. a total of 14.1 lakh water-seal latrines can be constructed with this amount.

The requirement is 1,22,00,000 With this practice, then he should be punished. this meagre amount we make 14.1 lakh Without providing all these things we are water-seal latrines and we can liberate bringing forward this Bill. If adequate funds 51,000 scavengers only. There are 4 lakh are not given and the Bill is passed, it will do inannual scavengers. In the entire Eighth more harm than good to the society. Plan we can liberate only 50,000 manual scavengers. So, there is financial constraint, there is this fund problem.

So, my suggestion is, first you provide funds liberally either through bank loans or in the form of subsidy. Then you create awareness. Let us educate the masses and make it a mass movement. Let us take voluntary organisations into confidence. After providing these things if anybody continues

Without providing all these things we are bringing forward this Bill. If adequate funds are not given and the Bill is passed, it will do more harm than good to the society.

These are my views on this Bill. It is left to the Government.

Secondly, according to one estimate, this problem is not existing in rural areas. They have their own practices. This problem is existing in urban areas. In towns below 10,000 population this problem is to the extent of 6 per cent; between 10,000 and 20,000 population this problem is 50 per cent and between one lakh and 5 lakh population this problem is 20 per cent. So, it is existing in towns. We all know, there is a problem of space in towns. According to this Bill there are enough community water-seal latrines, especially in the backward and slum areas, but in towns there is the problem of space.

The third problem is about maintenance because of water scarcity. Most of the towns are reeling under severe drinking water crisis.

So, there is the problem of funds, there is the problem of space and there is the problem of maintenance due to scarcity of

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा एक तो सुझाव है और एक सवाल है। हम देखते हैं कि अस्वच्छ और झूठ शब्द के मायने एक ही हैं। लेकिन झूठ शब्द शंसदीय है और अस्वच्छ शब्द संसदीय माना जाता है। प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को भूल से "अंगी" शब्द कह दिया था, तो सारे देश में एक बड़ा मानसिक ऐजीटेशन हो गया। ठीक, इसी तरह से यह जो "सफाई कर्ता" शब्द है, यह उपयुक्त शब्द नहीं है। मैं इसकी जगह पर यह चाहूंगा कि यहाँ "स्वच्छकार" शब्द होना चाहिए—स्वच्छकार। यह कुछ ऐसा शब्द है जिससे आदमी की कुछ गरिमा बनी रहती है। सफाईकर्ता शब्द से थोड़ी गरिमा घटती है। मेरे सामने कई अगहों पर इस तरह के प्रश्न आए हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि मंत्री महोदया, हिन्दी में जहाँ "सफाईकर्ता" शब्द है, उसकी जगह "स्वच्छकार" शब्द आप रखिए। मेरा एक दूसरा प्रश्न है कि मेरे विद्वान साथी तुलसी रेड्डी जी ने जो कुछ यहाँ पर कहा है, वही मेरी मानसिक वेदना थी। लेकिन चूंकि लोक सभा से यह

विधेयक पारित हो गया और हम बहुत दिनों से यह चर्चा करते रहे हैं कि यह व्यवस्था अच्छी नहीं है कि मनुष्य अपने सिर पर बंदगी को ढोए, इसको सगुप्त करना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से इसका एक लाभ और उसका एक प्रभाव सारे देश में पड़ेगा, उस दृष्टि से विधेयक ठीक है।

लेकिन क्या मंत्री महोदया आप कोई सीमा निर्धारित करेंगी कि इतनी सीमा के अंदर, याज अगर फंड नहीं है तो इतनी सीमा के अंदर जो दारिद्र्य धनराशि इन कर्मचारियों को जो विस्थापित होंगे, उन्हें समायोजित करने के लिए और शौचालयों के निर्माण के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध करा सकेंगे? अगर समय सीमा निर्धारित नहीं की तो मैं समझता हूँ कि वही हाल होगा जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का है। पचास वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ। यह मेरा प्रश्न और सुझाव है।

बौधारी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह बिल जो लाया गया है, जो सदियों का कलंक लगा हुआ है सिर पर मैला डोने का, यह मानवता के बिल्कुल विपरीत है, उसको खत्म करने के लिए लाया गया है। मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा हूँ। इसको पढ़ने से लगता है कि यह बिल सिर्फ शहरी एरिया में ही लागू होता नजर आता है लेकिन इस तरफ की जो प्रेक्टिस है वह नार्दन इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में, देहातों में अभी भी चलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका स्कोप बड़ा सीमित लगता है। सिर्फ बड़े-बड़े जो शहर हैं, जो आबादी के नगर हैं, यह केवल उन्हीं पर लागू होता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसे इस रूप में लाना चाहिए या ताकि देहात के एरिया भी कवर हो सकें।

अब आपने एक कमीशन बनाया है। इसकी जो सीमावधि रखी गई है वह 3 वर्ष रखी गई है। अब 3 वर्ष में कोई काम पूरा होने वाला नहीं है। यह काम सदियों पुराना है और इसकी करने के लिए बहुत प्रयत्न की जरूरत है। यह विशेष तरह के लोग हैं, उनका विशेष तरह का कल्चर बन गया है। इस प्रथा को सचमुच अगर खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए यह आवश्यक

है कि हम इनके जो नौजवान हैं, उनको ऐसे कामों में लगाएं कि वह धादतन इस काम को छोड़ दें। महोदय, आजकल तो रेलवे ने भी ठेके पर काम शुरू कर दिया है। यह ठेके के कर्मचारियों से ही सफाई बगैरह का कार्य करवाते हैं। इस समाज के जो छोटे-छोटे बच्चे लोग हैं उनसे काम करवाते हैं। म्युनिसिपल बोर्ड में आप देखें 6-6, 8-8 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। तो मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह ऐसा नियम बना दें कि नगरपालिकाओं और नोटिफाईड एरिया में सफाई कर्मचारियों को अगर वेतन नहीं मिलता है तो और किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। वह कंपलसरी कर दें कि सबसे पहले उनको वेतन दिया जाएगा। वह बेकारे काम भी करते हैं और उनकी पैसा भी नहीं मिलता है। अगर इस प्रथा को आप खत्म करना चाहते हैं तो जो दूसरे तरह के काम हैं जैसे लाइसेंस है, कोटा है, परमिट है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की जो चीजें बाजार में बिकती हैं उनकी एंजिनियां उनको देनी चाहिए जिससे वे लोग काम कर सकें। आप अगर उनको बड़े इंजीनियर, डाक्टर, वकील त बना सके तो भी डाइवर, मैकेनिक आदि तो बना सकते हैं और इसके लिए उनकी नोकरी दे सकते हैं। इसीलिए कुछ सदस्यों ने शक भी जाहिर किया है कि यह 50 साल में भी होने वाला नहीं है। यह सारी दिक्कत आने वाली है।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जहाँ सफाई कर्मचारी लोकल बांडीज में काम करते हैं, उनका रुयाल किया जाना चाहिए। यहाँ तो 1947 के बाद से भर्ती ही नहीं हो पा रही है बल्कि छंटनी हो रही है। इसलिए इसे भी देखा जाना चाहिए। उनके लिए काम करने की मुनासिब कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पर मेनहोल में हर साल कितने ही आदमी मर जाते हैं। उनको न बूट दिए जाते हैं, न उनकी सुरक्षा के लिए आवसीजन के मास्क दिए जाते हैं।

महोदय, दिल्ली जैसे शहर में मेन होल में लोग जाकर काम करते हैं, नर्क में वह काम करते हैं और वहाँ पर मर भी जाते हैं तो भी उनकी कंपेंसेशन नहीं मिलता है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए और यदि कोई घटना

हो जाए तो उसके लिए, उनको रकम निश्चित करनी चाहिए।

मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेकर क्योंकि सभी लोग मेरी ओर देख रहे हैं, एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जो सफाई कर्मी हैं, वह खाद जो कूड़े के रूप में घरों से निकालकर लाते हैं लेकिन उसी खाद को नगर पालिका बेचकर उसका मूल्य वसूल करती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो खाद नगरपालिका में बेची जाती है, किसानों को खेतों के लिए दी जाती है, उसके लिए उसको कुछ न कुछ ग्रानिग के रूप में, बोनस के रूप में देना चाहिए क्योंकि जो कर्मचारी घरों से कूड़ा लाते हैं और उस कूड़े कचरे से खाद बनती है, उसके लिए काबूनी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसका कुछ हिस्सा सफाई कर्मचारियों को दिया जाए।

इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRIMATI SHEILA KAUL : I am grateful to Shri Raju, Dr. Thulasi, Shri Gautam and Shri Han Singh who have given their useful suggestions on this Bill.

This Bill had been pending for a long time. It being such an obnoxious practice, the Government was very keen to get the Bill passed. Therefore, it came through during this Session.

Under the scheme, the large, covered is 500 towns annually. The scheme is being operated through HUDCO by providing a mix of subsidy and loan through the State Governments. There are three categories of latrines that can be made and there are three categories of people who can do it. They are the economically weaker sections, the lower-income groups and the middle-income and the higher-income groups, to whom the help can be given. For the EWS category there is a subsidy of Rs. 445 and a loan of 50 per cent and the beneficiary's contribution is 5 per cent. If the Government wants to help with this 5 per cent amount, they can do so. For the lower

income group, 25 per cent is subsidy, 60 per cent is loan and 15 per cent is contribution of the beneficiary. For the middle-income group and the higher-income group, there is no subsidy. Loan is 75 per cent and the contribution of the beneficiary is 25 per cent. This scheme has been in operation for the last many years. Since the HUDCO took over this scheme in 1989, during the last four years more than 7.5 lakh latrines have been converted. In addition it has assisted in constructing more than 7 lakh new wet latrines.

I may also inform the hon. Members that we have given a lot of powers to the Panchayati Raj system and the Nagar Palikas under the recently passed Panchayati Raj and Nagar Palika Bills. Under this we have given a whole lot of responsibilities to them. Since we do not wish to interfere in the working of the States, we have requested them to take over the responsibility. You will be glad to know that they can operate in each focal city and they have full freedom of action. The Central Government does not want to interfere in their work.

Hari Singh Ji has given some suggestions about giving some commission to them on fertiliser and cow-dung.

Well, all that can be given and the local bodies can be asked to do this job and if they do this job and help them and give their views, I am sure, the States themselves will help them cut because we can't interfere in the day-to-day working like this. We only lay down the policy. If they so desire, they can take up those policies and work for the people. If my learned colleagues here from different States ask their State Governments, I am sure, people will come forward because this is a thing that should be there.

I want to provide some more information as to what has been done. The

number of towns that have been declared scavenger-free is 468. The number of scavengers liberated is 52,770. The number of towns covered is 760. The number of units constructed is 7,14,653. The number of units converted is 7,52,626. So there is progress. You will be glad to know that a beginning has been made, i think, in due course, with the help of all of you this would be a thing to be talked about and be proud of.

So with this, I would request the hon. Members to vote for this Bill which has been pending for a long time.

THB VICE-CHAIRMAN (SYED SIB-TEY RAZI) : The question is • "That the Bill to provide for the prohibition of employment manual scavengers as well as construction or continuance of dry latrines and for the regulation of construction and maintenance of water-seal latrines and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB-TEY RAZI) : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 to 24 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI SHEILA KAUL . Sir, I beg to move : "That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

#### THE SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL, 1993

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB-TEY RAZI) : Dr. Abrar Ahmed.

विश्व जलालुल्लाह ने राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अब्दुल ग़फ़्फ़ार अहमद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि : संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।

1. संसद् सदस्य वेतन और भत्ते संबंधी संयुक्त समिति समय-समय पर सांसदों और भूतपूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते, सुविधाओं और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सिफारिश करती रही है। इन सिफारिशों का ध्यान से अध्ययन करने के पश्चात् सरकार का इनमें से बहुत सी सिफारिशों को मानने का प्रस्ताव है। इन सिफारिशों को मानने से लगभग ₹० 11.48 करोड़ प्रतिवर्ष का आवतों खर्च निहित है (₹० 10.91 करोड़ विधेयक के प्रस्तावों के लिए और लगभग ₹० 57 लाख नियमों में संशोधन के द्वारा सुविधाओं के लिए)। वित्तीय प्रभावों को देखते हुए बाकी सिफारिशों को मानना संभव नहीं है। सारांश में इस विधेयक में :-

(i) दैनिक भत्ते को ₹० 150/- प्रतिदिन से बढ़ाकर ₹० 200/- प्रतिदिन इस भत्ते के साथ माना गया है कि सदस्य बीच की छुट्टियों को छोड़कर उन सभी दिनों को रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे जिन दिनों के लिए दैनिक भत्ता लेने का दावा करेंगे।

(ii) सड़क मील भत्ते की दर को ₹० 3/- प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर ₹० 5/- प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। केवल दिल्ली हवाई अड्डे से दिल्ली में आवास तक और विपर्ययेन न्यूनतम ₹० 120/- सड़क मील भत्ता मिलेगा।

(iii) भूतपूर्व सांसदों के लिए न्यूनतम पेंशन को ₹० 500/- प्रतिमास से बढ़ाकर ₹० 1400/- प्रतिमास करना और न्यूनतम पात्रता अवधि को घटाकर 4 वर्ष या लोक सभा में दो अवधि करने का प्रावधान है।

(iv) पेंशन की अधिकतम सीमा के बिना पाँच वर्षों से अधिक प्रत्येक वर्ष